खण्ड-441, अंक-6
मंगलवार, 31 वैशाख, शक संवत् 1924
(21 मई, 2002 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2002)

खण्ड 441 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2002

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
प्रश्नोत्तर	1-10
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ ... (सदन के प्रटल पर रखी गयीं)	10
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ ... (सदन के पटल पर रखी गयीं)	10-11
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ ... (सदन के पटल पर रखी गयीं)	11-12
कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियाँ ... (सदन के पटल पर रखी गयीं)	12
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन में श्री विनोद कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर विषयक सूचना	12
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	12-13
जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत नगरा बाजार की सीमेन्टेड सड़क निर्माण हेतु चोरी से किये गये एग्रीमेण्ट को निरस्त करने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दण्डित किये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13
जनपद लखीमपुर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु शारदा नहर खीरी शाखा में साइफन बनाये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	13-14
जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर बने जर्जर लकड़ी के पुलों को पुनर्निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	14
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	14-15
जनपद बदायूँ के कतिपय क्षेत्रों में 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति की भाँति कस्बा सहसवान में भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान में कटे हुए विद्युत कनेक्शन को जोड़ने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	15
जनपद बस्ती में डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती के दोनों तरफ बने जर्जर तटबन्धों का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	16
अयोध्या प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परीक्षण के उपरान्त नयी अधिसूचना जारी किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न	16-23
सदस्यों को आवंटित होने वाले भवनों तथा अन्य सामानों के आवंटन हेतु आवास समिति के गठन के संबंध में औचित्य का प्रश्न	23-25
सदन के ध्वनि यंत्रों में खराबी पर व्यवस्था का प्रश्न	25

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पूर्व विद्युत समस्या पर चर्चा कराये जाने की मांग ... ... (स्वीकृत)	25-27
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ... ... (अगले दिन के लिए स्थगित)	27
दिनांक 20 मई 2002 की कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना	28-35
गेहूं क्रय में अनियमितता एवं धाँधली विषयक कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की मांग	35-38
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 20 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा ... ... (जारी)	38-49
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव ... (स्वीकृत)	50
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 2 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा ... ... (जारी)	50-55
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	55-56
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा .... (जारी)	56-58
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	58
प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 20 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा	58-61
प्रदेश को विद्युत कटौती से मुक्ति दिलाने हेतु स्पष्ट नीति की घोषणा न किये जाने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था	61-63
दिनांक 20 मई, 2002 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये संशोधन के प्रस्ताव के बिन्दु 1 तथा 3 के संबंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	63-64
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ... ... (जारी)	64-82
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	82-83

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(चौदहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 21 मई, 2002

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

1–अक्षयवर लाल, श्री	श्रावस्ती	30–महेन्द्र सिंह यादव, श्री	बुलन्दशहर
2–अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर	31–मायावती, सुश्री	सहारनपुर
3–अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर	32–मुश्ताक सोलंकी, हाजी	कानपुर नगर
4–अनिल कुमार वर्मा, श्री	सीतापुर	33–मूलचन्द, श्री	बिजनौर
5–अनुराधा चौधरी, सुश्री	मुजफ्फरनगर	34–मोख्तार अंसारी,श्री	मऊ
6–अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद	35–रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुं०	कुशीनगर/पडरौना
7–आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं	36–रतन लाल अहिरवार, श्री	झांसी
8–इन्द्रदेव, श्री	बिजनौर	37–राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
9–ओइमवेश, स्वामी	बिजनौर	38–राजनाथ सिंह, श्री	बाराबंकी
10–ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर	39–राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
11–ओम प्रकाश सिंह,श्री	मिर्जापुर	40–राजाराम, श्री	प्रतापगढ़
12–कमलेश कुमार पाठक,श्री	कानपुर देहात	41–राजेन्द्र सिंह चौहान, श्री	एटा
13–कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	42–रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
14–कामेश्वर, श्री	देवरिया	43–राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
15–कैलाश, श्री	गाजीपुर	44–रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबा फूले नगर
16–कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर	45–लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
17–छोटे लाल, श्री	बाराबंकी	46–विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
18–जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद		
19–जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भैया, श्री	गोरखपुर	47–वीरेन्द्र सिंह, श्री	बरेली
20–देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा	48–शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर
21–नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव	49–शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
22–नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद	50–शाकिर अली, श्री	देवरिया
23–नरेन्द्र सिंह सिसौदिया,श्री	गाजियाबाद	51–शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
24–बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	52–शिवाकान्त ओझा, प्रोफेसर	प्रतापगढ़
25–विजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	53–सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
26–वीरेन्द्र सिंह बुन्दभगत राजा, श्री	ललितपुर	54–सुन्दर सिंह श्री	बुलन्दशहर
27–भगवत शरन गंगवार, श्री	बरेली	55–सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
28–भरतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर	56–सुल्तान बेग, श्री	बरेली
29–मुंशीलाल गौतम,श्री	बुलन्दशहर	57–स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली

*–त्याग-पत्र के फलस्वरूप ।

**–मतगणना स्थगित ।

***–मृत्यु के फलस्वरूप ।

[दिनांक 15 मार्च, 2002 तक यथासंशोधित]

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 21 मई, 2002

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति

**1–श्री जगदम्बिका पाल, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा डा० विनोद तिवारी–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार कोई कार्य-योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में गिरावट नहीं हुई है । अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही एवं कार्य-योजना के फलस्वरूप वर्ष 2002 के विगत 4 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रमुख अपराध शीर्षकों यथा डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृह भेदन, रोड होल्डअप, फिरौती के लिए अपहरण एवं भा० दं० वि० के कुल अपराधों में कमी आयी है । इस अवधि में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, जुआ अधिनियम तथा एन०डी०पी०एस० अधिनियम में प्रभावी कार्यवाही की गयी है । प्रदेश में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करके जनमानस में सुरक्षा का वातावरण बनाने हेतु समय-समय पर प्रदेश स्तर, मण्डल स्तर, जिला स्तर से कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए आवश्यक कदम उठाये जाते हैं तथा अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाकर भी कार्यवाही की जाती है ।

प्रदेश में अपराध की स्थिति पूर्णतया नियंत्रण में है और प्रदेश प्रशासन अपराध नियंत्रण हेतु सजग है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं कृपापूर्वक आपका संरक्षण चाहता हूं यह उत्तर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से गृह मंत्री के रूप में आया है किसी नये मंत्री द्वारा उत्तर आता तो दूसरी बात थी लेकिन संसदीय कार्य मंत्री जी वरिष्ठ मंत्री हैं । कई बार मंत्री रह चुके हैं । उन्होंने जो उत्तर दिया है वह पूर्ण नहीं है । मंत्री जी ने कह दिया कि अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही एवं कार्य-योजना के फलस्वरूप वर्ष 2002 के विगत 4 महीनों में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में प्रमुख अपराध शीर्षकों यथा डकैती, लूट, हत्या, बलवा, गृह भेदन, रोड होल्डअप, फिरौती के लिए अपहरण एवं भा०दं०वि० के कुल अपराधों में कमी आयी है तो जब इन्होंने पिछले वर्ष के चार महीनों व इस वर्ष के इन चार महीनों की तुलना कर दी तो उनको इसका टेबुल देना चाहिए था । यह उल्लेख करना चाहिए था कि पिछले वर्ष

इन चार महीनों में कितनी घटनायें हुईं व इस वर्ष इन चार महीनों में कितनी घटनायें हुईं । जब इन्होंने स्वीकार किया कि घटनाओं में कमी आयी तो आंकड़े देना चाहिए था । अगर टेबुल दिया होता तो अनुपूरक प्रश्न पूछने में आसानी होती । दूसरी बात इन्होंने उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, गैंगस्टर अधिनियम, शस्त्र अधिनियम, जुआ अधिनियम तथा एन०डी०पी०एस० अधिनियम में प्रभावी कार्यवाही की गयी तो इसकी भी संख्या होगी । एन०एस०ए० में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया, गैंगस्टर में इतने लोगों को गिरफ्तार किया गया इसकी संख्या भी देते । मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह पोटो भी लागू करेंगी तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पोटो के अन्तर्गत कितने लोगों को गिरफ्तार किया है यह उत्तर आना चाहिए ।

श्री सुखदेव राजभर–

जैसा कि माननीय पाल जी ने प्रश्न के शुरू में उन्होंने कहा । जो उन्होंने प्रश्न किया कि प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु सरकार कोई कार्य योजना बना रही है । आपने क्वेश्चन को सीरीज में जोड़ने की खुद कोशिश की है । वह सीरीज बन जायेगी । हमने प्रश्न के उत्तर में दिया है कि अपराधों में कमी आयी है । मान्यवर, मेरे पास एक बेसिक रिपोर्ट आयी है, जिसमें है कि किस अपराध में कितनी कमी आयी है, आप कहें तो मैं पढ़कर सुना दूं । काफी लम्बी लिस्ट है । इसमें मैं तुलनात्मक भी बता दूंगा कि पिछले साल क्या था, इस वर्ष क्या है । जिस चीज के लिए पाल जी ने पूछा है कि अपराध रोकने के लिए क्या कार्य-योजना है तो उसके बारे में मैंने बताया है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूची प्रश्न के उत्तर के साथ संलग्न कर देते तो अच्छा रहता ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, राज भवन के सामने इस विधान सभा के सदस्य की सदन की कार्यवाही में वे भाग ले पाते, इससे पहले ही हत्या हो गयी । पिछले दिनों कानपुर में भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री में स्तर प्राप्त नेता की हत्या कर दी गयी और अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं । फैजाबाद में 6 लोगों की, सुल्तानपुर में 2 बार पेट्रोल पम्प पर हत्या हुई । जिस तरह से रोज अपराध हो रहे हैं किस तरह से सन्तुष्ट हो जायं कि अपराधों में कमी आयी है । आज स्थिति यह है कि रोज समाचार-पत्रों में देख लें, रेडियो में सुन लें । पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, हत्याओं की, लूट की घटनायें आये दिन हो रही हैं और इनकी संख्या में भी वृद्धि हो रही है और आप कह रहे हैं कि अपराधों में कमी आयी है । आपके पास आंकड़े हैं यदि वे सदन के समक्ष नहीं आयेंगे तो कैसे जानेंगे कि अपराधों में कमी आयी है ? इस तरह की घटनायें जो रोज हो रही हैं आदमी को उद्वेलित कर रही हैं । पत्रकार पारितोष की हत्या हुई, हत्यारे आज भी पकड़ से बाहर हैं । कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है, क्या उसका परिणाम आ रहा है इससे जनता को सन्तुष्ट होना चाहिए ? सरकार का इकबाल होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मैंने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को कुछ प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया । मंत्री जी उत्तर दे रहे हैं कि पिछले साल की तुलना में इस साल अपराधों में कमी हुई है । कोई प्रूफ तो दे दें इस कमी का ?

श्री अध्यक्ष–

राजधानी की घटनाओं के लिए अलग से माननीय सदस्य प्रश्न कर लें । शेष के लिए मंत्री जी उत्तर दे दें ।

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय पाल जी ने कुछ स्पैसिफिक घटनाओं के बारे में कहा है उसके लिए अलग से प्रश्न करके सूचना प्राप्त कर सकते हैं । आज जो प्रश्न किया है कि अपराधों में कमी आयी है तो किस तरह के प्रयास किये गये हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि आज अपराधों में कमी आयी है और उसके लिए हमने जो प्रयास किये हैं वह योजनाबद्ध तरीके से किये हैं जिसका नतीजा है कि डकैती में 26.48% लूट में 17.10 प्रतिशत कमी होती चली आयी है । सम्पूर्ण भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार 8.99 प्रतिशत की कमी आयी है । इस प्रयास में जो इन्टैलीजिंस प्रकोष्ठ है, क्रिमिनल रिकार्ड ब्यूरो है उसको सक्रिय किया गया है । स्पेशल आपरेशन ग्रुप और एस०टी०एफ० बनाया गया है । इन ग्रुप्स के माध्यम से 2/3 बड़ी-बड़ी घटनाओं को होने से बचाया और ऐसे लोगों को पकड़ा गया है जो पूरे प्रदेश में शान्ति व्यवस्था को चरमरा देना चाहते थे । अपराधी तत्वों को चिन्हित किया गया है, अपराध कम हुए हैं । प्रार्थना-पत्रों एवं आपराधिक अभियोगों का यथाशीघ्र छानबीन/विवेचना कर निस्तारण । गश्त, पिकेट ड्यूटियां आवश्यकतानुसार चेकिंग, काम्बिंग आदि की कार्यवाही व पुलिस पी०ए०सी० का व्यवस्थापन महत्वपूर्ण आपराधिक घटनाओं के अनावरण एवं कुख्यात अपराधियों एवं राष्ट्र विरोधी तत्वों की गिरफ्तारी हेतु आवश्यकतानुसार एस०टी०एफ० एवं एस०ओ०जी० को लगाया जाता है । श्रीमन्, वर्ष 1998 में गठित एस०टी०एफ० प्रदेश स्तर पर एक आई०जी० स्तर के अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं तथा वर्ष 1999 से प्रत्येक जनपद में गठित एस०ओ०जी० अपने जनपदीय पुलिस प्रमुख के अधीन कार्यरत है ।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत बदतर है श्रीमन् पहली पत्रकार वार्ता में मुख्य मंत्री जी ने कानून व्यवस्था की इस स्थिति को स्वीकार किया है । इस सम्बन्ध में आपने कहा कि कार्य-योजना बनायी है । जो आपने बताया एस०ओ०जी० और एस०टी०एफ० तो यह व्यवस्था तो पहले से चली आ रही है, क्या आपने उसके बाद से कोई उच्च स्तरीय बैठक की है, डी०आई०जी० के साथ बैठक की है आपने कहा अपराधियों को चिन्हित करेंगे, तो किस तरह से चिन्हित करेंगे ?

श्री अध्यक्ष–

आप देख लें उत्तर में कहा गया है कि अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही एवं कार्य-योजना के फलस्वरूप इसका मतलब पहले से अस्तित्व में है, आप यह तो पूछ सकते थे अस्तित्व में है या नहीं, आपने विस्तृत प्रश्न कर दिया । उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 28 उप नियम (11) में प्रतिबन्धित है आपने विस्तृत प्रश्न पूछा है, कार्य-योजना के फलस्वरूप प्रभावी कार्यवाही हो रही है यह उत्तर दिया गया है ।

एक मा० सदस्य–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अनुमति नहीं दी है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी से दो बातें पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश में आपने कोई कनवेन्शन की है.....

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश में कितने इनामी बदमाश हैं उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? आपने नियम–28 के उपनियम 11 का हवाला दिया है । इन्होंने कहा कार्य-योजना तैयार है ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना में है ।

श्री सुखदेव राजभर–

मैंने कहा कि अपराध रोकने के लिए इंटैलीजेंस को सक्रिय कर दिया गया है । आपने कन्वेंशन की बात कही है, मैं बताना चाहूंगा कि आज जो आपराधिक मुदकमें दायर हो रहे हैं और जो 15-20 साल पहले मुकदमें दायर हुए हैं उसमें किसी में गवाह मर गया है किसी में कुछ है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

ऐसे कितने मुकदमें हैं ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसमें विभिन्न न्यायालयों से विभिन्न आंकड़ों को मंगाने की जरूरत होगी । यह मूल प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने सीधा सा प्रश्न किया है अगर नहीं जवाब दे सकते हैं तो प्रश्न स्थगित करा दें।

श्री अध्यक्ष–

अभी महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

सूचीबद्ध कितने बदमाश हैं यह भी आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं ?

श्री सुखदेव राजभर–

माननीय अग्रवाल साहब ने जो प्रश्न किया है उसमें सूचना की आवश्यकता होगी। दूसरा यह मूल प्रश्न से हटकर भी है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, यह सीधे-सीधे कह दें कि इसमें सूचना की आवश्यकता होगी। यह कैसे कह सकते हैं कि यह प्रश्न से सम्बन्धित नहीं है ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मैंने कार्य योजना के सम्बन्ध में बहुत स्पष्ट बता दिया है और यह भी बता दिया है कि जो ग्राफ है उसके आधार पर कमी आयी है। यह सम्पूर्ण टोटल में 8.99 प्रतिशत की कमी आयी है। कन्वेक्शन रेट की बात आयी तो मामला न्यायालय में है। अण्डर ट्रायल है।

श्री अध्यक्ष–

यह सूचना अभियोजन कार्यालय से भी मिल सकती थी।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, इसी सदन में अनेकों बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का उत्तर आया कि कन्वेक्शन रेट कितना है कितने मुकदमें लम्बित हैं। इसके आंकड़े आ चुके हैं। यह कैसे कह सकते हैं कि आंकड़ा नहीं ले सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

आप मूल प्रश्न देखें। यह केवल कार्य-योजना बताने के बारे में है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सदन में जो उत्तर दिया गया है यह बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। यह कैसे कह सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष–

जितनी आवश्यकता थी उतने का जवाब दे दिया गया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, यह कहते हैं कि हम रेट आफ कन्वेक्शन कैसे दे सकते हैं अगर इतनी अक्षम सरकार है तो इसे एक क्षण भी बने रहने का अधिकार नहीं है ? जो यह आंकड़ा नहीं दे सकते हैं कि कितने लम्बित हैं, कन्वेक्शन रेट कितने हैं वह सरकार में नहीं बने रहने चाहिए ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अगर इसी तरह से सब बोलते रहेंगे तो मैं सुन नहीं पाऊंगा।

श्री अम्बिका चौधरी–

सरकार को जब लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति के बारे में ही जानकारी नहीं है तो वह कानून व्यवस्था को क्या सुधारेगी ? आप मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी को निर्देशित करें।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपया शान्त रहें। शोर में कुछ सुनायी नहीं पड़ेगा। एक-एक माननीय सदस्य बोलें।

कुं० रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, एक गम्भीर प्रश्न है यह पूरे प्रदेश से सम्बन्धित प्रश्न है लेकिन इसका जो उत्तर आ रहा है उससे निराशा हुई है और यह पूरा उत्तर नहीं है। मैं निवेदन करता हूं कि इस गम्भीर विषय पर एक घण्टे की चर्चा करा लें, ताकि इस पर पूरी तरह से चर्चा हो सके और सरकार का इस पर विस्तृत जवाब भी आ सके।

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में इसका उल्लेख है जब उस पर चर्चा होगी तो इस प्रश्न पर चर्चा में उल्लेख कर सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, प्रश्नों के माध्यम से यह सब जानने का विपक्ष के सदस्यों का अधिकार है और [xxx]

(व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(कुछ सदस्य सदन के वेल में आ गये और चर्चा की मांग करने लगे ।)

(श्री कमाल यूसुफ मलिक के प्रयास से वेल में आये सदस्य वापस चले गये ।)

श्री अध्यक्ष–

महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा का अवसर न होता तो मैं इस पर जरूर चर्चा करा लेता लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा करते समय कानून व्यवस्था के प्रश्न पर भी चर्चा करा लेंगे ।

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

मान्यवर, प्रश्न की गम्भीरता और उसका उत्तर दोनों आपके सामने हैं । इस प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति भी आपके सामने है । जिस तरह का उत्तर संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से आया है वह गैरजिम्मेदाराना है और यह सवाल के जवाब को टालना है । तारांकित और अल्पसूचित प्रश्नों के जवाब इतने हल्के ढंग से देना गलत है । सरकार के इस गैरजिम्मेदाराना रवैये के विरोध में समाजवादी पार्टी सदन का बहिर्गमन करती है और यह आशा करती है कि अगर विपक्ष के साथ इसी तरह का रवैया रहा तो यह सदन नहीं चल सकेगा ।

(अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के उत्तर से असन्तुष्ट होकर मा० नेता विरोधी दल ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न नीतिगत प्रश्न होता है, इसमें ब्यौरे की जानकारी के लिए अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, इस प्रश्न में डा० विनोद तिवारी जी का नाम अंकित है ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी ने भी व्यवधान के मध्य सदन का त्याग किया ।)

श्री अध्यक्ष–

वैसे इस प्रश्न का समय समाप्त हो गया है, विशेष अनुमति के तहत आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दे रहा हूं मा० तिवारी जी ।

डा० विनोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा जनपद पीलीभीत नैपाल की सीमा को टच करता है । आज देश की सीमाओं पर तनाव है नैपाल में माओवादी गतिविधियां बहुत तेजी से चल रही हैं रोजाना हत्यायें हो रही हैं, आई०एस०आई० की गतिविधियां चल रही हैं । क्या जनपद पीलीभीत की सीमा जो नैपाल बार्डर को टच

करती है उ० प्र० में इन गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गयी है ? यदि नहीं, तो कोई कार्य योजना तैयार करेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जो मानीय सदस्य ने संकेत किया है, इसके लिए कार्य योजना की बाबत यह कहना चाहता हूं कि स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो ऐसे अपराधों के बारे में देखता रहता है उसके आधार पर सीमाओं पर या आई०एस०आई० के बारे में यह ब्यूरो रिकार्ड रखता है । उनकी विजिलेंस की रिपोर्ट के आधार पर, उसे कन्ट्रोल करने के लिए योजना बनी है ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, पोटो में कितनी गिरफ्तारी हुई हैं ? यह तो ब्यूरो की बात कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने यह नीतिगत प्रश्न पूछा था । मंत्री जी की विवशता समझिये कैसे इतनी जल्दी ब्योरा इकट्ठा होगा ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर आपके पास जानकारी है तो बता दें । आप निर्देश दे देंगे तो बता देंगे ।

श्री सुखदेव राजभर–

इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, सरकार को मालूम है कि सोनभद्र जिले में पोटो के तहत 3 गिरफ्तारी हुई हैं । अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपको फिर मंत्री बनने रहने का अधिकार नहीं है । यह सरकार पोटो के अन्तर्गत बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(उत्तर से असन्तुष्ट श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

प्रदेश में लम्बित दीवानी मुकदमों के निस्तारण की योजना

**2–श्री सुरेश कुमार खन्ना–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बड़ी संख्या में लम्बित दीवानी मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए न्यायालयों की संख्या बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुखदेव राजभर–

जी हां ।

शासन के वित्तीय संसाधनों की स्थिति के अनुसार समय-समय पर ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, कल्याणकारी शासन का यह कर्तव्य होता है कि शीघ्र न्याय सुलभ करायें । जो मान्यवर, परिस्थितियां हैं प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालयों में लाखों की संख्या में दीवानी मुकदमें लम्बित हैं । अंग्रेजी में एक फ्रेज है–जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड । मा० मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि कोई ऐसी कार्य योजना निकट भविष्य में है जिसके तहत नये न्यायालयों का सृजन किया जा सके ? जब इच्छा शक्ति होती है तो संसाधन जुट जाते हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, नये न्यायालयों के गठन के लिए कार्य योजना है इसके लिए मा० उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर न्यायालयों के सृजन पर विचार किया जा रहा है और नये न्यायालयों का गठन मा० उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर ही होता है । इसके लिए हमारा पूरा प्रयास है भारत सरकार योजना आयोग और 11वें. वित्त आयोग के सहायता लेने के लिए अनुरोध किया है, जिस पर एक निर्णय हो चुका है नये न्यायालयों के सृजन के लिए मा० उच्च न्यायालय के प्रस्ताव हैं जिस पर शासन विचार कर रहा है और उसके लिए हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितने न्यायालय स्थपित करने का प्रस्ताव माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष शासन के द्वारा भेजा गया है और क्या पोटो कोर्ट की स्थापना का मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, इस पर सरकार कब तक सहमति प्राप्त कर लेगी ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मैंने मंत्री जी से पूछा था कि कुल कितने दीवानी न्यायालय की स्थापना करने का प्रस्ताव उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं तथा पोटो कोर्ट को स्थापित करने पर सरकार कब तक सहमति प्राप्त कर लेगी क्योंकि कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए पोटो कानून बनाया गया है अगर कोर्ट नहीं होगा तो जो लोग गिरफ्तार किये जायेंगे उनके मुकदमें कहां चलेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी तक औसत था 10 लाख पर औसतन एक न्यायालय, 50 न्यायालयों के गठन का प्रस्ताव है जिसमें 2 लाख का एवरेज आयेगा, पहले 10 लाख का था । इस तरह के 50 न्यायालयों के गठन के लिए व्यवस्था करनी है । इसमें शुरू में पहले ही मैंने संकेत दे दिया है कि उससे तमाम वित्तीय

संसाधनों का लेकर उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है और वह प्रक्रिया में है। 50 न्यायालयों के गठन के लिए प्रस्ताव है।

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि यदि उत्तर प्रदेश गवर्नमेन्ट ने किसी जगह पर न्यायालय खोलने के लिए आदेश निर्गत कर दिया है और किन्हीं कारणों से उसका औचित्य भी पाया गया हो और न खोला गया हो तो मैं पत्र पेश कर दूं, यह डुमरियागंज का है क्या इस पर विचार कर लेंगे ?

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, उच्च न्यायालय ने निर्देश दे दिया और किन्हीं कारणों से वह संचालित नहीं हुआ तो माननीय सदस्य उसको दे दें हम दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त हुआ ?

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या :–

(1) क०नि०–2-2317/ग्यारह–9(217)/92–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (32)–2001, दिनांक 31 जुलाई, 2001

(2) क०नि०–2-2800/ग्यारह–9(124)/90–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (41)–2001, दिनांक 13 सितम्बर, 2001

(3) क०नि०–2-2802/ग्यारह–9(124)/90–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (43)–2001, दिनांक 13 सितम्बर, 2001

को, उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम, 1948 धारा–3 क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, विलम्ब के कारणों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग, रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन् अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या :–

(1) क०नि०–2-3240/ग्यारह–9(153)/2000–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (52)–2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

---

† छापी नहीं गयीं।

नोट :–अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

(2) क०नि०–2-3241/ग्यारह–9(153)/2000–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (53)–2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

(3) क०नि०–2-3239/ग्यारह–9(153)/2000–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (51)–2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

(4) क०नि०–2-3342/ग्यारह–9(10)/97–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (61)–2001, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001

(5) क०नि०–2-3346/ग्यारह–9(231)/94–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (65)–2001, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001

(6) क०नि०–2-3347/ग्यारह–9(231)/94–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (66)–2001, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001

(7) क०नि०–2-3626/ग्यारह–9(668)/93–उ०प्र०अधि०–15–10–48–आदेश (68)–2001, दिनांक 29 नवम्बर, 2001

(8) क०नि०–2-3627/ग्यारह–9(668)/93–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (69)–2001, दिनांक 29 नवम्बर, 2001

(9) क०नि०–2-3631/ग्यारह–9(668)/93–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (73)–2001, दिनांक 29 नवम्बर, 2001

को, उत्तर प्रदेश व्यापार-कर अधिनियम, 1948 की धारा–3 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार, सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या :–

(1) क०नि०–2-3338/ग्यारह–9(37)/97–उ०प्र०अधि०–12–2000–आदेश (57)–2001, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001

(2) क०नि०–2-3339/ग्यारह–9(37)/97–उ०प्र०अधि०–12–2000–आदेश (58)–2001, दिनांक 30 अक्टूबर, 2001

---

† छापी नहीं गयीं।

को, उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा–4 की उपधारा (6) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां †

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 की विज्ञप्ति संख्या :–

(1) क०नि०–2-3242/ग्यारह–9(153)/2000–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (54)–2001, दिनांक 22 अक्टूबर, 2001

(2) क०नि०–2-3630/ग्यारह–9(668)/93–उ०प्र०अधि०–15–48–आदेश (72)–2001, दिनांक 29 नवम्बर, 2001

को, उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा–3 घ की उपधारा (8) के अधीन, सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–6, 7, 8 व 9 में कुछ नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधन में श्री विनोद कुमार सिंह के फर्जी हस्ताक्षर विषयक सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सूचना दे दूं। श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए दिये गये धन्यवाद के प्रस्ताव में प्राप्त संशोधनों के आधार पर दिनांक 20 मई, 2002 की सदन की कार्यसूची की मद संख्या–7 की नत्थी "ग" की क्रम संख्या–2 में श्री विनोद कुमार सिंह का नाम मुद्रित कराया गया था। श्री विनोद कुमार सिंह ने मुझे दिनांक 20 मई, 2002 को लिखित रूप से सूचित किया है कि उनके द्वारा इस प्रकार का कोई संशोधन नहीं दिया गया है और प्रस्तावकों के नामों में उनके नाम का उल्लेख फर्जी ढंग से किया गया है। मैंने मूल अभिलेखों के आधार पर उक्त क्रम संख्या–2 के संशोधनों के प्रस्तावकों के नामों में से श्री विनोद कुमार सिंह का नाम निकाल दिया है।

इस सन्दर्भ में मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सदन में दी जाने वाली सूचनाओं पर फर्जी हस्ताक्षर करने की प्रवृत्ति अत्यन्त आपत्तिजनक है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। भविष्य में फर्जी हस्ताक्षर से यदि कोई सूचना प्राप्त होगी तो उसे निरस्त समझा जायेगा।

नियम–301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21 मई, 2002 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं शलाका के आधार पर

---

†छापी नहीं गयी।

स्वीकार की गईं :––

पहली सूचना श्री राम इकबाल सिंह की है, दूसरी सूचना डा० कौशल किशोर की है, तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की है, चौथी सूचना श्री शारदानन्द अंचल की है, पांचवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की है, छठवीं सूचना श्री कमाल यूसुफ मलिक की है और सातवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है। ये सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी जाती हैं। श्री राधेश्याम जायसवाल की सूचना अस्वीकार की जाती है।

(सदन की सहमति से उक्त सभी स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद बलिया के चिलकहर क्षेत्रान्तर्गत नगरा बाजार की सीमेण्टेड सड़क निर्माण हेतु चोरी से किये गये एग्रीमेन्ट को निरस्त करने तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को दण्डित किये जाने हेतु नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम इकबाल –

[मान्यवर, उ० प्र० विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम 301 के तहत लोकहित की सूचना देना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के नगरा बाजार की सीमेण्टेड सड़क निर्माण हेतु पूर्वांचल राज्यांश से 1.03 करोड़ रुपया फैक्स द्वारा 27-3-2002 को बलिया विकास भवन को प्राप्त हुआ। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़कर लो० नि० वि० बलिया बिना किसी प्रदेश स्तरीय अखबार में टेण्डर आमंत्रित किये चोरी से लाखों रुपया कमीशन खाकर बैक डेट में दिसम्बर, 2001 में ही एग्रीमेण्ट कर दिया।

इस भ्रष्टाचार की सूचना में फैक्स द्वारा 23-4-2002 को महामहिम राज्यपाल महोदय, आयुक्त आजमगढ़ व डी० एम० बलिया को दिया, लेकिन आज तक गलत तरीके से किये एग्रीमेन्ट को निरस्त नहीं किया गया है तथा अधिकारियों के ऊपर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं वहां का विधायक होने के नाते यह मांग करता हूं कि चोरी से किये गये एग्रीमेन्ट को निरस्त किया जाय तथा भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को अविलम्ब दण्डित किया जाय।]

जनपद लखीमपुर में जल भराव की समस्या के निदान हेतु शारदा नहर खीरी शाखा में साइफन बनाये जाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० कौशल किशोर–

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद लखीमपुर में जल भराव हो जाने की वजह से फसलों की तरफ नष्ट हो जाने की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विधान सभा क्षेत्र 54 लखीमपुर के ग्राम नरदवल पुरवा धोरहरा परदहन, आदि ग्राम पीलीभीत बस्ती मार्ग व शारदा नहर के शहर के बीच में आते हैं यह जमीन उपजाऊ है किसान मेहनती हैं बरसाती पानी का कोई निकास भी नहीं है तथा वर्षा के समय

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पेयजल की पानी की आवश्यकता नहीं होती है तथा उन दिनों में उसी शारदा नहर का खीरी का पानी भी कुलाबों द्वारा उपरोक्त ग्राम की जमीन में भरता रहता है जिसकी वजह से लहलहाती फसलें डूब जाती हैं किसान की मेहनत व धन बर्बाद हो जाता है असहाय किसान हाथ मलता रह जाता है यदि उस पानी का निकास खीरी साझा में शाखा बनाकर कर दिया जाय तो मेहनती किसान परिश्रम सार्थक हो जाय और इसकी समस्या का हल निकल सकता है । क्षेत्रीय जनता की मांग है कि जल भराव दूर करने के लिए शारदा नहर खीरी शाखा में एक साइफन पानी निकास के लिए नरदवल गांव के पास बनवाया जायेगा ।

अतः अनुरोध है कि लोक महत्व के समस्या का अविलम्बनीय शीघ्र निस्तारण करवाये जायेगी।]

जनपद गोण्डा के मनकापुर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय मार्गों पर बने जर्जर लकड़ी के पुलों को पुनर्निर्मित कराये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम विशुन आजाद–

[मान्यवर, प्रदेश में जब से यह सरकार आयी है विकास के कार्यों में गिरावट आयी है मेरे विधान सभा क्षेत्र मनकापुर के अन्तर्गत आने वाले मार्गों जैसे मसकनवा सिकन्दरपुर मार्ग, मनकापुर नवाबगंज, मार्ग झिलाही वजीरगंज मार्ग, मनकापुर बभनान मार्ग और मसकनवा गौरा चौकी मार्ग पर उक्त मार्गों पर लकड़ी के पुलों पर विगत कई वर्षों से क्षमता से अधिक वाहनों के चलने से लकड़ी के पुल काफी क्षतिग्रस्त हो चुके हैं गन्ने के सीजन में तो कई बार पुलों के टूटने से आवागमन बन्द हो गया है जिससे जनता को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा । यदि सर्वे करवाकर सरकार लकड़ी के पुलों को तत्काल नहीं बनवाती है तो आने वाले समय में आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो जायेगी सरकार द्वारा यह बराबर कहा गया कि क्षेत्रीय संतुलन को बनाये रखने के लिए धन का आवंटन किया जाता है परन्तु मेरे क्षेत्र में सरकार द्वारा क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया । विगत कई वर्षों से पक्के पुल के निर्माण की मांग बराबर उठती रहीं परन्तु सरकार द्वारा जनहित में ध्यान नहीं दिया गया । आने वाले बरसात के पहले यदि उक्त मार्गों पर बने लकड़ी के पुलों, जो अति जर्जर हो चुके है । तत्काल निर्माण कार्य नहीं करवाया गया तो क्षेत्रीय जनता का काफी जनाक्रोश उभरेगा ।

अतः इस लोक महत्व के प्रश्न को मा० सदन के संज्ञान में लाते हुए तत्काल निर्माण कार्य करवाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्रान्तर्गत कतिपय जर्जर मार्गों की मरम्मत कराने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानन्द अंचल–

[मान्यवर, आपके माध्यम से लोक महत्व का प्रकरण माननीय सदन के संज्ञान में लाकर अविलम्ब कार्यवाही की मांग करता हूं । बलिया जनपद के सीयर विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों से मरम्मत का कार्य लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बलिया द्वारा नहीं कराये जाने से सड़कों का लेपन ध्वस्त हो

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गये हैं । परिया करगड्डा है सीयर–चरौवा मार्ग, सीयर–पशुहारी मार्ग, पूरा–पशुहारी मार्ग, छितौना,–एक इलनहर मार्ग, अखोय माइनर मार्ग, मालीपुर–सिकन्दरपुर पहर मार्ग की हालत अत्यन्त खराब है जिनकी अविलम्ब मरम्मत आवश्यक है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को माननीय सदन के संज्ञान में लाते हुए अविलम्ब समाधान की मांग करता हूं ।]

जनपद बदायूं के कतिपय क्षेत्रों में 16 घण्टे विद्युत आपूर्ति की भांति कस्बा सहसवान में भी विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किये जाने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओमकार सिंह यादव–

[महोदय, मेरा निर्वाचन क्षेत्र 26, सहसवान, पिछड़ा व किसान बाहुल्य क्षेत्र है । इसमें आजकल गर्मी के मौसम में जन साधारण को बिजली की अति आवश्यकता है । मेरे जनपद बदायूं, उझानी तथा बिल्सी में इस समय 16 घण्टे विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, जबकि कस्बा सहसवान में जहां 45 हजार आबादी है, मात्र 8 घण्टे बिजली दी जाती है । कभी-कभी वह भी नहीं दी जाती है । शिकायत करने पर बता दिया जाता है कि ऊपर से सप्लाई बन्द है । जबकि कस्बा उझानी व सहसवान का एक ही फीडर है और दोनों कस्बों में बिजली आपूर्ति बराबर होनी चाहिए । कस्बा सहसवान के साथ बिजली विभाग का सौतेला व्यवहार किए जाने पर जनता में बेहद आक्रोश है तथा कभी भी यह जनाक्रोश आन्दोलन का रूप ले सकता है । जिसमें धन व जन दोनों की हानि होने की संभावना है ।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर तुरन्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने की कृपा करें, ताकि जनता को राहत मिल सके ।]

सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान में कटे हुए विद्युत कनेक्शन को जोड़ने के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कमाल यूसुफ मलिक–

[महोदय, निवेदन है कि सम्पूर्णानन्द कारागार प्रशिक्षण संस्थान जो उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त देश के अन्य प्रदेशों के कारागार के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देता है । प्रशिक्षण के दौरान सारे अधिकारी एवं कर्मचारी इसमें आवासीय भवन में रहते हैं । इस समय विद्युत बिल के अदायगी न होने के कारण विद्युत-विच्छेदन कर दिया गया है जिसके फलस्वरूप न तो वहां पानी है और न ही प्रकाश की कोई व्यवस्था पिछले दो माह से नहीं हो रही है जबकि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन से विद्युत बिल का भुगतान प्रत्येक माह काट लिया जाता है । आश्चर्य है कि वेतन से कटौती के बाद भी विभाग ने उस पैसे को विद्युत विभाग को अदा नहीं किया । जिसके कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। इस भीषण गर्मी में पानी व प्रकाश न होने के कारण अधिकारी एवं कर्मचारी अपना मकान छोड़कर अन्य लोगों के यहां स्नान कर रहे हैं ।

अतः शासन से मांग करता हूं कि विद्युत कनेक्शन जोड़ने का कष्ट करें, जिसमें वहां पानी व प्रकाश की व्यवस्था हो सके ।]

नोट :–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बस्ती में डुमरियागंज क्षेत्रान्तर्गत राप्ती एवं बूढ़ी राप्ती के दोनों तरफ बने जर्जर तटबन्धों का पुनर्निर्माण कराये के संबंध में नियम–301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

[महोदय, विगत कई वर्षों से अशोकवा–मदरहवा, मूसापरसोहन–दलपतपुर बंधे का निर्माण पूर्व में जमींदारी बंधे के आधार पर कराया गया था । जो बूढ़ी राप्ती के दायें तट पर है तथा जो काफी नीचा है । परन्तु उस समय यह बंधा पानी रोक देता था और बाढ़ से 100 गांव की बचत हो जाती है परन्तु जब इस नदी के बांये तट पर काफी ऊंचा व चौड़ा बंधा बन गया है तबसे निरन्तर यह थोड़ी सी बाढ़ पर बंधा टूट जाता है और सैकड़ों गांव डूब जाता है तथा करोड़ों की फसल बरबाद हो जाती है । पिछले वर्ष इसी को लेकर क्षेत्रीय जनता ने आन्दोलन भी किया था । इसे ऊंचा और चौड़ा करने का वायदा भी किया गया था । परन्तु इसके लिए आज तक धन नहीं दिया गया, जिसके फलस्वरूप इस बंधे का पुनर्निर्माण अवरुद्ध है, जिसको लेकर जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अतः आप के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस बंधों के निर्माण के लिए तत्काल शासन धनराशि उपलब्ध करायें ।]

अयोध्या प्रकरण पर मा० उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार परीक्षण के उपरान्त नयी अधिसूचना जारी किये जाने विषयक औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-5-2002 को नियम–300 के अन्तर्गत 4 सूचनायें प्राप्त हुई । पहली सूचना श्री राम नरेश यादव, श्री जगदम्बिका पाल, श्री प्रमोद कुमार और श्री अखिलेश सिंह की है ।

* श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने हमें इस प्रकरण पर स्थिति स्पष्ट करने की अनुमति दी । मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात रखूंगा । कुछ तथ्य रखूंगा । मान्यवर, 6 दिसम्बर, 92 को इतिहास की एक शर्मनाक घटना हुई ।

श्री अध्यक्ष–

यह किस नियम, निर्वचन या प्रवर्तन की बात है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं तो आपसे केवल अनुरोध कर सकता हूं ? मान्यवर, 9 जुलाई, 93 को विशेष अदालत का गठन हुआ ..

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

(श्री राम गोबिन्द चौधरी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

प्रमोद कुमार जी अपनी बात कहने के लिए सक्षम हैं । तिवारी जी को किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है ।

शांति पूर्वक आप अपनी बात कहें ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं बार-बार यह अनुरोध कर रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण तथ्य है । जो आप चाहेंगे वही होगा इसीलिए मैं आपसे अनुरोध क़र रहा हूं । कुल मिलाकर 9 सितम्बर, 1993 को विशेष न्यायालय का गठन होता है । मान्यवर, वह न्यायालय झांसी ...

श्री अध्यक्ष–

देखिये इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है । आवश्यकता इस बात की है कि यह किस नियम के अन्तर्गत आता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

कृपापूर्वक आप मेरी दो बातें सुन लीजिए । मान्यवर, मैं सिर्फ यह कह रहा था आपसे 9 मई को यह प्रश्न आया था इसी विधान सभा में और आपने अनुमति दी थी । 9 मई, 2001 की पूरी विधान सभा की कार्यवाही मेरे पास है । उस समय इस बिन्दु पर काफी चर्चा हुई थी और इस चर्चा के दौरान तत्कालीन मंत्री, उस समय के बसपा के नेता और आज के मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने स्वीकार भी किया था । खैर छोड़िये हुकुम सिंह जी तब संसदीय कार्य मंत्री थे आज नहीं हैं । माननीय हुकुम सिंह जी ने सदन की कार्यवाही में यह कहा था कि सी०बी०आई० इस प्रकरण पर जांच कर रही है और अगर सी०बी-आई० उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध करेगी तो इस पर विचार कर लिया जायेंगा, मैं इस बात पर बल दे रहा हूं तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कार्य करेगी ? मान्यवर, सरकारें लोकतंत्र में आती हैं जाती हैं और हर सरकार की अपनी नीतियां और विचार अलग-अलग होते हैं ।

मान्यवर, आपके ही सामने उन्होंने कहा था कि सी०बी०आई० ने चूंकि अनुरोध नहीं किया है अगर वह अनुरोध करेगी तो हम निश्चित रूप से इस पर विचार करेंगे । मान्यवर, सी०बी०आई० ने एक बार नहीं दो बार अनुरोध किया है । दो बार अनुरोध करने के बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ । जिस बात की बहुजन समाज पार्टी कल तक खुद मांग कर रही थी आज सरकार बनाये बैठी है । यह सिद्धान्त की बात थी, उनकी वचनबद्धता की बात थी फिर वह वहां जाकर आज क्यों खामोश हो गए, ऐसी कौन सी मजबूरी है । मान्यवर, एक कहावत है अंग्रेजी में मैं उसका हिन्दी अनुवाद कह रहा हूं–"विलम्ब से किया गया निर्णय, निर्णय न करने के बराबर" । 6 दिसम्बर, 1992 की घटना को 10 वर्ष व्यतीत होने को आये हैं । इसमें साधारण लोग होते तो मैं कुछ नहीं कहता । इसमें [× × ×]

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जो सदन का व्यक्ति नहीं है उनका नाम नहीं लिया जा सकता ।

* कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, किसी को अपराधी कहना, जब तक न्यायालय में मुकदमा दर्ज होकर वर्डिक्ट न आ जाये कि दोषी हैं । किसी को अपराधी कहना उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

इसको कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

चलिये मान्यवर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, [× × ×]

श्री अध्यक्ष–

इसमें कोई राजनीतिक बहस नहीं हो रही है, आप नियम–300 में आईये ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, तिवारी जी घुमा-फिराकर एक ही बात कह रहे हैं । किसी का नाम लेकर अपराधी कहना या अभियुक्त कहना संसदीय नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं । इसको कार्यवाही से निकाल दिया जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आश्वासन देता हूं कि [× × ×] का इस्तीफा नहीं मागूंगा, [× × ×] का इस्तीफा नहीं मागूंगा..... ।

श्री अध्यक्ष–

यह आपके भाषण की कला है, इसको सभी जानते हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

आप बताइये कि किस नियम के प्रवर्तन और निर्वचन की बात है, और इससे सदन की कार्यवाही कहां विनियमित होती है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं वही कह रहा हूं .....।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आपकी पीठ से तीन बार संकेत हुआ कि इससे किस नियम के अन्तर्गत विधान सभा की कार्यवाही रेगुलेट हो रही है। इसमें मात्र दो लाइन में अपनी बात कह देनी थी परन्तु वक्तव्य चल रहा है यह किस नियम के अन्तर्गत आता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

अगर पीठ का उत्तर आदरपूर्वक दो [× × ×] मान्यवर, कृपया संविधान का अनुच्छेद–164(2) देखें।

श्री अध्यक्ष–

इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व है, तो उससे क्या होता है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, संविधान का प्राविधान बता रहा है, आपको तो पूरा संविधान कंठस्थ है .....।

श्री अध्यक्ष–

पूरा संविधान नहीं लेकिन जो आप बता रहे हैं वह जानता हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद–163 के अन्तर्गत सम्पूर्ण सदन का गठन होता है और अनुच्छेद–164 के अन्तर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और उसके साथ ही साथ अनवरत रूप से सरकार चलती है और किसी सरकार ने कहीं पर बैठकर यह कहा है कि निश्चित प्रक्रिया हो जाने के बाद जारी करूंगा और वह सरकार बदल जाने के बाद दूसरी सरकार आती है और वही मंत्री रहते हैं वह जारी न करें तो मैं आपको आवाज दूंगा।

श्री अध्यक्ष–

सदन की कार्यवाही का विनियमन होना चाहिए। वह कहां से हो रहा है इसके बारे में बताईये।

(श्री हुकुम सिंह जी के सदन से जाने के लिए उठने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, [× × ×] मान्यवर, मैंने अपनी बात आपसे कही है, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि साधारण घटना नहीं है। सरकार ने आश्वासन दिया था और उसके आश्वासन पर आपने विश्वास कर लिया था और हमने भी विश्वास कर लिया था कि जैसे ही सी०बी०आई० अनुरोध करेगी वैसे ही यह सरकार जारी कर देगी। अब जब सरकार बनी है तो मुझे विश्वास था कि माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

ने जैसा पहले मांग की थी कि इसमें 1 मिनट का विलम्ब अनीतिकारक है, तो आज वह तुरन्त सरकार इसको जारी करेगी । क्योंकि गृह मंत्री, खेलकूद मंत्री और मानव संसाधन मंत्री जी दोषी पाये गये हैं । लेकिन सरकार को डर है कि अगर नोटीफिकेशन जारी कर देंगे तो समर्थन वापस ले लेंगे और सरकार गिर जायेगी । नोटीफिकेशन जारी न करना अनुचित और दुर्भाग्यपूर्ण है । जिस प्रकार का आश्वासन दिया गया था उसकी पूर्ति करते हुये नोटीफिकेशन जारी किया जाय और जब तक यह प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है तब तक गृह मंत्री, खेलकूद मंत्री और मानव संसाधन मंत्री इस्तीफा दे दें जिससे उन पर मुकदमा चलाया जा सके ।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सारी बातें आ गयी हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मा० मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जिनको माननीय प्रमोद कुमार कह चुके हैं और मैं अपने को औचित्य के प्रश्न तक सीमित रखूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

आप तो तिवारी जी से ज्यादा विद्वान हैं आप बतायें कि यह कैसे नियम–300 में आता है ?

श्री जगदम्बिका पाल–

अगर ज्यादा विद्वान न होते तो हमारे नेता कैसे होते हैं ? आप हम सबसे ज्यादा विद्वान हैं इसलिये वहां बैठे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

वह तो संयोग की बात है, क्या करियेगा, ईश्वर को मंजूर है हमने तो कोशिश की थी कि आपको भी बगल में बैठा दिया जाय कुछ समय के लिये । हमने पूरी सूचना का अध्ययन कर लिया है यह सूचना नियम–300 में आती नहीं है ।

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, जो नियमावली में व्यवस्था है वह यह है कि "औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो ।" जो यह प्रश्न उठाया गया है यह आपके सदन के संज्ञान में है । 9 मई, 2001 को तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसी सदन में स्पष्ट तौर पर कहा था ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

क्या आश्वासन नियम–300 में आयेगा ?

श्री जगदम्बिका पाल –

दो-दो बार सी०बी०आई० अनुरोध कर चुकी है, आप नोटीफिकेशन जारी कर दें । क्या कानून सामान्य व्यक्ति और महत्वपूर्ण व्यक्ति के लिये अलग-अलग है ? क्या गांव के खेत खलिहान में काम करने वाला व्यक्ति आई०पी०सी० का अभियुक्त होगा और यदि सौभाग्य से राजनीतिक जीवन से जुड़ा कोई व्यक्ति है और वह ऐसी घटना कर दे जो हिन्दुस्तान पर कलंक का धब्बा हो तो क्या उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं हो सकती ? सी०बी०आई० ने कहा है कि नोटीफिकेशन की आवश्यकता है । जब सी०बी०आई० अनुरोध कर चुकी है तो सरकार क्या नये नोटीफिकेशन को जारी करेगी । इस प्रकरण में स्टेट वादी है ।

श्री अध्यक्ष–

आपकी बात पूरी हो गयी ।

श्री राम नरेश यादव–

मान्यवर, आप तो संविधान के ज्ञाता और विधि विशेषज्ञ है । मैं समझता हूं कि सदन में 2 बार यह प्रश्न आया है और पिछले दिनों नेता सदन ने सदन के अन्दर आश्वासन दिया था कि परीक्षण कराने के बाद कार्यवाही की जायेगी ।

इसीलिये औचित्य का प्रश्न बनता है । इस आधार पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जब सी०बी०आई० ने भी मान लिया है कि फिर से अधिसूचना जारी होना चाहिए इस संबंध में पिछली सरकार भी चुप बैठी रही इस सरकार ने कहा कि परीक्षण करने के बाद अध्यादेश जारी करेंगे । मेरा निवेदन है कि इस बात को सरकार निश्चित रूप से सदन को बताने का काम करें कि निश्चित रूप से कोई नई अधिसूचना जारी हो जायेगी । यहां अभियुक्तों को बचाने की चेष्टा हो रही है । दिल्ली सरकार और यह सरकार भी बचाने का काम कर रही है । मैं चाहता हूं कि इस सरकार को आप निर्देशित करें कि सचमुच नयी अधिसूचना जारी करा दें ताकि उन लोगों पर मुकदमा चल सके । बड़े लोगों को बचाने की कोशिश होगी तो क्या संदेश जाएगा । क्या छोटे लोगों को न्याय मिलना संभव होगा ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नयी अधिसूचना कब तक जारी करवा देंगे ताकि हाईकोर्ट के निर्णय के आधार पर आब्जरवेशन के आधार पर मुकदमा चलाया जा सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

इसी प्रश्न पर पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जी नेता बसपा ने कहा था कि जब तक मुख्य मंत्री जी नहीं आयेंगे तब किसी का जवाब नहीं सुनेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य मंत्री जी ने संसदीय कार्य मंत्री को अधिकृत कर दिया है ।

श्री सुखदेव राजभर–

श्री जगदम्बिका पाल, श्री तिवारी जी व श्री राम नरेश यादव जी वरिष्ठ सदस्य हैं। यह सब जानते हुये भी औचित्य के प्रश्न के रूप में इसे उठा रहे हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नियमावली के किस नियम के तहत इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि इसे औचित्य के रूप में उठाया जा सके। मेरा निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी ने केवल इतना कहा था माननीय अध्यक्ष जी यह जो बात नोटीफिकेशन के बारे में कही गई है में अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं मुख्यमंत्री का पद संभाले हुए इस मामले के सभी कानूनी पहलुओं को देखकर छानबीन करके इस पर जानकारी करके सदन को दे दूंगी। उन्होंने छानबीन करने की बात कही थी उससे सदन को अवगत कराने की बात कही थी। मुख्यमंत्री जी की बात स्पष्ट है। मैं मामले के हर पहलुओं का परीक्षण करूंगी देख लूंगी तभी सदन को बता दूंगी। यह 300 के रूप में औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जा रहा है।

श्री प्रमोद कुमार–

[× × ×]

श्री अध्यक्ष–

बिना अनुमति के बोल रहे हैं। यह लिखा नहीं जा रहा है। मुझे व्यवस्था देने दें। नियम 300 के अन्तर्गत केवल वही सूचनाएं ग्राह्य होती हैं जिनका सम्बन्ध संविधान के ऐसे अनुच्छेदों अथवा प्रक्रिया नियमावली के नियमों जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है के निर्वचन या प्रवर्तन के संबंध में हो। यह श्री तिवारी जी द्वारा जो सूचना दी गई है यह 300 के अन्तर्गत नहीं आती है।

(इसी मध्य असंतुष्ट होकर श्री प्रमोद कुमार व उनके दल के अन्य सभी सदस्य सदन त्यागकर चले गये)

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि उन्हें अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं अपने पद का कार्य भार ग्रहण किये हुए। वे इसके सभी पहलुओं को देखकर, छानबीन करके फैसला लूंगी। इस प्रकार

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की सूचना देकर सदन के समय का नितान्त दुरुपयोग है । प्रमोद कुमार जी ने मेरे किसी प्रश्न का उत्तर भी नहीं दिया तिवारी जी जैसे वरिष्ठ सदस्य से इस प्रकार की अपेक्षा नहीं है कि वह इस प्रकार की अनावश्यक सूचना देंगे । यह सूचना निरस्त की जाती है ।

सदस्यों को आवंटित होने वाले भवनों तथा अन्य सामानों के आवंटन हेतु आवास समिति के गठन के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, नियमावली के नियम–200 के अन्तर्गत सदन को अधिकार है कि वह समितियों का गठन कर सकता है, समितियां निर्मित कर सकता है । कुछ संवैद्यानिक बाध्यता नहीं है कि कितनी समितियां बनाये । अगर विधान सभा और विधान परिषद् में समितियों को देखा जाय तो विधान परिषद् में समितियां ज्यादा हैं । मान्यवर, इस प्रश्न को उठाने का अधिकार है क्योंकि यह माननीय विधायकों से जुड़ा प्रश्न है । अभी तक विधायकों को आवास आवंटन करने का अधिकार राज्य सम्पत्ति विभाग को है और यह विभाग माननीय सदस्यों को आवास आवंटित करता है । इस आवंटन प्रक्रिया से विधायकों में रोष रहता है क्योंकि उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं । आज भी विधायक जिस स्थिति में रह रहे हैं वह रहने लायक नहीं है । रोजाना विधायक अपनी समस्याएं लेकर विभाग में जाते हैं उसको वहां पर न तो सम्मान मिल रहा है और न ही उनकी समस्याओं का निवारण हो रहा है।

लोक सभा और राज्य सभा ने इसी मारे आवास समिति का गठन किया । कई राज्यों ने भी इस तरह से आवास समिति का गठन किया । यह समिति को अधिकार है कि वह अपनी प्रक्रिया का निर्धारण करे और मकानों का आवंटन करें । अभी तक तो जिस तरह से यहां पर आवासों का आवंटन होता है कि जो जिसको हराकर आता है उसका मकान उस को आवंटित कर दिया जाता है । यह अच्छा नहीं है । श्रीमन्, इस आवास समस्या के चलते ही वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों ने भी अपने यहां आवास समिति का गठन किया जो माननीय विधायकों के रहने का प्रबन्ध कर सके । इसी माध्यम से मैं यह प्रस्ताव लाया हूं और मैं चाहूंगा कि खुद संसदीय कार्य मंत्री इसमें अपनी सहमति देंगे । इसमें कोई बाध्यता नहीं है । कोई धन का खर्चा नहीं है । एक प्रक्रिया है कि विधान सभा की एक आवास समिति का गठन कर दिया जाय ताकि विधायकों में जो रोष है वह समाप्त हो सके और विधायकों को सुविधा मिल सके और इस समिति को यह पूरा अधिकार हो कि वह माननीय सदस्यों की शिकायतों को दूर कर सके ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय अग्रवाल साहब के सुझाव को मैं ठीक समझता हूं लेकिन आपके द्वारा जो निदेश हैं उसमें 94 में स्पष्ट है कि आवास समिति दोनों सदनों के सदस्यों को लेकर बनती है । इसमें यह संयुक्त समिति गठित करने का प्राविधान है । माननीय सदस्यों ने जिस तरह से सदस्यों की समस्याओं को इंगित किया है, उन समस्याओं के निराकरण हेतु ही यह समिति गठित होती है । इसलिए यह पहले से ही व्यवस्था

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है । यह जो औचित्य का प्रश्न उठाया गया है नियमों के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिए ग्राह्य करने योग्य नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जिस प्राविधान का जिक्र किया है.....

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य की सूचना पर दूसरे सदस्य बोल रहे हैं । इसका विषय सभी माननीय विधायकों से संबंधित है, इसलिए मैं आपको सुन रहा हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपकी अनुकम्पा है । मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि संयुक्त आवास समिति बनाये जाने का प्राविधान है । मान्यवर, संयुक्त समिति बन जाने के बाद एक वर्ष उसके सभापति विधान सभा के सदस्य होते हैं और दूसरे वर्ष विधान परिषद् के । इस तरह से अल्टरनेट तरीके से सभापति होते हैं । आवास संबंधी कोई नीति के अभाव में उस समिति को स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं है, उन अधिकारों के तहत जिन कष्टों की बात नरेश अग्रवाल जी ने उठाई है, जिन परेशानियों से सदन के सदस्य गुजरते हैं, आपके कक्ष में भी मान्यवर, अनेक बार हमने इन स्थितियों को रखा है, आपके समक्ष अपनी बात को रखा है, समस्याओं के निराकरण नहीं होते हैं तो क्या इस औचित्य के प्रश्न पर यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जायेगा और वह समिति नीति का निर्धारण करेगी और सदस्यों की समस्याओं का निराकरण करेगी ।

श्री अध्यक्ष–

नरेश चन्द्र अग्रवाल जी की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अस्वीकार किया जाता है । नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने जिन समस्याओं को रखा है उसमें मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठकर समस्याओं के समाधान ढूंढने का प्रयास करुंगा ।

श्री उदय राज और श्री दीनानाथ भास्कर की सूचना नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अस्वीकार किया जाता है ।

(व्यवधान)

अगली सूचना श्री शाकिर अली जी की है इन्होंने लखनऊ को प्रदूषण से मुक्त कराने हेतु टैम्पो का संचालन बन्द करने के संबंध में सूचना दी है यह नियम–300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसको अस्वीकार किया जाता है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम–56 के पहले इनको सुन लें इनका व्यक्तिगत मामला है ।

श्री अध्यक्ष–

समय आने दीजिए ।

(व्यवधान)

कार्यक्रम में बाधा उपस्थित न करें, यह ठीक नहीं है । कल तीन सूचनायें विद्युत की समस्याओं के बारे में आई थी तब मैंने एक घण्टे की चर्चा इस पर स्वीकार कर ली थी । इस समय 12.12 मिनट हुआ है महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है । नियम–56 की कुछ सूचनायें हैं । बहुत जल्दी उसका निस्तारण हो जायेगा ।

सदन के ध्वनि यंत्रों में खराबी पर व्यवस्था का प्रश्न

* श्री श्याम नारायण–

मान्यवर, यहां की ध्वनि व्यवस्था खराब है कान में लगाने वाला जो यंत्र आपने दिलवाया है उससे भी काम नहीं चल रहा है ध्वनि व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

अभी जब यहां अधिष्ठाता महोदय बैठेंगे तो मैं स्वयं पीछे बैठकर देखूंगा कितनी ध्वनि आ रहीं है कितनी कम है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के पूर्व विद्युत समस्या पर चर्चा कराये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष–

एक घण्टे की चर्चा विद्युत की है और कुँवर रेवती रमण सिंह जी का कहना है कि पहले चर्चा करा ली जाए । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा बाद में हो । आज जो नियम–56 की सूचना है जैसा कार्य-मंत्रणा समिति में तय किया गया है कि कल लेंगे अगर उचित समझें तो एक घण्टा चर्चा करा ली जाए या फिर दो घंटे सवा दो घंटे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करा लें उसके बाद 2.30 पर विद्युत की समस्या पर चर्चा करा लें कुछ माननीय सदस्यों का कहना था कि समय कम है एक घण्टे से ज्यादा विद्युत समस्या पर चर्चा करायें, तो यह साढ़े तीन चार बजे तक चलती रहेगी ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, नियम–315 में क्रम निर्धारण का आपका अधिकार है । आप जैसे चाहे क्रम निर्धारण कर सकते हैं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि कार्य मंत्रणा समिति में यह तय हुआ कि जो नियम–56 की सूचना होगी एक दिन पहले की होगी और दूसरे दिन ली जायेगी । बिजली की समस्या बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है । श्री राज्यपाल के अभिभाषण के पहले नियम–56 पर बात हो जाय उसके बाद महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करायी जाय । इसमें संसदीय कार्य मंत्री जी को क्या एतराज है ?

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने कृपापूर्वक बिजली पर चर्चा स्वीकार की । माननीय रेवती रमण सिंह जी वरिष्ठ सदस्य हैं, नियम–56 पर चर्चा होगी तो हम लोग फिर कैसे बोल पायेंगे ?

श्री अंध्यक्ष–

नहीं ऐसा नहीं है इसमें सब मिलाकर चर्चा होगी । मैं यह घोषणा करता हूं कि आज जो सूचनाएं आयी हैं वह कल ली जायेंगी । उसमें कौन सी स्वीकृत की गयी हैं यह देख लेंगे । 12.15 हुआ है । 1.20 बजे तक चर्चा कर लेते हैं । उसके बाद महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर लेंगे ।

सार्वजनिक उद्यम मंत्री (श्री लालजी वर्मा)–

माननीय अध्यक्ष जी, एजेन्डे को देखकर माननीय मंत्री जी को जवाब देना होता है । माननीय मंत्री जी इस समय उपस्थित नहीं हैं क्योंकि उनका समय बाद में आता इसलिए मैं चाहूंगा इस बात को ध्यान में रखते हुए 2.30 बजे से चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

हम आपसी सहमति बनाकर कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, इस पर चर्चा कराने के लिए कहीं कोई एतराज नहीं है । चर्चा स्वीकार भी हो गयी । आपको अधिकार है नियम–315 में क्रम निर्धारण कर सकते हैं । विद्युत पर चर्चा स्वीकार की गयी । माननीय विद्युत मंत्री जी यहां पर नहीं हैं । हो सकता है कि उनको कुछ और सूचना लेना हो वह गये हों । अतः आपसे अनुरोध है कि इसे 2.00 बजे से ले लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है, 2.00 बजे से ले लेते हैं । तब तक महामहिम श्री सज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा चलेगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपने व्यवस्था दी थी । माननीय लालजी वर्मा जी कभी इधर बैठते थे तो बड़े नियमों की बात करते थे । मैं मानता हूं कि अभी बैठे थे और 15 मिनट पहले ही ऊर्जा मंत्री जी गये हैं लेकिन

सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है । यहां पर कई मंत्री बैठे हैं । वह सुन लें । जवाब तो बाद ही में देना है तत्काल नहीं देना है । एक घण्टे के उपरान्त जवाब देना है । तो पहले इस पर बुलवा लें ।

श्री अध्यक्ष–

2.00 बजे ले लेते हैं । आपसी सहमति बना लें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, कल की सूचना है और आज तक माननीय मंत्री जी तैयार होकर नहीं आये हैं यह बड़ी विचित्र बात है । सामूहिक उत्तरदायित्व की जिम्मेदारी है । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हैं । 12.30 बजे से शुरू कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप ऊर्जा मंत्री के रूप में ठेजतर्रार माने जाते थे । सुविधा की बात है, इसमें कोई तकनीकी बात नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 21-5-2002 को नियम–56 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनाएं प्राप्त हुईं । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं चयनित की गयीं ।

1–श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–प्रदेश में पीने के पानी की भयंकर समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

2–श्री उदय राज, श्री माता प्रसाद पाण्डेय–उत्तर प्रदेश की नेपाल सीमा के पास स्थित जिलों में बढ़ती आई०एस०आई० की गतिविधियों के संबंध में ।

3–श्री प्रमोद कुमार, श्री जगदम्बिका पाल, श्री अरविन्द गिरि–प्रदेश सरकार द्वारा गेहूं के समर्थन मूल्य पर किसानों के गेहूं न खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं एकत्र नहीं की गयीं, अतः अस्वीकृत हुईं :–

1–श्री कौशल किशोर,

2–श्री शिव कुमार बेरिया,

3–श्री वसीम अहमद,

4–श्री किरनपाल सिंह ।

दिनांक 20 मई, 2002 की कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष–

एक और सूचना गेहूं के संबंध में माननीय किरनपाल जी की है ।

* श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, कल मैंने यह प्रश्न उठाया था कि प्रदेश के सामने यह एक ज्वलन्त समस्या है । गेहूं का जो समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति कुन्तल के हिसाब से प्रदेश सरकार ने किया है उस हिसाब से किसानों का गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है । मान्यवर, जितने गेहूं केन्द्र स्थापित होने चाहिए थे उसका 1/100 प्रतिशत भी क्रय केन्द्र स्थापित नहीं किये गये हैं । मान लीजिए एक लाख कुन्तल गेहूं खरीदना है और इंतजाम है एक हजार कुन्तल का तो यह कैसे संभव हो सकता है । जिन किसानों का गेहूं खरीदा गया है उन किसानों का पैसा नहीं मिला है, कहीं-कहीं चेक जरूर मिल गये हैं लेकिन वे भी कैश नहीं हो पाए हैं क्योंकि पैसा नहीं है । 15-15 दिनों तक किसान क्रय केन्द्रों पर लाइन लगाये रहते हैं । तंग होकर वे बेचारे मंडियों और व्यापारियों के पास पहुंच जाते हैं लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि जहां पर भी गेहूं की खरीद की जाती है वहां पर बिचौलिए हावी रहते हैं । एक-एक कुन्टल पर 100-150 रु० ले रहे हैं, जिन्होंने न गेहूं बोया है, न परिवरिश की है न उठाकर लाये हैं न खाद पानी लगाया है वह घर बैठे हुए हैं और थोड़ी देर पर 100 रु० कमा लेते हैं इससे किसानों में आक्रोश व्याप्त है । आपने जो व्यवस्था की है गेहूं खरीदने की राज्य के जो विभाग हैं उनके पास पैसा नहीं है एफ० सी० आई० को लिमिट बांध दी गयी है कि आधा स्टेट वाले करेंगे । जो सबसिडी एफ० सी० आई० देती है वह तनख्वाह में बंट जाती है । तो मैं जानना चाहता हूं कि जो आपकी एजेंसी गेहूं खरीद कर रही है पैसे देने की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं । जो आपकी राज्य की संस्था गेहूं खरीद रही है उनके पास पैसा नहीं है । और वह पैसा दे नहीं पायेंगे । आपकी कोआपरेटिव संस्थायें खरीद कर रही हैं अफसोस की बात है कि जितना किसानों पर सोसाइटी का कर्जा है सिर्फ उनसे गेहूं लिया जा रहा है ताकि एक किसान पर जो कर्जा है वह कर्जा पट जाये उस सीमा तक ही गेहूं लिया जा रहा है बाकी गेहूं वापस कर दिया जाता है । एक-एक किसान का सारा परिवार यह गेहूं देने पर लगा हुआ है उसके बच्चे सेन्टर पर खाना चाय पहुंचा देते हैं फिर भी गेहूं नहीं बिक रहा है बिचौलिये हावी हैं । आपके पास आंकड़े हैं कि अब तक किसानों का कितना पैसा दिया गया है ।

किसानों का पैसा राज्य सरकार से नहीं मिला है । एफ० सी० आई० के पास पैसा है बजट है उसकी लिमिट है 3-4 करोड़ रु० की लेकिन जो स्टेट की एजेंसी की बात है वहां उन्होंने लिमिट बांध रखी है आधा एफ० सी० आई० आधा स्टेट वाले लेंगे । सरकार जो गेहूं खरीदने का नाटक कर रही है उसको बन्द करे । सही मायनों में जितने केन्द्रों की आवश्यकता है उतने केन्द्र खुलवाये जायें केन्द्रों की संख्या बढ़ायी जाय जो आपके विभागों की लड़ाई है उसको दूर किया जाय किसानों के गेहूं खरीदने का पूरा इन्तजाम किया जाय । आज किसानों की कमर टूट चुकी है खाद के दाम, बिजली के दाम, पानी के दाम ट्रैक्टर के दाम बढ़े हैं, इन परिस्थितियों में तब जाकर किसानों ने अपनी पैदावार ली है और दूसरी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ओर गेहूं कि पैदावार इस बार कम हुई है । दाना जो फूलने के समय आता है पिचक गया है । और दूसरी ओर उसको आप लुटवा रहे हैं इससे ज्यादा शर्म की बात कोई और नहीं हो सकती है । सरकार इस सदन में घोषणा करे किसान के गेहूं का एक-एक दाना क्रय होगा और इसे आपको कार्य रूप देना होगा । इस खरीद के कार्य में आप कैसे सफल होंगे इसको आपको कार्य रूप देना होगा ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह कल की किरनपाल सिंह जी की सूचना पर, श्री सिंह अपनी बात कह रहे हैं । एक व्यवस्था को चलने दीजिये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह संवेदनशील मसला है .

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एक पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरन पाल जी ने जो नियम 56 में कल सूचना दी थी, जैसा कार्यमंत्रणा समिति ने निर्णय किया था उसके अनुसार आज शासन का उत्तर आ गया है । माननीय किरनपाल जी की अकेली सूचना कल नियम 56 में दी गयी थी, कुछ माननीय सदस्यों ने आज सूचना दी है । माननीय कमाल जी ने और कुछ लोग बता रहे हैं, जब वह आयेगी तो उसको सुन लेंगे । लेकिन आज, कल के नियम 56 की बात हो रही है ।

(विपक्ष के अनके सदस्य के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठें । कुछ तो व्यवस्थित ढंग से काम करिये । अभी सरकार का उत्तर भी नहीं आया है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, यह नियम 56 में ग्राह्य नहीं है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य चर्चा की मांग करते हुए सदन के वेल में आ गये)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं एक बजे तक के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(12 बजकर 32 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजे तक के लिये स्थगित कर दी। 01 बजे सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई।)

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, जैसा कि गेहूं खरीद के संदर्भ में नियम–56 के अन्तर्गत दी गई है, उस पर मैं अवगत करा रहा हूं। साथ ही साथ कुछ व्यवस्थाओं के बारे में, किसानों के हित में क्या निर्देश हैं, वह भी अवगत करा रहा हूं। पहले मैं बताना चाहूंगा कि यह सरकार पारदर्शिता के साथ पूरी तरह कृत संकल्प है, किसी भी तरह किसानों को अहित नहीं होने दिया जायेगा। अभी हमारे माननीय सदस्य ने केन्द्र खोलने के बारे में कहा, इसके संबंध में जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि जहां पर सम्मानित सदस्य अथवा जनभावनाओं के अनुरूप केन्द्र खोलने की बात हो, वहां पर केन्द्र अवश्य खोला जाय। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा कहा गया कि खरीद में अनियमितता की जा रही है, व्यवधान उत्पन्न किया जा रहा है, इसके लिये सरकार पूरी तरह सचेष्ट है और किसानों का हित सर्वोपरि रखकर यदि इस तरह के मामले संज्ञान में आयेंगे, उन पर कार्यवाही की जायेगी।

मैं माननीय सदस्यों को आमंत्रित करता हूं कि वह लिखकर दें, सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता अपनायेगी, किसानों के भुगतान के लिये भी। इस स्थिति में 7 करोड़ अग्रिम ऋण और 369 करोड़ कैश क्रेडिट में दिया गया है। यह भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कहीं जिलाधिकारी द्वारा केन्द्र खोलने के लिये, माननीय सदस्यों द्वारा सम्पर्क करने में दिक्कत हो, वह भी हमसे कह सकते हैं, कहीं पर भी इस तरह की अनियमितता नहीं होने दी जायेगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता अथवा शिकायत होने पर किसानों का हित सर्वोच्च रखते हुये कार्यवाही की जायेगी।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिये और कार्यवाही चलने दीजिये। यह सूचना माननीय किरनपाल जी की है। आप लोग बैठ जायें।

(श्री राम करन आर्य द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

नियम–56 की सूचना पर कौन पहले बोलता है, पहले यह बताइये।

श्री राम करन आर्य–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

लिखा नहीं जायेगा, बिना मेरी अनुमति के बोल रहे हैं।

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री किरन पाल सिंह–

जैसा अभी माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि यदि सदस्यों की कोई शिकायत है तो वह उसे हमारे यहां दर्ज करा दें । मान्यवर, यह सारे प्रदेश की समस्या है, सभी को इसकी जानकारी है । आपकी सरकार में बैठे हुए माननीय सदस्यों को भी जानकारी है और मंत्री जी को भी जानकारी है । जिलाधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे रखे हैं कि कोई नया गेहूं क्रय केन्द्र नहीं खुलेगा । हमने स्वयं जिलाधिकारी से बात की है, वह कहते हैं जब लखनऊ से सूचना आयेगी तब नया क्रय केन्द्र खुल सकता है । क्या इस तरह के कार्य के लिये आपके पास आना पड़ेगा ? क्या उसके लिये भी सरकार से मांग की जायेगी, यहां से अनुमति लेनी पड़ेगी ? यह आदेश क्यों नहीं दिये जाते कि जितनी आवश्यकता हो वे उतने क्रय केन्द्र बढ़ा लें । अब तक गेहूं क्रय का पैसा नहीं मिला है और उनके पास कितना रुपया है, इससे भी किसी का सरोकार नहीं है । इनके पास भण्डारण क्षमता भी नहीं है । यहां पर एक परम्परा डाली जा रही है, मंत्री जी कहते हैं कि हमें लिखकर दे दें, हमारे कमरे में आ जायें, यह गलत परम्परा है । यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों का शोषण न होने पाए और उसका भुगतान कराये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि किसान जितना भी गेहूं लायेगा, क्रय किया जायेगा । मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इसका कितना लक्ष्य रखा था ?

श्री अध्यक्ष–

माननीय किरनपाल सिंह की सूचना थी । माननीय संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य आ गया यदि और कोई शिकायत है और जैसा मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि इस संबंध में समुचित निर्देश और प्रभावी निर्देश भेज देंगे । यदि कोई विशेष प्रकार का निर्देश चाहते हैं तो उसका उल्लेख आप कर दें, संसदीय कार्य मंत्री उसे संज्ञान में ले लेंगे ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने सदन को भ्रमित किया है । हमें विशेषाधिकार की नोटिस देने का अधिकार है । इन्होंने कहा कि विधायक जहां भी लिखकर दे देंगे, सेण्टर खुल जायेंगे, जबकि जिलाधिकारियों को निर्देश हैं कि एक भी सेण्टर नहीं खोला जायेगा । [x x x] यह किसी भी रूप में उचित नहीं है । उत्तर प्रदेश में किसान का गेहूं समर्थन मूल्य पर एक दाना भी नहीं खरीदा गया ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में माननीय किरन पाल सिंह की सूचना है । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर ये बातें कह लेना ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, [x x x]

नोट:–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह धमकी न दीजिये, सदन नियमों से चलता है । अब आप बैठ जायें । यह न कहें [x x x] मैं स्थगित कर देता हूं । 1 बजकर 30 मिनट तक सदन स्थगित ।

(01 बजकर 10 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 01 बजकर 30 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी । 1 बजकर 30 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन्, कल नियम 56 में माननीय सदस्य किरनपाल सिंह जी ने गेहूं के क्रय के सम्बन्ध में जो सूचनाएं दी थी, आज उस सूचना पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी जो उसका उत्तर दे रहे थे, वह सही नहीं है । मान्यवर, कल की जो भी सूचना थी, पिछली बार की थी, सदन में नियम 56 के अन्तर्गत सूचना दी जाती थी उसके शुरू में सभी सूचनायें मंगा ली जाती थीं । कल की सूचना पर और इतने संवेदनशील प्रश्न पर जिससे पूरे प्रदेश के किसानों का सरोकार है, चाहे मान्यवर, सरकारी बेंचों पर बैठे हुए लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे हुए लोग हों सभी का इस तथ्य से सीधा-सीधा सरोकार है और मान्यवर, जो उत्तर सरकार की तरफ से आना चाहिये वह उत्तर नहीं आया । अगर विशेष सूचनाओं के माध्यम से या प्रश्न के माध्यम से कोई सवाल उठाये जाते हैं और सरकार उनका ठीक से उत्तर नहीं देती है बड़े ही गैर जिम्मेदाराना ढंग से उत्तर देती है ।

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से जो प्रश्न पूछे जा रहे थे, उसका भी उत्तर जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया वह भी संतोषजनक नहीं हैं । खासतौर से गेहूं क्रय केन्द्र के बारे में किसानों की समस्याओं के बारे में जैसा नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बातों में जिक्र किया था उनका भी जबाव इन्होंने ठीक ढंग से नहीं दिया । मान्यवर, मैं आपसे सिर्फ दो अनुरोध करना चाहता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी को आप निर्देशित कर दें अगर आप उनको समय देना चाहे तो समय दे दें लेकिन कल तक पूरी सूचनाओं का जवाब निश्चित रूप से मिल जाना चाहिये । इस तरह से एक-एक सदस्य को अपने कक्ष में बुलाकर कहने के बजाए पूरे प्रदेश की स्थिति के बारे में मान्यवर, इनको अवगत करा देना चाहिये । अगर चाहें तो जिलों के कलेक्टर से ये मान्यवर, ये सारी सूचनाएं ले लें ताकि अपने-अपने जिलों के बारे में माननीय सदस्यों को पूछना न पड़े । एक अनुरोध करना चाहता हूं मान्यवर, अनेक अवसरों पर माननीय मंत्री जी ने कहा कि आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे कक्ष में आ जायें । संबंधित मंत्री पूरी सूचना इस सदन में उपलब्ध कराने की कृपा करें । आज दे सकते हैं तो स्वागत है । आज नहीं दे सकते तो समग्र सूचना कल मांग लें लेकिन पूरी सूचना जिलेवार दे दें ताकि कोई संदेह और संशय की गुंजाइश न रह जाय ।

श्री अध्यक्ष–

यह जो विषय सदन के सामने आया, एक माननीय सदस्य किरन पाल सिंह जी की नियम–56 की सूचना के आधार पर आया है । माननीय किरन पाल सिंह जी ने जो सूचना दी थी यह मुख्यतया बुलन्दशहर जनपद से संबंधित थी । फिर दो वाक्य भूमिका के लिये हैं कि प्रदेश के किसानों की गेहूं का

नोटः–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

फसल खेत और खलिहानों से घर आ गयी है । सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों को समर्थन मूल्य 620 रुपये प्रति क्विंटल दिया जायेगा । परन्तु दुःख की बात यह है कि प्रदेश में सरकार ने घोषणा तो कर दी लेकिन गेहूं उत्पादक किसानों के साथ घोर अन्याय हो रहा है । उसके बाद अगले वाक्य से जनपद बुलन्दशहर की बात कही है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर देते समय उसका भी उल्लेख किया तथा कुछ और भी आश्वासन दिये । नियम–56 की सूचना पर जिस माननीय सदस्य की सूचना होती है उसको बोलने का अवसर दिया जाता है । चूंकि विषय ऐसा था इसलिये मैंने अनुरोध किया था कि माननीय मंत्री जी आवश्यक निर्देश दे दें । अभी हमारे कई माननीय सदस्य अपने विचार अपने-अपने जनपद की समस्याओं के बारे में उल्लेख करना चाहेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है । मैं दो चीजें चाहता हूं एक तो जैसा कि माननीय उप नेता समाजवादी पार्टी ने बात कही है कि माननीय सदस्य जो कोई बात कहना चाहते हैं तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी उसका संज्ञान ले लेंगे । दूसरी चीज यह है कि सदन की कार्यवाही व्यवस्थित ढंग से चले, एक घण्टा स्थगन में चला गया, इसका मुझे दुःख है । मैं चाहता था कि कल, परसों जैसे सदन चला है उसी तरह से सदन चले और इसका समय नष्ट न हो । अभी महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होनी है । अनेक माननीय सदस्य अपने क्षेत्र की, न केवल गेहूं से संबंधित समस्याओं को उठाने का प्रयास करेंगे बल्कि अन्य समस्यायें भी होंगी इसलिये माननीय खाद्य मंत्री जी भी उपस्थित रहें और जो माननीय सदस्य गेहूं के संबंध में अपने जनपद की बात करें उसका संज्ञान ले करके वह भी इस पर आवश्यक कार्यवाही करें । इससे दोनों काम हो जायेंगे । श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा भी और उनकी बात भी । इसके अतिरिक्त कभी-कभी यह हो जाता है कि सदन में माननीय मंत्री जी के पास सूचना एकत्र नहीं होती है, एकायक प्रश्न आ जाता है तो यह आशा नहीं की जानी चाहिये कि तुरन्त ही उत्तर मिल जायेगा । एक-दो माननीय मंत्री ने कहा है कि कक्ष में आकर बता दीजिये । माननीय मंत्री जी कहते थे इनकी बात का संज्ञान ले रहे हैं और लिखित सूचना आ जाती है तो उस पर कार्यवाही हो जाती है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने कृपा-पूर्वक इस बात का संज्ञान लिया । यह बहुत ही गम्भीर समस्या है । तमाम माननीय सदस्यों से संबंधित है । कल माननीय मंत्री जी इस विषय पर अपना वक्तव्य दे देंगे कि पूरे प्रदेश की क्या स्थिति है । कितना गेहूं क्रय किया गया, कितना बाकी है, कितने पैसे का वितरण हुआ है और कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं तो बात स्पष्ट हो जायेगी और ज्यादातर माननीय सदस्यों का समाधान हो जायेगा ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, अभी माननीय किरनपाल सिंह जी नियम–56 में सूचना लाये । मैंने जो सूचना दी उसके आधार पर कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं । मैं बता रहा था कि हमारा लक्ष्य कितना है, कितना खरीदा गया है, कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं, गेहूं भण्डारण की समस्या है या भुगतान की समस्या है माननीय सदस्य मेरी बात सुन ले, अभी मैंने शुरू किया है । उधर भी किसान हैं और हम लोग भी किसान हैं । यह सरकार किसानों के लिये कटिबद्ध है, पारदर्शी है । मैं बताना चाहता हूं कि 25 लाख

क्विंटल के अगेंस्ट 98,93,400 मीट्रिक टन की खरीद की जा चुकी है । जो भंडारण की समस्या थी उसको हल कर लिया गया है । हमारा जो एन० पी० योजना के अन्तर्गत गेहूं जा रहा है उसके भण्डारण की समस्या नहीं है । हमारे पास जनपद वार सूचना है कि कितनी भण्डारण क्षमता है और कितना खरीदा गया है और कितना भुगतान किया गया है ।

श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, स्पेसिफिक सूचना मंत्री जी नहीं दे रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, यह सरकार संवेदनशील है अगर कहीं पर भुगतान में या भण्डारण में अनियमितता है तो उसको दिखवा लिया जायगा ।

(शोर)

मान्यवर, पहले माननीय सदस्य सुन तो लें । अगर नहीं सुनेंगे तो पता कैसे लगेगा ? किसानों को गेहूं का न्यूनतम मूल्य दिलाया जा रहा है । किसानों के गेहूं के भण्डारण की समस्या को हल कर दिया गया है ।

नेता विरोधी दल (श्री मो० आजम खां)–

मान्यवर, यह बड़े अफसोस की बात है कि सरकार ने प्राथमिकतायें तय नहीं की हैं । सरकार को किसानों के मामले में मुस्तैदी से जितना जवाबदेह होना चाहिये था जितना संवेदनशील होना चाहिये था जितनी सरकार की तैयारी होनी चाहिये थी जो जवाब आना चाहिये था वह जवाब नहीं आया इधर बैठे हुये लोगों की फिक्र है कि किसान की लूट हो रही है । हम चाहतें है कि मामला सुलझे, हम नहीं चाहते कि सदन से वाकआउट हो । अगर वाकआउट होता है तो उसकी जिम्मेदारी आप पर नहीं है और हम पर नहीं है यह जिम्मेदारी सत्तापक्ष पर होगी । यह जानकारी नहीं आ रही है कि किसानों के हित को नजरअंदाज नहीं किया जायगा । आज किसान की लूट हो रही है । बिचौलिये 50 से 100 रुपये खा रहे हैं, केन्द्र नहीं खोले गये हैं । एक तो किसानों पर कुदरत की मार पड़ी है किसान के गेहूं का वजन कम हुआ है दूसरी तरफ बिचौलिये किसानों का पैसा खा रहे हैं और किसान को समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है । हम चाहते हैं कि बात आगे न बढ़े और इसको लेकर सदन स्थगित न हो । सरकार कल तक जवाब दे दे । जैसा कि उप नेता ने बात रखी है कि कितने क्रय केन्द्र खोले गये हैं, कितना पैसा दिया जा रहा है कितना पैसा बकाया है, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि यह चलन बदला जाय, यह अल्फाज बदले जायें, यह कभी-कभी तो कहा जा सकता है कि कक्ष में आइये और बात कर लीजिये लेकिन हर सवाल पर यह कहना कि आइये हमसे बात कर लीजिये ठीक नहीं है । आपके पास कितने सदस्य जायेंगे और आप कितने सदस्यों से बात करेंगे । यह सरकार कल तक वक्तव्य दे सकती है तब तो हम समझेंगे कि यह किसानों के हित की सरकार है वरना यही समझा जायेगा कि यह किसान विरोधी सरकार है । अभी थोड़ी देर पहले कानून व्यवस्था पर भी इसी तरह से जवाब आया था सरकार की तरफ से जिस प्रदेश में न कानून व्यवस्था हो न किसानों के हित की कोई बात हो इसीलिए मैं कहता हूं कि यह टेक्निकल गठजोड़ है यह प्रदेश के किसानों की भलाई के लिए नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

अध्यक्ष पीठ के सामने केवल इतना प्रश्न है कि किस विषय पर किस नियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए कभी सत्ता पक्ष के उत्तर से विपक्ष संतुष्ट हो जाता है कभी संतुष्ट नहीं होता है । हम तो नियम-56 की बात कर रहे हैं इसको आप नियम-56 की परिधि में ही रहने दीजिए ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बैठने पर व्यवधान)

श्री रामविशुन आजाद–

केवल कागजों पर खरीद हो रही है ।

गेहूं क्रय में अनियमितता एवं धांधली विषयक कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की मांग

श्री जगदम्बिका पाल–

यह कार्य स्थगन का जो प्रस्ताव है वह सुसंगत नियमों के अन्तर्गत दे रखा है । जो स्वीकार भी हो गया है । इस समय प्रदेश में 4,223 खरीद केन्द्र खोले गये हैं जैसा कि मंत्री जी ने बताया आज 10 लाख 22 हजार 182 मी० टन की खरीद भी हो चुकी है यह भी बताया कि 389 करोड़ 65 लाख रुपए किसानों का बकाया है । तो इसका भुगतान कब तक करा देंगे । जनपदों में भण्डारण की दिक्कत आ रही है । 10 लाख मी० टन से ज्यादा भण्डारण क्षमता नहीं है 25 लाख मी० टन का लक्ष्य है । 10 लाख मी० टन सेन्ट्रल पूल में जायेगा तो बाकी गेहूं कहां रखेंगे । बरसात आने वाली है । खुले आसमान में गेहूं रखा नहीं जायेगा । खरीददारी हो नहीं रही है । जिलाधिकारियों को निर्देश दे रखा गया है कि 4,223 से ज्यादा खरीद केन्द्र न खोले जायें । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । श्री किरनपाल के प्रश्न पर मंत्री जी का वक्तव्य आ गया है । इस पर हम लोगों के स्पष्टीकरण का उत्तर नहीं आया । किसानों को बिचौलियों से बचाने के लिए सरकार कौन से उपाय सुनिश्चित करेगी । कल इस सब पर वक्तव्य आ जाये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पाल साहब ने जैसा कहा इस पर कल चर्चा करा लें ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 की सूचना मेरे सामने है । मेरे सामने प्रश्न यह है कि कब किस नियम के अन्तर्गत सूचना स्वीकार की जाए । आप चर्चा की बात कर रहे हैं तो आप इसको लिखकर दे दीजिएगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

आपको अधिकार है कि किस नियम के तहत सुन लें । यह नियम 300 और 56 दोनों में ही स्वीकार है चर्चा के लिए । हम चाहते हैं कि कल इस पर चर्चा हो जायें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है ।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, जब स्थिति स्पष्ट करने के लिये कि जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने भी जानना चाहा । मैं सूचना देना चाहता हूं मैंने कहा तो उन्होंने कह दिया नहीं-नहीं । मान्यवर, यह तैयार नहीं हैं सुनने के लिये । दूसरा इस सूचना पर जिसमें कि अपेक्षाएं हैं सरकार से कि वह गेहूं की खरीद, उसके भण्डारण आदि की क्या व्यवस्था कर रही है, उसमें किसानों को जो दिक्कत हो रही है, उसके लिये सरकार से जो मांग किया है कि सरकार क्या कर रही है ? मान्यवर, तो जब मैं बताना चाहता था तब तक यह स्थिति उत्पन्न कर दी जाती है हम कुछ नहीं कह पाते हैं ।

(व्यवधान)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

स्थिति पैदा कर दी जाती है । मान्यवर, यह तो आरोप है । माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी बता दें कि इनको सूचना है कि किसान का गेहूं 620 रुपये से कम में खरीदा जा रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

स्वाभाविक रूप से नहीं होगी इस समय । इस समय एक सूचना का उत्तर दे रहे हैं ।

श्री सुखदेव राजभर–

मान्यवर, हम कहना चाहते हैं कि किसानों के हित में समस्याएं यहां पर कही गई हैं, किसानों का हित सर्वोपरि है और हमारी सरकार संवेदनशील है । जिन सूचनाओं के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है कि कहीं पर गेहूं खरीद में अनियमितता हो रही है, बिचौलिये परेशान कर रहे हैं, पैसा खा रहे हैं, सरकार ने कितनों का भुगतान कर दिया है और कितना बकाया है, भण्डारण में कहीं समस्या है । इसके बारे में कहा गया कि सूचना दे दें । मैंने कहा कि जनपदवार सूचना है मेरे पास । मैं सूचना दे रहा हूं, दे सकता हूं और उसमें यहां पर स्थिति ऐसी बन गई । इस पर काफी चर्चा भी हो गई ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चर्चा उस अर्थ में कह दिया कि इतने लोगों ने अपनी बात कह दी है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

अध्यक्ष जी आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी आपने सूचना स्वीकार की है । यह स्वतः भ्रमित हैं या भ्रम फैलाना चाह रहे हैं । कृपया माननीय अध्यक्ष जी से पूछकर अपना ज्ञानार्जन कर लीजिये ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई भी माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना बोलेंगे तो लिखा नहीं जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने नियम–56 में अपनी सूचना दी । आपने इनको अपनी बात नियम–56 में कहने की छूट दे दी । अब आप बतायें कि यह नियम–56 में कैसे लिया जाय या न लिया जाय । मैंने ऐसे अवसरों पर देखा है कि नियम–56 की सूचना की ग्राह्यता पर जब आप सुनते हैं और सुनने के बाद यदि महत्वपूर्ण मानते हैं तो सरकार को उसका वक्तव्य देने के लिये निर्देश देते हैं । किसी सूचना का महत्व नहीं समझते हैं तो सरकार को कार्यवाही करने के लिये निर्देश दे देते हैं । कई बार ऐसा हुआ है कि नियम–56 में वक्तव्य देने के लिये सरकार को निर्देश, आपने दिया है । यह महत्वपूर्ण मामला है । प्रदेश स्तर का है, सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला है इसलिये मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन कर रहा हूं कि सारे सदन की भावनाओं को देखते हुए माननीय मंत्री जी से वक्तव्य देने का निर्देश करें ।

श्री सुखदेव राजभर–

अनियमितता बरती गयी है, उसमें क्या कार्यवाही की गयी है इसकी सूचना मेरे पास है ।

श्री अध्यक्ष–

काफी लम्बा ब्यौरा हो जाएगा । नियम–56 के बारे में, किरनपाल सिंह जी की सूचना पर कल सरकार की ओर से उत्तर आ जायेगा, नियम–56 में अगर कोई उत्तर दिया जाता है और उससे माननीय सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, माननीय सदस्य कहते हैं कि चर्चा हो जाए, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने संक्षेप में उत्तर दिया, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो उत्तर है तो इसको आप कल विभिन्न जनपदों के जो आंकड़े हैं कल इसको छपवाकर माननीय सदस्यों में बंटवा दें इससे माननीय सदस्यों को जानकारी हो जायेगी उसके बाद यदि कोई माननीय सदस्य असंतुष्ट होता है, या कोई जानकारी चाहता है तो उसको देख लिया जाएगा ।

(मेजें थपथपाई गई)

जो सूचना आपके पास है उसको आप कल लिखित रूप में बंटवा दें ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, गेहूं खरीद पर मेरी भी सूचना है ।

श्री अध्यक्ष–

आज आपकी सूचना आयी है इस पर तो कल उत्तर आएगा ।

श्री अरविन्द गिरि–

एक आवश्यक सूचना है साथ ही मैं कल इसका भी उत्तर आ जाएगा तो बेहतर होगा गेहूं के जो क्रय केन्द्र हैं वहां बहुत अनियमितता हो रही है ।

श्री अध्यक्ष–

कल आ जाएगा इसको भी देख लेंगे ।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, तहसील मोहम्मदी पिपरिया कप्तान है यहां पर जो दो क्रय केन्द्र स्वीकृत हुए हैं उस स्थान पर यह क्रय केन्द्र न खोलकर 5-6 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में खुलवा दिये हैं कल इस पर भी सूचना आ जाए ।

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा 20 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री अध्यक्ष–

संज्ञान ले लिया जाएगा ।

दो बजे से विद्युत पर चर्चा रखी गयी थी । दो मिनट बाकी है । दो मिनट पहले ही शुरू कर देते हैं।

(श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप इस विभाग के बारे में अच्छी तरह जानते हैं । आप ही प्रारम्भ करें ।

(हंसी)

श्री जगदम्बिका पाल–

श्रीमन्, आपने मेरे प्रश्न पर विद्युत की चर्चा मंजूर की थी तो चर्चा मुझसे प्रारम्भ कराई जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

जिस प्रश्न पर चर्चा स्वीकार हुई वह जगदम्बिका पाल जी का था, पाल जी की नियम 56 की सूचना थी बाजपेयी जी की नियम 51 में थी सबको समेकित करके चर्चा हो रही है । माननीय पाल जी का पहला प्रश्न था पहले यह बोल लें इसमें कोई हर्ज नहीं है लेकिन तीन बजे चर्चा समाप्त करके महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा प्रारम्भ होनी है । माननीय सदस्य संक्षेप में चर्चा करें तो ठीक रहेगा ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अपने प्रदेश की सर्वाधिक ज्वलन्त और महत्वपूर्ण समस्या जिससे प्रदेश की सम्पूर्ण जनता जूझ रही है किसान,मजदूर, नौजवान अस्पताल में भर्ती मरीज, शहरों में रहने वाले लोग हैं विद्यार्थी, नागरिक सरकारी कार्यालयों में बैठने वाले कर्मचारी हैं, आज का तापमान 48 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है । मान्यवर, विगत कई वर्षों में जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है जिसके कारण विद्युत संकट से प्रदेश की जनता को विद्युत की कठिनाई हो रही है (इस समय 2 बजे अधिष्ठाता श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी" पीठासीन हुए) तो विद्युत संकट के कारण पेयजल की समस्या उत्पन्न हो गयी है । उत्तर प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा झांसी मण्डल और चित्रकूट मण्डल में गर्मियों में वहां भूगर्भ में पानी का जल

स्तर नीचे चला जाता है । वहां के तालाब और कुएं सूख जाते हैं । हालत यह होती है कि वहां पर टैंकरों से पानी पहुंचाना पड़ता है । आज वहां पर तापमान 48 डिग्री सेन्टीग्रेड तक पहुंच गया है और दूसरी तरफ विद्युत कटौती हो रही है । इस ज्वलन्त मुद्दे पर हम कल्पना करते थे, श्री राज्यपाल का जिस समय शासन था उस समय अचानक विद्युत संकट उत्पनन हुआ जिसके कारण प्रदेश की राजधानी सम्पूर्ण लखनऊ में कटौती शुरू हुई । उत्तर प्रदेश में जहां तीन चार घंटे कटौती हो रही थी वहां 8 घंटे हो रही है और उसके बाद लो शेडिंग हो रही है, पावर शेडिंग हो रही है । 12-14 घंटे या सारी रात भर बिजली नहीं आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में । बिल तो आ रहे हैं लेकिन विद्युत नहीं आ रही है और लोग विषम परिस्थितियों में जूझ रहे हैं उन किसानों के लिए अतिरिक्त विद्युत की व्यवस्था की जानी चाहिए थी लेकिन वह नहीं कर पा रहे हैं । एन० टी० पी० सी० ने पैसे की मांग उठायी कि राज्य विद्युत परिषद् यदि भुगतान करेगा तो हम बिजली देंगे अन्यथा नहीं देंगे ।

राज्यपाल के शासन के बाद एक सरकार का गठन हुआ और उसके गठन से प्रदेश की जनता को मुक्ति न मिले तो प्रदेश की लोकप्रिय सरकार, कल्याणकारी सरकार जी को प्रतिबद्धताएं हैं उनके प्रति जवाबदेह कौन है ? सबसे बड़ी जवाबदेही जनता के प्रति बुनियादी समस्याएं हैं । उन्हें पेयजल की समस्या से निजात मिल सके, विद्युत के संकट से निजात मिल सके । आज अस्पतालों में बिजली के न होने से आपरेशन नहीं हो रहे हैं, लखनऊ के मेडिकल कालेज में नहीं हो पा रहे हैं । जिलों के अस्पतालों में कहेंगे तो जनरेटर हैं लेकिन वहां पर डीजल नहीं है तो आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बतायें कि क्या यह उत्तर प्रदेश की नियति बन गयी है । सुबह पांच बजे उठते हैं तो बिजली चली जाती है । यह दस्तक देती है । बिजली की कटौती के कारण उठता है तो वह अंधेरे में टटोलता है । पानी भी नहीं आ पाती है जिस समय शाम को खरीददारी के कारण बाजार में जाता है तो उस समय सारा शहर अन्धेरे में डूबा रहता है तो यह कितने शर्म की बात है कि आजादी के इतने साल बाद भी पूरा उत्तर प्रदेश अंधकार में डूबा हुआ है । अभी हमारे साथ नरेश अग्रवाल जी बतायेंगे कि हमने दस घंटे के निर्देश दिये थे, कांग्रेस की सरकार थी तो 24 घंटे बिजली आती थी, उस समय प्रमोद कुमार जी ऊर्जा मंत्री थे ।

(सदस्य श्री जटाशंकर जी के खड़े होकर बोलने पर)

श्री जगदम्बिका पाल–

माननीय जटाशंकर जी आप तो कृपया न बोलें ।

* श्री जटाशंकर सिंह–

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में इनके विधायक इस्तीफा दे रहे हैं ।

श्री जगदम्बिका पाल–

मध्य प्रदेश के विधायक अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो यह उनकी गैरतमंदी है । अगर आपमें भी जरा सी गैरतमंदी बची हो तो आप लोग अपना इस्तीफा दो । मैं आप लोगों की पीठ थपथपाऊंगा । मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आज उत्तर प्रदेश में कोई ओब्लीगेशन इस सरकार का नहीं है। यह सरकार का विभाग नहीं रह गया है यह एक कामर्शियल आरगेनाइजेशन है। इसकी उपभोक्ताओं के प्रति जवाबदेही होती है। जब आप पैसा लेते हैं तो विद्युत देने की जिम्मेदारी किसकी है। इस जिम्मेदारी से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बच सकती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस सरकार गयी है तब से क्या विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है ? जो हमारे हाइड्रो के पावर स्टेशन हैं वे उत्तरांचल में चले गये। अगर 800 मेगावाट बिजली की व्यवस्था करनी हो तो 400 करोड़ रुपया कहां से आएगा ? मैं कहना चाहता हूं कि 800 मेगावाट विद्युत जनरेट करना हो तो 3200 करोड़ रुपया इनके पास नहीं है। इन्हें फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन्स से पैसा लेना चाहिए। अगर निजी क्षेत्र उत्पादन नहीं बढ़ायेगा तो प्रदेश की विद्युत समस्या कैसे सुधरेगी ? आज मरीजों को निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ता है, अगर हमारी किसी बहन को प्रसव पीड़ा है तो उसे निजी नर्सिंग होम का सहारा लेना पड़ता है क्योंकि आपरेशन की सुविधा विद्युत के कारण बाधित है। ऐसे में अगर निजी नर्सिंग होम में आपरेशन होता है तो 8–10 हजार रुपये का खर्चा आ जाता है कहां से चुकाएगा गरीब मजदूर ? उसे मजदूरी नहीं मिल रही है। मोहल्लों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अगर कोई ट्रांसफार्मर खराब हो गया है तो उसे बदला नहीं जा रहा है। महीना भर हो जाता है फिर भी वह नहीं बदला जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने ट्रांसफार्मर बदलने के लिए कितना पैसा दिया है ?

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर आप वित्त मंत्री होते तो सही रहता आप समझते लेकिन हमें पीड़ा है। अगर आप वित्त मंत्री होते तो आप प्राथमिकता के आधार पर जले हुए ट्रांसफार्मरों को ठीक करवाते।

श्री अधिष्ठाता–

3.00 बजे तक का समय है इस पर चर्चा करने के लिए। अगर 5-5 मिनट देंगे सभी सदस्यों को तो ही इसे पूरा कर सकेंगे। अन्य वक्ताओं को भी बोलना है।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, सरकार ने जो निर्देश दे रखा है जिला मुख्यालयों को 16 घंटे बिजली देने का निर्देश है तो कम से कम जिला मुख्यालयों को 16 घंटे बिजली मिले। सायंकाल 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जिला मुख्यालयों और तहसील मुख्यालयों पर बिजली नहीं है। जितने कस्बे हैं जिनकी आबादी 1 लाख और डेढ़ लाख से ऊपर हो गयी है वहां बिजली के अभाव में कानून–व्यवस्था की स्थिति खराब बन सकती है वहां पर रात को बिजली नहीं मिलेगी तो क्या होगा। गांवों में स्थिति यह है कि अभी भी बहुत से किसान मड़ाई का कार्य कर रहे हैं आप गांव में बिजली देने के उपाय सोचें। आप तत्काल जनरेशन की बात नहीं कर सकते हैं तो एन० टी० पी० सी० से, जो राज्यपाल शासन से पहले लेते थे, वह आयात करें, आप इस बात का आश्वासन सदन को दें।

श्री अधिष्ठाता–

कठिनाई से सब माननीय सदस्य अवगत हैं इसमें समाधान के सुझाव दे सकेंगे तो ज्यादा कृपा होगी ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, इस समय जो बिजली की समस्या प्रदेश में उत्पन्न हुई है वह सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण हुई है । ऐसा नहीं है कि पहले समस्या नहीं रही और समस्या का निवारण नहीं हुआ था । तमाम बार बिजली की समस्या पर गम्भीर चर्चा हुई और समस्या का निवारण भी हुआ । मान्यवर, उत्तरांचल राज्य के बटवारे के समय यह बात जरूर आयी थी कि उत्तरांचल के बटवारे के बाद उत्तर प्रदेश में स्थापित क्षमता बहुत कम हो जायेगी उसे कैसे पूरा किया जायेगा । जब उत्तरांचल का बटवारा हो रहा था उस समय बात थी कि बटवारे के समय परिसम्पत्तियों का बटवारा न हो, एक हजार मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिकसिटी की केपिसिटी है । भविष्य में उत्तरांचल में जो परियोजनायें लग रही हैं चाहे विष्णु प्रयाग हो, लखवाड़ व्यासी हो, मनेरी भाली हो, आदि उसमें उत्तर प्रदेश का हित कैसे समायोजित रहे । आज इस सरकार के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण उत्तरांचल सरकार ने सारे हाइड्रो पावर पर कब्जा किया है जो 34 पैसे प्रति यूनिट बिजली मिल रही थी वह उत्तरांचल सरकार की हो गयी है । जो यथास्थिति बनाये रखने की बात थी, उस स्थिति से निकलने के बाद उत्तरांचल राज्य को सरप्लस बिजली देनी चाहिये थी, उसने दिल्ली सरकार से पी० पी० ए० साईन कर लिया और हम चुपचाप बैठे रहे । महामहिम राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन के दौरान यह निर्णय लिया कि एन० टी० पी० सी० से बिजली नहीं लेंगे । तीन हजार मेगावाट का सेन्ट्रल शेयर जो सस्ती बिजली 90 पैसे से लेकर 2 रु० यूनिट तक मिल रही थी जिसका ऐवरेज 1.50 रु० आ रहा था, उस पर निर्णय नहीं हुआ । एन० टी० पी० सी० उत्तर प्रदेश के पीछे चक्कर लगा रही थी कि दो रु० में 500 मेगावाट एक्सट्रा बिजली ले लें ।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी जो आप गांवों को 8 घंटे बिजली देने की बात कह रहे हैं दो घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है इसी प्रदेश में गांवों को 12 से 16 घंटे तक बिजली मिली है । तीन फेज का 2 फेज करके बिजली दी गयी है । आज आपकी सेन्ट्रल शेयर सेक्टर में इंस्टाल्ड केपिसिटी 500 मेगावाट रह गयी है । नये पावर स्टेशन में क्षमता बढ़ाने की बात हुई थी । मा० ऊर्जा मंत्री जी पनकी और पारीक्षा में लिये । जो केबिनेट ने पास किया था ? जिसके लिये बी० एच० ई० एल० को आर्डर देने की बात हुई थी उसकी आज क्या स्थिति है । तो ओवरा की क्या स्थिति है, पीएलएफ कितना है और कैसे बढ़ायेंगे ? मांग हमारी 5500 से 6000 मेगावाट हो गयी, हमारी उत्पादन क्षमता ही 4 हजार मेगावाट है आप 4 हजार का 60 प्रतिशत भी कर लें तो रिकार्ड उत्तर प्रदेश का हो जायेगा । हम 50-51-52 पर पीएलएफ का उत्पादन कर रहे हैं जिससे जनरेशन 2500 मेगावाट आ रहा है । इतनी बड़ी गर्मी पड़ रही है और हमने 3 हजार एन०टी०पी०सी० का छोड़कर डेढ़ हजार इम्पोर्ट करने का फैसला ले लिया । हम अपनी कमियों को छुपाने के लिए जनता को दण्डित करें यह कहां का न्याय है ? आपकी वसूली कम हो रही है । तो वसूली को बढ़ाने का कर्तव्य किसका है, आपका उत्पादन घट रहा है तो उत्पादन को बढ़ाने का कर्तव्य किसका है ? ऊर्जा रिफार्म 2000 में लागू किया गया 2005 में पूरा होगा लेकिन कमिटमेंट न पूरा होने के कारण यह 2007 तक चला गया अगर यही स्थिति रही तो यह 2010 तक,

2012 तक चला जायेगा । एक सरकार का बयान आया, मुख्य मंत्री जी ने समीक्षा किया तो उन्होंने कह दिया निजीकरण को बढ़ाया नहीं दिया जायेगा ।

विश्व बैंक से आप 200 करोड़ के एवज में डेढ़ सौ करोड़ रुपया ड्रा कर चुके हैं । अगर आपने विश्व बैंक की शर्त नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्र में मिलने वाली सहायता बन्द हो जायेगी क्योंकि विश्व बैंक ने उस समय तत्कालीन सरकार के ऊपर इस बात की शर्त रखी थी कि ऊर्जा में रिफार्म करेंगे तो विश्व बैंक सड़क, स्वास्थ्य, वन और सिंचाई के क्षेत्र में सहायता देगा । मुझे याद है कि विश्व बैंक की उपाध्यक्ष आई थी उत्तर प्रदेश में और उन्होंने अपना बयान दिया था कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप है तो उस समय हमने भी बयान दिया था कि विश्व बैंक लोन दे सकता है राजनीतिक बातें नहीं कह सकता । मैं इस सरकार से 4 चीजों को बताना चाहता हूं । कैसे उत्तर प्रदेश को बिजली मिले ये उसके नियम की घोषणा करें, कौन सी ऐसी नीति बनाई है कि जो आज जिला हेडक्वार्टर को 16 घन्टे बिजली देंगे आप 12 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं और आप स्वयं जानते हैं कि तहसील को 8 घन्टे भी बिजली नहीं दे पा रहे हैं । आनपारा 208 की यूनिट बन्द हो गयी । आनपारा 'सी' की योजना खटाई में पड़ी है, भविष्य में क्या निर्णय लेंगे । जापान के ऊपर डिपेन्डन्ट हैं । आनपारा 'सी' जो पहली प्रारिटी पर था । आज छठी प्रारिटी पर चला गया यह उत्तर प्रदेश सरकार की कहीं पर कमी रही अगर जापान खोलेगा तो आनपारा छठी प्रारिटी पर आयेगा तो बिजली कैसे मिलेगी, उत्पादन कैसे बढ़ायेंगे जो निर्णय पूर्व सरकार ने लिया था उसको यह सरकार पूरा करेगी या नहीं और एन०टी०पी०सी० से अपने शेयर को क्यों नहीं लेंगे । मालूम हुआ था कि एन०टी०पी०सी० ने कहा था कि बिजली नहीं देंगे । यह तो उनका कमिटमेन्ट है हमारे उत्तर प्रदेश को सेन्ट्रल शेयर मिलता है, हमको एन०टी०पी०सी० को बाध्य करना चाहिए । एन०टी०पी०सी० रेलवे को सीधे बिजली सप्लाई करने लगा जबकि ऐक्ट के अनुसार वह सीधे बिजली सप्लाई नहीं कर सकता लेकिन हमने कोई कार्रवाई नहीं की । तों हम इस चीज का दबाव डाले यह जरूरी है कि उत्तर प्रदेश को बिजली मिले । आपकी अक्षमताओं को दण्ड जनता को मिले यह कहां उचित है । तो ऊर्जा मंत्री इस पर प्रकाश डालते हुए कि जनता को कैसे बिजली मिलेगी उत्तर प्रदेश को कैसे बिजली उपलब्ध करायेंगे, इसको बतायें ।

*डा० अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज पूरा प्रदेश गम्भीर विद्युत संकट के दौर से गुजर रहा है । मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्र में जैसा अभी माननीय नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे, कहने को 8 घन्टे बिजली आपूर्ति है, लेकिन 2 घन्टे से अधिक गांव या तहसील में नहीं पहुंच रही है, यही स्थिति दूसरे कस्बों की है, कुल मिलाकर स्थिति अत्यन्त दयनीय है । जिला स्तर के नगरों में 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति की बात कही जाती है, लेकिन वहां 16 घन्टे विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है, इसी प्रकार महानगरों में भी विद्युत कटौती निरन्तर बढ़ती जा रही है, यह स्थिति केवल एक दिन की नहीं है । इस प्रकार विद्युत का गहराता संकट किसी भी सरकार के लिये चुनौतीपूर्ण बात है । मैंने महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा । राज्यपाल जी का अभिभाषण किसी भी सरकार का नीति वक्तव्य होता है, भावी कार्यक्रम का दस्तावेज

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

होता है । इस अभिभाषण में आनपरा–सी में 1000 मेगावाट जनरेशन शीघ्र प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जायेगी, ऐसा कहा गया है । पिछले साल का अभिभाषण भी मैंने पढ़ा था, उसमें भी इस तरह की बात कही गयी थी । मैं जानना चाहता हूं कि केवल इस तरह से कहकर, इस प्रदेश को अंधेरे में रखने का काम किया जा रहा है । इस प्रदेश में पिछले 5 साल से भाजपा सरकार रही है, उससे पहले भी भाजपा-बसपा की सरकार रही है । इस समय भी इस सरकार द्वारा विद्युत संकट से निजात दिलाने के लिये कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है ।

मान्यवर, इस समय हमारी थर्मल पावर की इन्स्टाल कैपेसिटी मात्र 4 हजार मेगावाट है और हम 50 प्रतिशत प्लान्ट लोड फैक्टर भी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं । एक तरफ मशीनें पुरानी हैं, उनका रखरखाव अच्छा नहीं है, कहीं कोयले का भुगतान नहीं हो पाता और खदानों से कोयले की आपूर्ति रुक जाती है, कहीं दूसरे और कारण होते हैं, कुल मिलाकर जितना विद्युत उत्पादन होना चाहिये, उतना नहीं हो पा रहा है, पूरा प्रदेश अंधेरे के आगोश में समाता चला जा रहा है । अभी गांवों में फसल गहाई के समय बिजली नहीं मिली, सिंचाई के समय बिजली नहीं मिली, हाईस्कूल, इण्टर की परीक्षायें अभी हो रही थीं, उस समय विद्यार्थियों ने मिट्टी के तेल की डिब्बियां जलाकर पढ़ाई की, कुल मिलाकर बिजली की स्थिति अत्यन्त चिन्ताजनक है । प्रदेश 21 वीं सदी में चल रहा है और विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र की अपरिहार्यता है, आज बिना बिजली के जनजीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती । बिना बिजली के अस्पतालों में आपरेशन नहीं हो सकते, दफ्तरों में काम नहीं हो सकता, उद्योग-कारखाने नहीं चल सकते, विद्यार्थी पढ़ नहीं सकते । शिक्षक पढ़ा नहीं सकते, आज के पूरे वैज्ञानिक समाज की कल्पना बिना विद्युत के नहीं की जा सकती, लेकिन बिजली आपूर्ति को इस सरकार द्वारा सबसे नीचे की प्राथमिकता में रखा जा रहा है और विद्युत उत्पादन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जबकि हमारी आवश्यकता विद्युत की निरन्तर बढ़ रही है, दूसरी तरफ विद्युत संयंत्रों का रख-रखाव सही न होने, उनके पुराने होने के कारण उत्पादन कम होता जा रहा है ।

जैसा अभी कहा गया कि एन० टी० पी० सी० से प्राप्त होने वाली बिजली में भी कटौती कर दी गई है, इसके पीछे कहा यह गया कि उत्तर प्रदेश सरकार बकाये का भुगतान नहीं कर रही है, इस तरह कैसे उत्तर प्रदेश चलेगा ? आज इस सदन में माननीय नेता सदन होतीं तो इस गम्भीर सवाल पर, उनको सदन की जिज्ञासा को शान्त करना चाहिये था, वह कोई कार्य योजना बताती, जिससे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित होती और जनजीवन को सामान्य बनाया जा सकता । औद्योगिक विकास, आर्थिक विकास सब बिजली के बिना अधूरे हैं । विदेशों से पूंजी निवेश का बहाना लेकर अधिकारी देश विदेश का दौरा करके आते हैं, मंत्रिगण जाते हैं, वहां जाकर कहते हैं कि हमारे यहां पूंजी निवेश करो, लेकिन आप स्वयं सोचें कि यहां कोई पूंजी निवेश क्यों करेगा ? यहां जो उद्योग पहले से स्थापित हैं, उनको आप बिजली दे नहीं पा रहे हैं । कोल्डस्टोरेज को केवल 4 घन्टे बिजली मिल रही है, 20 घण्टे वह जनरेटर चला रहे हैं, ऐसे में कैसे हमारे किसान का आलू संरक्षण हो पायेगा, सारे उद्योग-धन्धे प्रभावित हो रहे हैं, इससे ज्यादा गम्भीर विषय और कोई हो नहीं सकता । यदि इस सरकार को उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिये जरा भी चिन्ता है तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा इसके वार फूटिंग के ऊपर कोई योजना बने । यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है । इसके लिये सरकार को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिये । जो आनपारा "सी" की बात रखी गयी है, उस पर कोई टाइम बाउण्ड कार्यक्रम बने कि कब तक उस परियोजना पर काम शुरू कर

देंगे और कब तक उससे उत्पादन प्राप्त हो सकेगा । इसके लिये आपको सदन को आश्वासन देना चाहिये । इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं हो सकता । केवल चर्चा नहीं, आज सदन चाहता है कि सरकार इस दिशा में गम्भीरता से कार्य करे । धन्यवाद ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अपनी बात कहने से पहले मैं एक आग्रह करूंगा कि आपने जो एक समय सीमा बांध दी है, 3 बजे तक और आज प्रदेश जिस भीषण बिजली कटौती से जूझ रहा है उससे ऐसा कोई वर्ग, कोई व्यक्ति नहीं बचा है जो उससे प्रभावित न हो । यह चर्चा इसलिये नहीं हो रही है कि सदन में चर्चा हो जाये और माननीय मंत्री जी जवाब दे दें और सदस्य सुनकर चले जायें । आज चर्चा की जा रही है और सदन में इसका निराकरण होना चाहिये । बिजली कटौती कल से ही कम से कम होनी चाहिये, बिजली गांवों में और शहरों में लोगों को मिलने लगे । आज बिजली ऐसी आवश्यक चीज हो गयी है, चाहे पानी हो, चाहे खेती हो, चाहे हमारे उद्योग हों, हर चीज विद्युत पर आधारित हो गयी है । जैसे पाल साहब ने बताया बुन्देलखण्ड में 46 डिग्री तापमान पहुंच गया है । कल इलाहाबाद में 46 डिग्री था । बिजली न मिले और केवल चर्चा हो जाये और वह भी एक घण्टे के अन्दर । मंत्री जी जवाब दे दें और हम उसे सुनकर चले जायें ।

श्री अधिष्ठाता–

यदि उत्तर समाधानकारक हो तो एक घण्टे ही पर्याप्त है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, इस समय पूरे प्रदेश में बिजली की मांग 6000 मेगावाट है और उपलब्धता है 4600 मेगावाट है । उत्तर प्रदेश में तापीय उत्पादन है 2600 मेगावाट और जलीय उत्पादन है 300 मेगावाट । केन्द्रीय-क्षेत्र से आयात है 1700 मेगावाट । इस प्रकार 1400 मेगावाट की विद्युत की कमी है और 1400 मेगावाट बिजली की कटौती आज पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है । उत्तरांचल के चले जाने के बाद 1009 मेगावाट के जल विद्युत गृह उत्तर प्रदेश से बाहर हो गये हैं । मैं कहना चाहता हूं आज प्रदेश में बिजली का संकट क्यों हो गया ? मान्यवर, विगत 10 सालों में आठवीं पंचवर्षीय योजना और 9वीं पंचवर्षीय योजना में एक मेगावाट भी बिजली उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं किया गया और जैसा माननीय पूर्व ऊर्जा मंत्री नरेश अग्रवाल जी कह रहे थे कि आनपारा "सी" जिसको जापान की ओआई एफसी ऋण देने के लिये तैयार थी । वह ऋण 2.3 प्रतिशत ब्याज पर 40 साल में लिया जाता । मान्यवर, लेकिन जुलाई 96 में पता नहीं किन कारणों से वह ऋण नहीं लिया गया । पता नहीं किन कारणों से हुण्डई से साईन कर लिया गया । पता नहीं किन कारणों से और जापान से ऋण नहीं लिया गया और हुण्डई भाग भी गया । मान्यवर, अगर 1000 मेगावाट बिजली लगी होती तो आज बिजली के संकट का सामना नहीं करना पड़ता । मैं पूछना चाहता हूं कि किन परिस्थितियों में जापान द्वारा प्रदान किया गया ऋण नहीं लिया गया है । इसका पता लगे और जिन लोगों ने ऋण नहीं लिया क्या उनके खिलाफ सरकार कठोर से कठोर कार्यवाही करके इस सदन को सूचित करेगी ? मान्यवर, इसी तरह से सबसे बड़ी बात आज जो है, हमारे प्रदेश में कि ढाई सौ मेगावाट की हमें प्रतिवर्ष बिजली की आवश्यकता पड़ जाती है और इस तरह से अगर देखा जाय ।

मान्यवर, 8 साल में दो हजार मांग, दो हजार मेगावाट हमें बिजली उपलब्ध होनी चाहिए थी, मांग के अनुरूप वह उपलब्ध नहीं हो पाई । इसी से अब बिजली संकट इतना गहरा हो गया है । मान्यवर, इतना ही नहीं 10 साल के अन्दर हमने एक मेगावाट बिजली की क्षमता नहीं बढ़ाई । जो आधुनिकतम बिजली घर हमने एन०टी०पी०सी० को बेच दिया । उनमें एक था 420 मेगावाट ऊंचा हार और दूसरा था 440 मेगावाट टाण्डा । हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसे कौड़ी के भाव बेंच दिया गया और उसे उससे बेहतर हमारे उत्तर प्रदेश में बिजली घर नहीं है और क्यों बेचा गया यह हमारी समझ में नहीं आता ? जो 840 मेगावाट की क्षमता हमारे पास थी उस को हमने एन०टी०पी०सी० के हवाले कर दिया और वहीं उससे मंहगी दरों पर बिजली हम खरीद रहे हैं । यह हमने कार्य किए उत्तर प्रदेश में और उसी का नतीजा है विद्युत संकट । मान्यवर, विगत दशक में चार हजार मेगावाट क्षमता के ताप और जल विद्युत परियोजनाओं को मान्यवर, निजी घरानों को सौंपा गया । लेकिन मान्यवर, अफसोस की बात है कि आज तक एक मेगावाट भी, जो निजी घरानों को सौंपा गया उस से एक मेगावाट भी बिजली का उत्पादन नहीं हुआ केवल पी०पी०एफ० साईन कर दिया और वह कागज पर ही रहे, लेकिन धरती पर एक भी मेगाबाट बिजली नहीं आई । मान्यवर, यह परियोजनाएं हैं विष्णु प्रयाग, श्रीनगर जल विद्युत परियोजना 330 मेगावाट, जवाहर तापीय परियोजना 800 मेगावाट रोजा 567 मेगावाट । तो मान्यवर, 92-93 में यह परियोजनाएं सौंपी गई थी । लगभग 10 साल हो गए लेकिन आज तक ये परियोजनाएं शुरू नहीं हो पाई । इसी तरह आप अगर देखें 14 फरवरी, 2000 को राज्य विद्युत परिषद् एक था और रिफार्म के नाम पर हम लोगों ने समर्थन किया था और इस विधान सभा में इस को तीन भागों में बांट दिया गया वितरण, पारेषण और जेनरेशन । जहां एक चेयरमैन होता था वहां 3 चेयरमैन बना दिये गये और जहां 5 मेम्बर होते थे अब वहां 21 मेम्बर कर दिये गये । तीनों में किसी का एक-दूसरे पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया, यह सब किया गया रिफार्म के नाम पर और जैसा कि नरेश अग्रवाल जी कह रहे हैं कि यह रिफार्म आधे-अधूरे मन से सरकार लागू कर रही है, जिसका फायदा हमारे प्रदेश को नहीं मिल रहा है । इसी तरह से आप देखें लगभग दो सालों में जब से पावर कारपोरेशन को तीन भागों में बांटा गया है और सुधार लागू किया गया है, 5700 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है । सरकार ने यह वायदा किया था कि हम जो गांवों की सस्ती बिजली दे रहे हैं उसकी भरपाई करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पैसे की भरपाई नहीं की है । यह भी एक कारण विद्युत संकट का है ।

(श्री अधिष्ठाता द्वारा लाल बत्ती जलाने पर)

मान्यवर, पांच मिनट में खतम कर दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

मान्यवर, पांच मिनट ज्यादा हैं, दो मिनट में अपनी बात खत्म कर दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इसी तरह से आप देखें एन०टी०पी०सी० का पैसा नहीं दे पा रहे हैं उसकी सजा उत्तर प्रदेश की जनता को मिल रहा है । यह कल्याणकारी राज्य है । सरकार कहती है कि कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेंगे लेकिन उत्तर प्रदेश में हम अगर एन०टी०पी०सी० का पैसा लौटा दें जो 4000 करोड़ रुपये का ऋण है तो हमको बिजली की कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा । आंकड़ों से देखें 2400

करोड़ रुपया मुख्यतया राजस्व का सरकारी विभागों पर बकाया है, 1062 करोड़ रुपया जल संस्थान पर बकाया है, 784 करोड़ रुपया सिंचाई विभाग पर बकाया है, 447 करोड़ रुपया लखनऊ कोआपरेटिव सोसाइटी पर बकाया है तथा 70 करोड़ अन्य विभागों पर तथा 16 करोड़ रुपया और बकाया है। इसको अगर हम वसूल लें जो सरकार से सरकार में पावर कारपोरेशन को देना है तो बिजली संकट आज ही समाप्त हो सकती है और एन०टी०पी०सी० से जो हमारा हिस्सा है पूरा का पूरा बिजली ले सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

समय पूरा हो गया।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

इसी तरह से आप देखें 14 जनवरी, 2000 को कानपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई (कैस्को) बनाया गया। वहां दो साल में 1100 करोड़ रुपया बिजली का बकाया है। सरकार वसूल भी नहीं रही है। ग्रेटर नोयडा और नोयडा में निजी क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये उसके ऊपर भी बकाया है। अगर बकाया वसूल कर लेते, 20 दिन सरकार को बने हुये हो गये, माना कि राज्यपाल शासन में यह काम नहीं हो पाया परन्तु अगर इस सरकार ने किया होता तो विद्युत संकट का सामना प्रदेश की जनता को नहीं करना पड़ता। एक आग्रह करूंगा आज 250 करोड़ रुपये का एन०टी०पी०सी० से सीधे रेलवे बिजली दे रहा है और सेण्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऐक्ट के अनुसार सीधे बिजली किसी को नहीं दें सकते हैं। इस प्रकार 250 करोड़ रुपये के बिजली पावर कारपोरेशन को सीधे-सीधे नुकसान हो रहा है। मैं आग्रह करूंगा कि माननीय मंत्री जी जवाब दें तो एक बात को स्पष्ट करें कि आज जब पूरी दुनिया में टेक्नीकल लोगों को इस तरह का काम दिया जा रहा है, भारत सरकार के इकोनामिक विभाग के मंत्री कोई आई०ए०एस० नहीं है, अभी ऊर्जा विभाग के सचिव भारत सरकार में आर० बी० शाही को बनाया गया जो बिजली विभाग के इंजीनियर हैं। यहां पर आई०ए०एस० लोगों को सौंप दिया गया है और टेक्नीकल लोगों को बाहर कर दिया गया है। पावर कारपोरेशन में चेयरमैन और एम०डी० सब आई०ए०एस० हैं, यह काम खत्म होना चाहिये। अगर एक सर्जन का आपरेशन खराब हो जाय तो क्या हम नीम हकीम से आपरेशन करायेंगे। क्या हर मर्ज की दवा आई० ए० एस० हैं। मैं मांग करता हूं कि इस बात की घोषणा करें कि जहां इंजीनियर का काम है वहां पर आई० ए० एस० नहीं भेजे जायेंगे। जब पावर कारपोरेशन और राज्य विद्युत परिषद् बनाये गये तो उसके चेयर मैन पहले इंजीनियर होते थे। पूरी दुनियां में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी जहां इंजीनियर की जगह आई० ए० एस० बैठ रहे हों। हम समाजवादी पार्टी के लोग और अन्य विरोध पक्ष के लोग आपका एक मत से समर्थन करेंगे यदि आप यह घोषणा करें कि कल से विद्युत की कटौती प्रदेश में नहीं रहेगी चाहे वह गांव हो, चाहे शहर हो या चाहे उद्योग हों किसी में विद्युत की कटौती नहीं रहेगी।

श्री प्रमोद कुमार–

मा० मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी पीड़ा जिसे जनता झेल रही है, पर बोलने के लिये अवसर दिया। मेरे पहले माननीय रेवती रमण सिंह जी ने, माननीय नरेश अग्रवाल जी ने, पाल साहब ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव रखे जिनका मैं समर्थन करता हूं और जिनसे अपने को सम्बद्ध करता हूं। मैं आलोचना करने के लिये खड़ा हूं। ऊर्जा मंत्री 14 दिन पहले ऊर्जा मंत्री

हुये हैं वह कितनी बातों का जवाब देंगे और कितनी बातों का जवाब नहीं देंगे लेकिन मैं उनसे यह जरूर कहना चाहूंगा, केवल 2 सवाल जानना चाहूंगा । 1989 से प्रदेश में कोई पावर हाउस या विद्युत गृह लगाया गया है जहां पर । कि० वाट भी बिजली का उत्पादन हो रहा है ? किसी नये विद्युत गृह के लगाने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ब०स०पा० और भा०ज०पा० पर आती है । 1989 से अब तक, केवल 1993 को छोड़कर, भा०ज०पा० की या ब०स०पा० की सरकार रही है या दोनों की मिलीजुली सरकार रही है ।

* श्री अमरमणि त्रिपाठी–

1993 के साल में किसकी सरकार थी आपने नाम नहीं लिया ?

श्री प्रमोद कुमार–

मैं आलोचना करने के मूड में नहीं हूं अन्यथा ऐसा जवाब देता कि दूसरा सवाल आप न पूछते । जाने दीजिये, मत कहिये नहीं तो बहुत सी बातें कहनी पड़ेंगी । अधिष्ठाता महोदय, 1989 से प्रतिवर्ष 300–400 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ रही है । लोगों के घरों में मांग बढ़ी है, उद्योगों में बढ़ी है । इस हिसाब से लगभग 12 सालों में 4800 मेगावाट बिजली की मांग बढ़ी है जबकि एक मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन नहीं हुआ है क्योंकि कोई नया पावर हाउस नहीं लगाया गया है । मांग बढ़ेगी बिजली पैदा नहीं होगी तो बिजली की कटौती की जायगी इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है । मान्यवर, जो नयी मशीनें होती हैं वह ज्यादा उत्पादन करती हैं । जो हमारे पास ऊंचाहार पावर हाउस था जिसको स्वर्गीया इंदिरा गांधी जी ने बनवाया था । फिरोज गांधी थर्मल पावर स्टेशन रायबरेली उसका पी०एल०एफ० सबसे ज्यादा था भारतीय जनता पार्टी ने उसको एन०टी०पी०सी० को बेच दिया । दूसरा टांडा जो बनकर भी तैयार नहीं हुआ था उसको भी बेच दिया आपने बढ़ाया कुछ नहीं लेकिन जो आपकी पूंजी थी उसको कम कर लिया । मंत्री जी आप खड़े होकर कह देंगे कि 18 घंटे बिजली देंगे । 16 घंटे बिजली देंगे लेकिन इससे काम नहीं चलेगा । इसके लिए मैं सबसे ज्यादा दोषी भारतीय जनता पार्टी को मानता हूं क्योंकि पिछले 10-12 सालों से आपका ही कार्यकाल रहा है । इन्होंने विद्युत नीति को ठीक से नहीं बनाया । मैं याद दिलाना चाहता हूं 1988-89 की उस समय मैं ऊर्जा मंत्री था उस समय भयंकर सूखा पड़ा था मैं तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व० राजीव गांधी से मिला था मैंने उनसे कहा था कि राष्ट्रीय ग्रिड से हमें बिजली दीजिए उन्होंने हमारी बात मान ली और बिजली उत्तर प्रदेश को दी गई । उससे हमने सूखे का सामना किया ।

उत्तरांचल हमसे अलग हो गया जल विद्युत योजना आप बना नहीं सकते । पूरा हिमाचल रेंज अलग हो गया । रिहंन्द से जो बिजली बनती है यह बरसात पर निर्भर है अगर बारिस नहीं हुई तो वहां बिजली बना नहीं सकेंगे क्योंकि जलाशय में पानी नहीं रहेगा । थर्मल पावर स्टेशन बनने में चार साल लगता है अगर आज की तारीख में काम शुरू किया जाए तो अगले चार साल तक मांग 1200 मेगावाट हो जाएगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा इसका एक निदान मेरी समझ में आ रहा है जैसा कि मैंने 1988-89 में किया था अगर सरकार में इच्छाशक्ति है तो सम्पूर्ण विधान सभा प्रस्ताव पारित करेगी और भारत के प्रधानमंत्री

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

जी से कहिए कि वह नेशनल ग्रिड से 400 मेगावाट बिजली अगले पांच साल तक दिलाते रहें । यह बिजली मुफ्त दें अगर नहीं देंगे तो बिजली नहीं मिलने वाली है । आपके आश्वासन से काम चलने वाला नहीं है । प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर कहिए कि यह आपका प्रदेश है आपकी बहुत सी गलतियों के कारण हमें यहां आलोचना सुननी पड़ रही है आप हमें राष्ट्रीय ग्रिड से 500 मेगावाट बिजली प्रतिदिन दें । क्योंकि अगर आज बिजली पैदा करने का कोई संयत्र लगाया जाएगा तो अगले पांच साल तक उससे बिजली मिलने वाली नहीं है । एक बात और कहना चाहता हूं हमारे यहां बगल में रायबरेली, अमेठी है वहां बिजली नहीं आ रही है । आपके यहां तो छोटे बकाएदार हैं उनको तो जेल में बन्द किया जा रहा है लेकिन सरकारी विभागों पर कितना बकाया है मंत्री जी मुख्यमंत्री जी से कहिए कि जो सरकारी विभाग हैं उनका पैसा सबसे पहले बिजली विभाग को दिया जाए जब वह पैसा देंगे तभी ट्रांसफार्मर लगा सकते हैं व कुछ सुधार कर सकते हैं । एक जगह और डण्डा चलाइए राष्ट्रीय लाइन लास 9 प्रतिशत है जबकि उत्तर प्रदेश का लाइन लास 30-23, 40 प्रतिशत तक है । लाइन लास का मतलब होता है विद्युत चोरी इस पर डण्डा चलाकर कम कर सकते हैं । आप खड़े होकर बोल देगे कि कल से 10 घंटे बिजली देंगे उससे क्या होगा । एक-एक सदस्य जानता है कि गांवों में दो-तीन घण्टे बिजली आती है । डिम वोल्टेज भी आती है । मैं दो तीन बातें कहना चाहता हूं । बिजली विभाग का अन्य विभागों पर जो बकाया है तो जितना बकाया है उतना उस विभाग के बजट का पैसा काटकर बिजली विभाग को दे दिया जाए । जिससे बिजली विभाग अपनी जर्जर स्थिति सम्भाल सके । तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय बना दिया । हमको तहसील मुख्यालय के रेट पर दे रहे हैं और हमसे जिला मुख्यालय के रेट लिये जा रहे हैं । मान्यवर, मैं आपसे अपील करता हूं (अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित) कि आप इस पर पहल करके एक प्रस्ताव पारित करें उत्तर प्रदेश विधान सभा की ओर से और प्रधानमंत्री जी के सामने रखें कि वे निःशुल्क 500 मेगावाट या 1000 मेगावाट विद्युत हमको तब तक देते रहें जब तक उत्तर प्रदेश अपने पैरों पर न खड़ा हो जाय ।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

मान्यवर, बिजली संकट के विषय में आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, जो बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और जिन्होंने बिजली विभाग को चलाने का अवसर प्राप्त किया था, अपने अनुभवों का वर्णन किया है । मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जाना चाहता हूं । मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो अंतिम वाक्य कहा था कि कल से यदि विद्युत कटौती पूरे प्रदेश में समाप्त कर दी जाय तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत स्वागत योग्य बात होगी । मैं यहीं से शुरू करता हूं । मान्यवर, विगत वर्षों में भी कमोवेश विद्युत संकट इसी प्रकार का रहा । मांग और पूर्ति में जो अन्तर रहा है वह इसी प्रकार रहा है । हो सकता है कि कुछ इस वर्ष उसकी तुलना में अधिक है लेकिन मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से और नगर से चुनकर आता हूं उस नगर का धार्मिक, पौराणिक, शैक्षिक, औद्योगिक और तीर्थाटन की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है पूरे विश्व में । उस महत्व को देखते हुए और वहां के लोगों की मांग को देखते हुए विगत वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और उस सरकार में माननीय राम प्रकाश गुप्त जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मैंने काशीवासियों की ओर से मांग की थी कि वहां के महत्व को देखते हुए काशी को आपात विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया जाय और यह मांग मैंने तत्काल नहीं की थी बल्कि विधान सभा में बार-बार विभिन्न नियमों के

अन्तर्गत उठा रहा हूं। मुझे आज यह कहते हुए खुशी है कि माननीय राम प्रकाश गुप्त जी ने जब मैंने अनशन किया था तो उनके बुलाने पर यहां अनशन की हालत में आया था उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया और कहा कि जो बात बहुत दिनों से माननीय सदस्य कह रहे हैं कि काशी नगरी का अपना स्थान है, महत्व है इसको आपात बिजली कटौती से मुक्त कर दिया जाय। मैं घोषणा करता हूं कि काशी को आपात विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया जायेगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, अगले दिन से काशी को आपात विद्युत कटौती से मुक्त कर दिया गया और यही काम जब राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी काशी को बिजली कटौती से मुक्त रखा। लेकिन मान्यवर, इन दिनों पुनः काशी को आपात विद्युत कटौती में डाल दिया गया है और काशी में इस समय दो पालियों में 5-5 घंटे की विद्युत कटौती की जा रही है। इसका परिणाम यह है कि जल संस्थान के पम्प नहीं चल रहे हैं, जो विभिन्न क्षेत्रों में ट्यूबवेल हैं वह नहीं चल पा रहे हैं। लोगों का व्यापार नहीं हो पा रहा है। पठन-पाठन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है इसलिये मैं बराबर कटौती समाप्त करने की मांग कर रहा हूं पावर कारपोरेशन के कार्यालय शक्ति भवन जाकर, अधिकारियों से मिलकर। महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर भी मैंने निवेदन किया है। जो विद्युत कटौती से मुक्ति की सुविधा वाराणसी को थी कि उसे पुनः किया जाए। मान्यवर, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनके निदान की जिम्मेदारी अधिकारियों की है। अधिकारीगण जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं वह संवेदनशील नहीं है अगर वह संवेदनशील हों तो कोई समस्या नहीं है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र मडुआडीह में 132 के०बी०ए० उप केन्द्र है उससे हमारे क्षेत्र की विद्युत की आपूर्ति की जाती है वहां एक ट्रांसफार्मर विगत दो वर्षों से ओवरलोड चल रहा है मैंने बार-बार कहा लेकिन आश्वासन मिलता रहा, कोई कार्यवाही नहीं हुई अभी भी पांच घंटे के कटौती के बाद पुनः कटौती शुरू हो जाती है मैंने अधिकारियों से कहा यह समस्या है, मैंने अन्दर जाकर पता करने की कोशिश की, एक 20 एम०बी०ए० का ट्रांसफार्मर मडुआडीह में पड़ा है। सिर्फ कर्तव्यों के प्रति रुचि न होने के कारण वह ट्रांसफार्मर आज तक नहीं लग सका है जब मैंने एरिया चीफ इंजीनियर के० पी० त्रिपाठी से मिला तो वह वहां स्वयं गये और उन्होंने कहा चौधरी जी मैंने तो सोचा था कि कहां से ट्रांसफार्मर लाऊंगा, आपने जो कहा वह बिल्कुल सही है अगर इसको लगा दिया जाता तो कटौती के अन्दर कटौती न करनी पड़ती। प्रदेश की समस्याओं को जैसा कि अन्य माननीय सदस्यों ने रखा आलोचना प्रत्यालोचना से कोई हल निकलने वाला नहीं है।

मैं कहना चाहूंगा "बीती ताहि बिसारि दे, आगे की सुधि ले" अगर आगे की सुधि ले लें कि प्रदेश की विद्युत आपूर्ति, आपूर्ति की व्यवस्था में किस तरह से सुधार किया जाये, विद्युत की कमी का कैसे सामना कर सकते हैं मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा–मान्यवर, वाराणसी में भेलूपुर में एक पावर हाउस है उसको बन्द कर दिया गया वहां एक विशाल भू-खण्ड है पिछली बार विधान सभा में मैंने इस प्रश्न को उठाया था उस समय नरेश अग्रवाल जी विद्युत मंत्री थे उन्होंने विधान सभा में आश्वासन दिया था कि जमीन उपलब्ध है वहां 132 के०बी०ए० उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाएगा लेकिन कुछ नहीं हुआ है विद्युत की मांग बढ़ रही है इसलिए वहां 132 के०बी०ए० का उपकेन्द्र निर्माण कराया जाए। जैसा कि भूतपूर्व विद्युत मंत्री जी ने आश्वासन दिया था इसी के साथ काशी नगरी को जैसा पूर्ववर्ती सरकार ने उसको विद्युत कटौती से मुक्त कर रखा था उसे मुक्त किये जाने की मांग करता हूं।

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट कर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्य मंत्री जी आधा घंटा चर्चा का समय और बढ़ा दें।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

माननीय मंत्री जी को भी कहना है इसलिए आधा घंटा समय चर्चा का बढ़ाया जाये।

श्री अधिष्ठाता–

सदन की सहमति से चर्चा का आधा घंटा समय बढ़ाया जाता है।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल कलाम–

यह गम्भीर सवाल है समय और बढ़ा दें।

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दिनांक 2 मई, 2002 को दी गयी सूचनाओं पर चर्चा (क्रमागत)

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

पहले जो नाम आए हैं उसको ले लेते हैं फिर समय होगा तो और माननीय सदस्यों को बुलवा लिया जाएगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, आपने बिजली के संकट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग बैठें जिन माननीय सदस्यों के नाम हैं उनको बोलने के लिए अवसर देना अनिवार्य है उसके बाद समय बचेगा तो और सदस्यों को बुलवाया जाएगा।

श्री शारदानन्द अंचल–

यह पूरे प्रदेश में ज्वलन्त समस्या है। मान्यवर, पूर्वांचल की उत्तर प्रदेश में बहुत ही भीषण स्थिति है। पूर्वांचल उत्तर प्रदेश में पहले दस घंटे बिजली मिलती थी लेकिन जब से नयी सरकार बनी है तब से चार-पांच घंटे बिजली मिल रही है। कहीं-कहीं गांव की स्थिति यह है कि कई-कई दिनों तक बिजली नहीं मिलती है। मगर किसी तरह से शहर के इलाके में, कस्बे के इलाके में कभी-कभी बिजली चली जाती है लेकिन जो बीहड़ के गांव हैं वहीं बिजली नहीं जाती है। कारखाने बन्द पड़े हैं। छोटे-छोटे कल कारखाने इसलिये नहीं लग पा रहे हैं कि वहां पर बिजली का अभाव है। बिजली नहीं रहेगी तो कल कारखाने

नहीं लग पायेंगे और इससे बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं हो पायेगी । स्कूल कालेजों में बिजली का संकट है, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, अस्पतालों में बिजली नहीं है, ट्यूबवेल के न चलने के कारण लोग मजबूर होकर डीजल के सहारे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और वह भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है क्योंकि वह भी महंगा हो गया है । बिजली के बल्ब और पंखे लगे हुए हैं लेकिन बिजली के अभाव में वह जल नहीं पा रहे हैं । बलिया जिले की स्थिति और खराब है । वहां पर सारे सब स्टेशन पुराने हैं और खराब हालत में हैं । मऊ में कसारा पावर स्टेशन की स्थिति अच्छी है । आपसे अनुरोध है कि बलिक के हर सब स्टेशन को कसारा से जोड़कर व्यवस्था करायें । आप पीठ से निर्देशित करें ताकि बलिया जनपद की बिजली की व्यवस्था ठीक हो सके ।

(डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी का नाम पुकारे जाने पर व्यवधान)

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, देवी पाटन जनपद में बिजली की आपूर्ति ठीक नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

जिनकी सूचनाओं पर हस्ताक्षर हैं मैं पहले उसको सुनूंगा । उसके बाद अगर समय बचा तो आप लोगों को सुनूंगा जिनके हस्ताक्षर नहीं हैं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, उधर तो बिजली आ रही है हमारी सुन लें ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

लेकिन पंखे तो उधर के चल रहे हैं । हमारी तरफ के नहीं चल रहे हैं ।

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे विद्युत चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया । यह पूरे सदन की चिन्ता का विषय है कि आजादी के पचपन वर्ष बाद भी आज बिजली का भीषण संकट खड़ा हुआ है और यह भी शाश्वत सत्य है कि बिना बिजली के विकास असंभव है और न आधुनिक जीवन ही संभव है । कृषि और औद्योगिक प्रगति असंभव है । हमें बिजली की कमी और उसकी कमी के कारण के हल पर विचार करना होगा । पिछले 25-30 सालों में जितनी बिजली की आवश्कता थी उसके अनुसार बिजली की योजनाएं नहीं बनीं और फलस्वरूप बिजली की खपत बढ़ती गयी उस कारण यह संकट पैदा हुआ है । मान्यवर, 10-5-2000 को यह बताया गया था कि 600 करोड़ रुपया विश्व बैंक से मिल रहा है, ऊर्जा के क्षेत्र में यह क्रान्तिकारी कदम होगा । तत्कालीन ऊर्जा मंत्री ने यह कहा था । लेकिन खेद की बात यह है कि वह "मूंगेरी लाल के हसीन सपने" या यह कहिये कि "मूर्खों के स्वर्ग में विहार कर रहे हैं" यह 600 करोड़ रुपया विश्व बैंक से आया कि नहीं और उसका लाभ मिला कि नहीं इसका पता नहीं है । मान्यवर, उत्पादन और खपत में दो गुना का अन्तर है । मान्यवर, हमारे पास संसाधन हैं, जलीय बिजली, तापीय बिजली और केन्द्रीय ग्रिड । केन्द्रीय ग्रिड से हम बिजली आर्थिक में कमी के कारण नहीं ले पा रहे हैं । जो बिजली आज हमारे पास उपलब्ध है उसे भी

हम पूरी नहीं दे पा रहे हैं । ऐसा इसलिये हो रहा क्योंकि लाइनों और मशीनों का जैसा रख-रखाव होना चाहिये था वह नहीं हो पा रहा है । इसके रख-रखाव में काम आने वाले पद लाइनमैन, पेट्रोमैन आदि के पद खाली पड़े हुए हैं उन पर भर्ती नहीं की जा रही है अगर भर्ती की जा रही है तो उनकी जिनका इससे कोई लेना-देना नहीं है । लगभग 100 करोड़ रुपये के बिजली के तार पिछले साल चोरी हुए हैं । लगभग 676 लोग जिनमें कोई उद्योगपति है या ऊंचे पद वाला है उन पर साढ़े छः अरब रुपये का बकाया है उनसे वसूली नहीं की जा रही है । अगर इनसे वसूली की जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी । ओबरा में एक अरब रुपये की इकाई, अनपरा में जापानी टीम के दौरे के बाद एक हजार मेगावाट की इकाई लगाने की बात पिछली सरकार द्वारा कही गयी थी । टिहरी में 2003 तक 500 मेगावाट शुरू करने की बात कही गयी लेकिन मैं पूर्व ऊर्जा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वे योजनाएं चालू नहीं हुयीं । अगर बिजली दी जा रही है तो वहां पर लो-वोल्टेज में दी जा रही है । शहरी क्षेत्र में बिजली का संकट है । मेरे क्षेत्र में दो बिजलीघर हैं । एक मोहनपुरा में है तथा दूसरा विकास पुरी में है । नया ट्रानसफार्मर रखा हुआ है, लाइन बनी हुई है । केवल सिविल वर्क न होने के कारण यह चालू नहीं हो पा रहे हैं । अगर ये बिजलीघर चालू हो जाए तो मेरठ में लो-वोल्टेज की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी ।

डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई–

1000 मेगावाट की आनपारा सी परियोजना का कार्य प्रगति पर है । इसी प्रकार संयुक्त क्षेत्र से 1000 मेगावाट की टेहरी स्टेज–1, टेहरी स्टेज–2, कोटेश्वर एवं राजघाट परियोजनायें प्रारम्भ की गयी हैं । ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है । " मान्यवर, इस तरह से सदन में कहा गया था निर्विघ्न विद्युत आपूर्ति की बात, वह असत्य सावित हो रही है । मैं यह आपके माध्यम से बात रखना चाहता हूं ।

* श्री ओम प्रकाश–

मान्यवर, यह जनजीवन से जुड़ा हुआ सवाल है । मान्यवर, सही बात है कि प्रदेश के लोग इस स्थिति से चिंतित हैं उससे सदन के लोग भी अपने को जोड़ते हुए इस बात को यहां पर बड़ी गम्भीरता से रखने का काम किये हैं । सचमुच में बड़ी गम्भीर सवाल पर चर्चा करने के लिये, उसके महत्व को देखते हुए, यहां पर चर्चा का समय बढाया गया है । जैसा कि पाल साहब ने कुंवर साहब ने और तमाम मा० सदस्यों ने सच्चाई के रूप में इस बात को रखने का काम किया है कि किस तरह से इस समस्या से हम निजात पायें । यह सही बात है कि आज इकबाल की जरुरत है आज इच्छा शक्ति और संकल्प भावना की जरुरत है जिस तरह से इस बात को सत्ता पक्ष ने रखने का काम किया है उससे लगता है कि बिजली व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती है । बिजली की भारी चोरी है इससे हम छुटकारा नहीं पा सकते हैं तो कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी के निर्वहन न कर पाने की वजह से समस्या ने गम्भीर रूप धारण किया है । आज कितना रुपया बकाया है, तो कहीं न कहीं इकबाल में कमी होने की वजह से मजबूत रूप से बात को न रखने का काम किया है । आज दिन प्रतिदिन बिजली प्रदेश के लिये गम्भीर समस्या बन गयी है । पावर फाइनेंस कारपोरेशन आफ इंडिया ने पारीक्षण पनकी आदि को उच्चीकृत करने के लिये स्टेट

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गवर्नमेंट से अंडरटेकिंग चाही ताकि इस गम्भीर समस्या से निजात पाने का काम करें। उसके कहने के बाद स्टेट गवर्नमेंट में इकबाल की कमी रही और उसकी जिम्मेदारी न निर्वाह कर काम किया है इससे यह गम्भीर समस्या बन गयी है। पूर्व ऊर्जा मंत्री नरेश चन्द्र अग्रवाल जी ने सदन में घोषणा किया था, सत्तापक्ष के विधायक कोविद कुमार सिंह जी ने बात रखी थी, नन्द लाल जी 14 साल से लेसू में काम कर रहे हैं, सरकार ने शासनादेश किया, ताज्जुब की बात है 14 वर्ष में भ्रष्टाचार के जरिये अकूत धन लूटने का काम किया, मा० नरेश अग्रवाल जी के हटने के बाद उस अधिकारी को पुनः पोस्टिंग करने का काम किया गया है। तो कहीं न कहीं इकबाल की बात है। मान्यवर, दुबारा इतिहास मौका नहीं देता है और इतिहास इन्तजार भी नहीं करता है। जो बिजली विभाग के बैठे हुए लोग हैं सोच रहे हैं कि छुटकारा अब हो नहीं सकता है कोई प्राविधान नहीं है। आदरणीय कुंवर साहब ने एक बात कही टेक्निकल हैंड के लोग हैं, आप सर्वे रिपोर्ट मंगा ले जितने आई० ए० एस० अधिकारी हैं ये जिस जिस विभाग में गये हैं केवल लूटने घसोटने का काम किये हैं। वही विभाग में इंजीनियर जिनका बहुत बड़ा योगदान है। (व्यवधान) यह आई० ए० एस० का एक काकस है। वह शासन की छड़ी चलाकर बताने का काम कर रहा है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

संसदीय कार्यमंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं।

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, 3 बजे तक इसमें चर्चा का समय निर्धारित था माननीय सदस्यों की अपेक्षाओं के अनुरूप आधा घंटा बढ़ाया गया। 15 मिनट हमारे सदस्य बोले हैं अभी माननीय मंत्री जी को बोलना है उसमें हो सकता है माननीय सदस्यगण स्पष्टीकरण भी ले। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी के बाद ये स्पष्टीकरण ले लें। जो आपने 30 मिनट बढ़ाया उसमें 15 मिनट और रह गया है। इसलिये मंत्री जी को बोलने दिया जाय। यह तो चलता रहेगा। 15 मिनट का समय और रह गया है।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिए जहां जरूरत पड़े स्पष्टीकरण ले लीजिएगा।

माननीय मंत्री जी को बोलने दीजिये आवश्यकता पड़ेगी तो स्पष्टीकरण के लिये अवसर दे दिया जायेगा।

(व्यवधान)

सूचना देने वाले श्री सुरेश कुमार खन्ना शेष हैं, मैं उनको बुलवाने के बाद माननीय मंत्री जी को बुलवाता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, जो बात सम्मानीय सदस्यों ने सदन के सामने रखी है मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । केवल 2-3 बातों की ओर आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने भी कहा और यह स्पष्ट हो चुका है कि 1989 के बाद हम विद्युत का उत्पादन नहीं कर पाये । शाहजहांपुर वह स्थान है जहां पर 1992 में 567 मेगावाट का एक थर्मल पावर स्टेशन रोजा के नाम से स्वीकृत हुआ था । मान्यवर, रोजा थर्मल पावर स्टेशन के नाम से शाहजहांपुर में एक थर्मल पावर स्टेशन स्वीकृत हुआ था 1992 में और लगातार 10 वर्ष बीत गये उसमें जनरेशन प्रारम्भ होना तो दूर रहा इसको बिरला ग्रुप को दिया गया था उसने वहां पर आफिस खड़ा किया, प्रारम्भिक प्रक्रियाओं को पूरा किया और पावर परचेज एग्रीमेन्ट भी हो गया लेकिन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने अपना आफिस बन्द कर दिया, जमीन अधिग्रहीत हो चुकी है । लैन्ड लूजर्स को मुआवजा मिल चुका है, लेकिन बिरला ग्रुप इस थर्मल पावर स्टेशन को लगाने के मूड में नहीं है । मुझे पता चला है कि आदित्य बिरला जी के जमाने में यह काम हुआ था, लेकिन उनके देहावसान के बाद जो उनके परिवार के लोग हैं, विशेष रूप से उनके पुत्र इसको लगाने में इन्ट्रस्टेड नहीं हैं । मेरा सुझाव है कि इसके लिये किसी अन्य ग्रुप को तलाश किया जाय और किसी अन्य ग्रुप को रोजा थर्मल पावर स्टेशन आवंटित कर दिया जाय ताकि वहां विद्युत जनरेशन का कार्य प्रारम्भ हो सके । इसके पूर्व वहां काफी फारमेलटीज पूरी हो चुकी है ।

दूसरी बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा इस विषय पर दुलवाये जाने का अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठता–

अगर दूसरे की नहीं सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा ? एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं, उनको सुन लीजिये, आपको फिर अवसर मिलेगा ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मान्यवर, गांवों में यदि कोई ट्रांसफारमर खराब होता है तो उसको 72 घंटे में बदले जाने का शासनादेश पहले से है लेकिन स्थानीय स्तर पर तमाम शिकायतें मिलती हैं कि ट्रांसफारमर का रिप्लेसमेंट नहीं हो पाता और जो दुबारा लगाये भी जाते हैं, वह ठीक से रिपेयर नहीं होते । मैं इस बात पर विशेष रूप से बल देता हूं कि ट्रांसफारमर बदले जाने का जो शासनादेश किया गया था कि 72 घंटे में अवश्य बदल दिया जाय, मैं मांग करता हूं कि उसका अनुपालन अवश्य सुनिश्चित कराया जाय ।

तीसरी बात कहना चाहता हूं कि शाहजहांपुर जनपद में पुंवाया तहसील है, जिसे मिनी पंजाब बोला जाता है, यह क्षेत्र गेहूं और धान उत्पन्न करने के मामले में बराबर नं० 1 व 2 पर रह चुका है, वहां पर पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय, वहां पर काफी ट्रांसफारमर खराब हैं, आपके माध्यम से उनको ठीक करवाने की निवेदन करता हूं । मैं माननीय मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, सदाशयी हैं, काफी उदार हैं और मैं जानता हूं कि वह इस संबंध में जरूर आश्वासन देंगे ।

(मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

अधिष्ठाता महोदय, सिर्फ 3 मिनट का समय इन माननीय सदस्यों को दे दीजिये, आप इनको एक-एक मिनट दे दीजिये ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय अब्दुल कलाम, माननीय शिव प्रताप और माननीय वसीम अहमद एक एक मिनट बोलेंगे ।

श्री अब्दुल कलाम (सन्त कबीर नगर)–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूँ, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जिस जगह से मैं आता हूँ वह क्षेत्र बुनकर बहुल क्षेत्र है । हमारे क्षेत्र मेंहदावल, सन्तकबीर नगर, खलीलाबाद, खोराबार, मगहर अपरडोभा में एक हजार पावरलूम चल रहे थे बिजली की कमी की वजह से नहीं चल पा रहे हैं । आज वहां बुनकरों की पोजीशन इतनी खराब हो गयी है कि वह पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं । वे अपनी रोजी–रोटी से दूर हो गये हैं । कभी-कभी 48–48 घण्टे तक बिजली नहीं रहती है । मान्यवर, वहां के बुनकर कामर्शियल बिल अदा करते हैं, उस क्षेत्र को इन्डस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है । मंत्री जी कहते हैं कि हम 10 घण्टे बिजली दे रहे हैं लेकिन अधिकतम 6 घण्टे ही बिजली मिल पा रही है । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज बुनकर की स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है इसलिए आप उस क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायें । धन्यवाद ।

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, मेरा क्षेत्र गैंसड़ी जनपद बलरामपुर नेपाल से जुड़ा क्षेत्र है । पछपेड़वा और गैंसड़ी ब्लाक नेपाल से जुड़े क्षेत्र हैं । हमारे क्षेत्र से नेपाल का डांग जिला जुड़ा हुआ है जो माओवादियों से एफेक्टेड है । मान्यवर, नेपाल में बिजली है लेकिन पछपेड़वा और गैंसड़ी में एक महीने से विद्युत आपूर्ति ठप है । माओवादी अँधेरे का फायदा उठाकर हिन्दुस्तान में जो पछपेड़वा क्षेत्र है वहां पर घुसकर लूटपाट करते हैं । मान्यवर, मैं बताना चाहता हूँ सीमावर्ती जो वन क्षेत्र हैं उन वनों की जबरदस्त कटान हो रही है, बार्डर एरिया के जो थाने हैं हिन्दुस्तान के, ये सब मिले हुए हैं । मान्यवर, यह देश की सुरक्षा से संबंधित मामला है इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो सीमावर्ती गाँव हैं वहां पर जो बिजली ठप पड़ी हुई है उसे तत्काल चालू किया जाय ।

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री जगदम्बिका पाल, श्री नरेश अग्रवाल ....

(प्रतिपक्ष के सदस्य श्री वसीम अहमद तथा कुछ अन्य सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप इस तरह बोलेंगे तो कैसे चर्चा चलेगी ? इतनी अच्छी चर्चा चली है । मंत्री जी के बोलने के बाद आपको स्पष्टीकरण का मौका दे दिया जायेगा ।

(प्रतिपक्ष के कई सदस्य एक साथ बोलने लगे)

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, समय समाप्त हो गया है । मान्यवर, आपने आधे घण्टे का समय और बढ़ाया था । सभी सदस्यों के विचार आ गये हैं । अभी माननीय मंत्री जी के भी विचार आने है । मान्यवर, मैं अदब के

नाथ कहता हूं अभी फाइव स्पष्टीकरण भी आ सकते हैं इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूँ कि मंत्री जी को स्पष्टीकरण देने के लिए 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाये ।

(श्री अधिष्ठाता ने चर्चा का समय 10 मिनट और बढ़ा दिया)

प्रदेश में अल्पकालिक विद्युत संकट पर डा० अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुँ० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मी कान्त बाजपेयी, श्री द्वारिका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दि० 20 मई, 2002 को दी गई सूचनाओं पर चर्चा (क्रमागत)

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)--

मान्यवर, माननीय श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल माननीय कुँ० रेवती रमण जी, माननीय प्रमोद कुमार जी बाजपेयी जी और तमाम माननीय सदस्यों के साथियों के विचार हमने सुनें । जिनमें से माननीय नरेश चन्द्र अग्रवाल, माननीय कुँ० रेवती रमण जी और माननीय प्रमोद कुमार जी ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं । मान्यवर, यह बात सही है कि आज यह सदन की समस्या नहीं है, विद्युत विभाग से आम आदमी जुड़ा हुआ है, मजदूर से लेकर किसान से लेकर कर्मचारी से लेकर व्यापारी से लेकर उद्योग पति से लेकर सभी इस समस्या से जूझ रहे हैं और सभी के सामने यह समस्या है 55 साल में क्या हुआ है ?

(व्यवधान)

मान्यवर, लच्छेदार भाषण से काम नहीं चलेगा । आलोचना, समालोचना करने से काम नहीं चलेगा । इस घोर संकट पर सभी को गम्भीरता से विचार करना होगा । इस समस्या का समाधान तभी हो भी सकता है । मान्यवर, बहन मायावती जी की यह सरकार विद्युत विभाग को पूर्ण तरह से ठीक करना चाहती है । जो संकट हमारे सामने है उसका समाधान भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों की सरकार करेगी, यह कहना चाहता हूं सदन को ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

शान्त रहें और माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं कृपया सुन लें ।

श्री रामवीर उपाध्याय--

मान्यवर, पिछले 55 वर्षों में, अभी अग्रवाल जी कह रहे थे कि एन० टी० पी० सी० से हमारा 3 हजार मेगावाट तक कान्टेक्ट है और हम वहां से पूरी बिजली नहीं ले पा रहे हैं । मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाह रहा हूं कि एन० टी० पी० सी० का 4378 करोड़ रुपये बकाया है, एन० एच० पी० सी०--863 करोड़ बकाया है, एन० पी० सी० एल--377 करोड़, पी० जी० सी० आई० एल--516 करोड़ । इसी तरह से मान्यवर, कुल 6134 करोड़ रुपये हमारा भारत सरकार के जो उपक्रम हैं उनका बकाया है । उ० प्र० राज्य विद्युत निगम--678 करोड़, उ० प्र० जल विद्युत निगम--112 करोड़ और अन्य पांच करोड़ कुल 795 करोड़, आपूर्ति कर्ताओं पर 150 करोड़ कर्मचारियों के जी० पी० एफ० से सम्बन्धित 1336 करोड़ और कर्मचारियों की अन्य देयता 20 करोड़ । इस तरह से आठ हजार 38 करोड़ होगा और वित्तीय संस्थाओं का जो बकाया है, वह है कुल 966 करोड़ । इस तरह से 11.106 करोड़

रुपया आज की तारीख में हमारे ऊपर देनदारी है । इन परिस्थितियों में हमको किस तरह से विभाग को ठीक करना है, किस तरह से अपने उत्पादन को बढ़ाना है । हमारा सरकारी और गैर सरकारी तथा उत्तराखण्ड के विरुद्ध 330 करोड़ के बकाये को मिलाकर कुल 6538 करोड़ रुपया बकाया है यह हमको वसूल करना है ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान/शोर)

13 करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन हम उत्पादन करें तब हम पूरे प्रदेश को सप्लाई कर सकते हैं । मात्र 7 करोड़ यूनिट हम तैयार कर पा रहे हैं, 4 करोड़ यूनिट बिजली एन०टी०पी०सी० और अन्य से ले रहे हैं । इस प्रकार 11 करोड़ यूनिट हो पा रहा है । इसमें 8 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्र में सप्लाई कर पा रहे हैं । कल जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि कितने यूनिट की जरूरत है और कितना सप्लाई कर रहे हैं । तो मैं बताना चाहता हूं कि दो करोड़ यूनिट बिजली प्रतिदिन के हिसाब से कम है और इसीलिए कटौती करनी पड़ रही है । एक अप्रैल को भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री जी के साथ महामहिम राज्यपाल जी की बैठक हुई और माननीय ऊर्जा मंत्री भारत सरकार ने साफ मना कर दिया कि एन०टी०पी०सी० से अब क्रेडिट पर बिजली नहीं मिलेगी । सरकार की पहले से ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घण्टे बिजली देने की विवशता थी । चूकि 1 अप्रैल, 2002 से एन०टी०पी०सी० ने उधार बिजली देना बन्द कर दिया इसलिए दो घण्टे की कटौती करनी पड़ी । हम कटिबद्ध हैं 8 घण्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्र को देंगे । यह मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं और अगर कहीं लगता है कि बिजली नहीं पहुंच रही है और अधिकारियों को दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी । 3 मई, 2002 को बहन मायावती जी ने शपथ ली है, हम बताना चाहते हैं उसी दिन से बहुत बड़ी संख्या में जो बकाया था उसकी वसूली में सख्त कदम उठाये गये हैं । यह सदन अच्छी तरह से जानता है कि वित्तीय साधन मजबूत नहीं होंगे, धन नहीं होगा तो न हम एन०टी०पी०सी० से बिजली खरीद पायेंगे, न तेल, न कोयला और न पावर हाऊसों का जीर्णद्धार कर पायेंगे । वित्तीय साधन जुटाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता से वसूली की तरफ कदम बढ़ाया है ।

संसदीय कार्य, रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, उधर के लोग बिजली की स्थिति जानते हुये भी ए० सी० में पंखा चला रहे हैं, हम लोग उसको बचा रहे हैं ।

कुं० रेवती रमण सिंह–

यह पंखे हम लोग नहीं चला रहे हैं विधान सभा सचिवालय चला रहा है । आप बंद करवा दें ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

माननीय रेवती रमण सिंह जी ने कहा कि आपने आई०ए०एस० अफसरों को बैठा दिया है हम बताना चाहेंगे कि हमने किसी भी इंजीनियर की पावर में कटौती नहीं की है, कमी नहीं की है । हमने राजस्व वसूली के लिये बोर्ड आफ रेवेन्यू के चेयरमैन को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा है । पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष जी पूरे क्षेत्रों में जा रहे हैं और कमिश्नर, डी०आई०जी०डी०एम० और एस०एस०पी० आदि अधिकारियों से बिजली विभाग के अधिकारी सहयोग ले रहे हैं जिससे राजस्व में बढ़ोत्तरी हो । मान्यवर,

3 मई से 128 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वसूली हुयी है । 40 प्रतिशत अधिक वसूली इन 16-17 दिनों में हुयी है यह बहिन मायावती की सरकार पूरी तरह संवेदनशील है उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली देने के लिये ।

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर चर्चा का समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता–

समय समाप्त हो गया है ।

संसदीय कार्य, रेशम उद्योग एवं वस्त्रोद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मैं बहुत अदब के साथ कहना चाहता हूं कि अगर माननीय सदस्य आपस में विचारों का आदान प्रदान न करें तो समय की कमी नहीं हो सकती थी लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं का आदर करते हुये मैं निवेदन करता हूं कि मान्यवर, 5 मिनट का समय और बढ़ा दें ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध है कि समय 10 मिनट का बढ़ा दें इससे मंत्री जी का जवाब आ जायेगा और माननीय सदस्यों के स्पष्टीकरण भी हो जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं 5 मिनट का समय माननीय मंत्री जी के लिये और 5 मिनट का समय माननीय सदस्यों के स्पष्टीकरण के लिये रखता हूं । 10 मिनट बाद यह समय पूरा हो जायगा और अगली मद ली जायगी ।

प्रदेश में उत्पन्न विद्युत संकट पर श्री अशोक बाजपेयी, श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल, कुं० रेवती रमण सिंह, श्री शारदा नन्द अंचल, डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री द्वारका प्रसाद तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा दि० 20 मई, 2002 को दी गई सूचनाओं पर चर्चा (क्रमागत)

ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)–

मान्यवर, बिजली की समस्या बड़ी समस्या है इसके समाधान के लिये थोड़ा समय चाहिये । जबसे बहिन मायावती ने मुख्य मंत्री का पद सम्भाला है तबसे बहुत तेजी से काम हो रहा है और जैसे बहिन मायावती जी ने पिछली बार 6 महीनों में 6 साल का काम किया था वैसे ही यह सरकार इस बार कार्य कर रही है । जो समस्या पिछले 55 वर्ष से है उसको बहिन मायावती की सरकार 5 वर्षों में पूरा करके दिखायेगी ।

जन जन को बिजली की सुविधा दी जाएगी । जो घोर संकट है उसका समाधान अवश्य किया जाएगा । सरकार की इच्छाशक्ति पर यह निर्भर है । नेता सदन की इच्छाशक्ति पर यह निर्भर करता है ।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

कैसे समाधान करेंगे ?

श्री रामवीर उपाध्याय–

जहां तक आईए०एस० अफसर की नियुक्ति का सवाल है अनेक राज्यों में आई०ए०एस० अफसर नियुक्त हैं। आन्ध्र प्रदेश में नियुक्त हैं दिल्ली में नियुक्त हैं। अपने अधिकारियों के पावर को कम नहीं किया है। किसी भी इंजीनियर के पावर को कम नहीं किया है। राजस्व वसूली के लिए एम०डी० को लगाया है। जोन में बांटकर वसूली में लगा दिया जाए यह व्यवस्था की है। पहले बिजली विभाग के अधिकारियों को जिला प्रशासन से सहयोग नहीं मिलता था जिससे वसूली नहीं हो पाती थी इसके कारण संकट गहराता गया व 11 हजार करोड़ की देनदारी हो गई। अब एम०डी० सीधे जिला प्रशासन से बात करता है, एस०पी० से बात करता है। अब एक्जीक्यूटिव इंजीनियर चीफ इंजीनियर कमिश्नर से डी० एम० से कोआर्डीनेशन करके वसूली में तेजी ला रहे हैं। 17 दिन में 128 करोड़ की वसूली प्रदेश में हुई है। इसके लिए तेजी से अभियान चलाया जा रहा है। फीडर स्तर पर, तहसील स्तर पर, टाप 10 बड़े-बड़े बकाएदार माफियाओं को चिन्हित किया गया है उनके खिलाफ सख्त वसूली की कार्यवाही की जा रही है। 17 दिन में पी०एल०एफ० बड़ा है। अब 63 प्रतिशत पी०एल०एफ० है। हम निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान करेंगे। हमको सदस्यों का सहयोग चाहिए हल्ला गुल्ला करने से काम नहीं चलेगा। भाषण से काम नहीं चलेगा। हमारे नेता सदन की इच्छाशक्ति है। हमें इस विभाग को ठीक करना है। हम दिन प्रतिदिन बिजली विभाग में सुधार करेंगे। राजस्व वसूली में बढ़ोत्तरी करेंगे। उत्पादन बढ़ाएंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से प्रश्न करना चाहता हूं उन्होंने अपेक्षा की है कि सभी सदस्यों का सहयोग मिले तो समस्या का समाधान वह करेंगे। हम लोग उसको गम्भीरता से लेते हैं लेकिन बाद के जो वाक्य हैं उसमें बहुत हल्कापन है उन्होंने कहा कि हल्ला गुल्ला न करें। मान्यवर, सबने अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। सबने इस सन्दर्भ में समस्याएं और अपनी भावनाओं से प्रदेश की स्थिति को बताया है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने सहयोग की बात कही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अभी कितनी वसूली बाकी है ? अभी इन्होंने कहा कि 2 करोड़ यूनिट की कमी है जिसके कारण से कटौती की जा रही है। 2 करोड़ यूनिट 100 करोड़ रुपये एन०टी०पी०सी० को देकर आयात करेंगे जिससे बिजली की कटौती से प्रदेश को मुक्त किया जा सके। दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो क्या भविष्य में निजी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के लिए अनुमति देंगे। प्रदेश में बढ़ती हुई मांग और उत्पादन के सन्तुलन को बनाये रखने के लिए निजी क्षेत्र में उत्पादन के लिए देने पर विचार करेंगे।

श्री रामवीर उपाध्याय–

जैसा पाल साहब ने कहा मैं बताना चाहता हूं कि जो 128 करोड़ की वसूली हमने की है वह बकाय में से ही थी। इस समय 11,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की देनदारी है। पहले हमको कर्जा चुकाना है। जब कर्जा निपट जायेगा उसके बाद हम जरूर उत्पादन बढ़ायेंगे और फिर हम एन० टी०

पी० सी० से भी बात करेंगे । जहां तक निजी क्षेत्र की बात कही गयी है । हम बता देना चाहते हैं कि हम निजी क्षेत्र को कोई बढ़ावा नहीं देंगे बल्कि अपने ही संसाधनों को ठीक करेंगे ।

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

संसदीय कार्य, वस्त्रोद्योग एवं रेशम उद्योग मंत्री (श्री सुखदेव राजभर)–

मान्यवर, अब आगे की मद लीजिये । इसको समाप्त कीजिये । 4 बार इसमें समय बढ़ा दिया है । अभी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी इतना निराशाजनक जवाब माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने दिया है । कह रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपया कर्जा है और अभी सिर्फ इन्होंने वसूली किया है 128 करोड़ रुपये । मान्यवर, यह 11,000 करोड़ रुपये कब तक अदा करेंगे । पांच साल में भी नहीं कर पायेंगे । आज समस्या इस बात की है कि जो बिजली कटौती है इसको तत्काल समाप्त कैसे करेंगे ? एन०टी०पी०सी० को पैसा देकर सरकार एग्रीमेन्ट कर ले कि उनका पैसा धीरे-धीरे चुकता कर देंगे । 5-6 सौ मेगावाट बिजली जो अनुबन्ध में है वह तत्काल उपलब्ध करा दें तो कटौती निश्चित रूप से कल से समाप्त हो जायेगी । आज समस्या इस बात की नहीं है कि आप बिजलीघर कब बनवायेंगे । आज जो बिजली की आवश्यकता है उसको कैसे पूरा करेंगे ? यह समस्या है । बिजली की समस्या के समाधान के लिये लौंग टर्म पर नहीं जाना चाहते हैं । तीन महीने पहले जब तक चुनाव हो रहे थे इस तरह से बिजली की कोई कटौती नहीं थी । आज आप ऐसा काम करेंगे कि तत्काल एन०टी०पी०सी० को थोड़ा-थोड़ा पैसा अदा करने का एग्रीमेंट करके 5-6 सौ मेगावाट विद्युत तत्काल उपलब्ध करवाना शुरू कर दें जिससे यह विद्युत कटौती कम हो सके ।

श्री रामवीर उपाध्याय–

जब हम आर्थिक रूप से मजबूत हो जायेंगे तो उनसे बिजली खरीदेंगे और कटौती को कम करेंगे ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गई)

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है इसका समय पूरा हो गया है और अब मैं आगे की मद संख्या–11 ले रहा हूं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आरम्भ होगी ।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

जिस तरह से माननीय मंत्री जवाब दे रहे हैं इन्होंने विद्युत की कटौती पर कोई जवाब नहीं दिया । मंत्री जी से जवाब दिलवाइए ।

(घोर व्यवधान)

(श्री शारदानन्द अंचल, श्री उदयराज, श्री राम विशुन आजाद, श्री वसीम अहमद, श्रीमती मीना भारद्वाज, सुश्री सन्ध्या कठेरिया, श्री ओम प्रकाश आदि विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए ।)

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं सदन की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं ।

(श्री अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 3 बजकर 55 मिनट पर 10 मिनट के लिए स्थगित कर दी । 0.04 बजकर 0.05 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई ।)

प्रदेश में विद्युत कटौती से मुक्ति दिलाने हेतु स्पष्ट नीति की घोषणा न किये जाने के प्रकरण पर श्री अध्यक्ष की व्यवस्था

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी.....

श्री अध्यक्ष–

समय समाप्त हो गया है यह तो आपको मालूम ही है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, जब बिजली मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया तो उनके लिखित उत्तर और जो उन्होंने मौखिक उत्तर दिया था उसमें विरोधाभाष था । कल वह प्रश्न स्थगित हो गया था और उस पर चर्चा मन्जूर हो गयी थी । इतनी देर से विचार आने के बाद हम यह अपेक्षा करते थे कि बिजली मंत्री जी कोई गम्भीर बात रखेंगे ? विद्युत मंत्री यहां पर हैं भी नहीं आप उन्हें बुलवा लें । प्रार्थना की गयी कि 12.00 बजे चर्चा कराना चाहते हैं लेकिन बिजली मंत्री जी की अनुपस्थिति का बहाना लिया गया एक सम्मानित सदस्य द्वारा एक भी उत्तर उन्होंने हमारे प्रश्न से संबंधित नहीं दिया, कोई भी आश्वासन उन्होंने नहीं दिया कि हम इस बिजली कटौती को कैसे समाप्त करेंगे । कोई उन्होंने उसका उपाय या उपचार नहीं बताया । हां इतना अवश्य है कि हर दो मिनट के "बाद जब से हमारी बहन मायावती जी ने शपथ ली यह कहते थे । हम यह सोचते थे कि शायद अब कुछ विद्युत संकट के बारे में कोई उपाय बतायेंगे लेकिन फिर वही जब से हमारी बहन मायावती जी ने शपथ लिया शुरू हो जाता । [x x x] अगर उन्होंने शपथ ले लिया तो यह बताने की आवश्यकता नहीं है । इस तथ्य की जानकारी सबको है । आप कार्यवाही निकलवाकर देख लें एक नहीं 11 बार उन्होंने अपने 10 मिनट के भाषण में जो उत्तर दिया है उसको दोहराया है । उनकी बहन मायावती जी ने अगर शपथ ले लिया है तो इससे बिजली की समस्या हल होने वाली नहीं है । अगर [x x x] तो उनकी जगह, जो सामूहकि उत्तरदायित्व होता है, माननीय

नोटः–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

संसदीय कार्य-मंत्री जी बैठे हैं, माननीय कैलाश नाथ जी बैठे हैं, लालजी वर्मा जी बैठे हैं, उनकी जगह जवाब दे सकते हैं। वह यह बतायें कि इस बिजली के संकट के लिए यह सरकार क्या-क्या उपाय करने जा रही है ? अगर इस सवाल को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो मैं यह समझूंगा कि यह सदन के समय को गंवाना होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इस बिजली के संकट के हल के लिए कोई आश्वासन दिलाने की कृपा करें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, हमने यह सोचा था कि सरकार इसको गम्भीरता से लेगी। माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया था, और माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकार किया था और अगर यह गम्भीर विषय न होता तो आप भी इसको स्वीकार नहीं करते। वह बोल गये कि 11000 करोड़ रुपया बाकी है जब तक हम इसका भुगतान नहीं करेंगे कोई डिसीजन नहीं लेंगे। केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी के साथ महामहिम श्री राज्यपाल ने एक बैठक की। जो एन०टी०पी०सी, एन०एच०पी०सी० और एन०ई०सी० द्वारा जो भी प्रस्ताव रखे, कितना कैश और कितना बांड मांगने की बात कही थी इस पर प्रकाश डालें। सेन्ट्रल सेक्टर का हमारा शेयर तीन हजार मैगावाट है। मान्यवर, यह सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश प्रीयारिटी में नहीं है। 25 फरवरी को एम०ओ०यू० में जो साइन हुआ था उसमें कहा था कि उत्तर प्रदेश में रिफार्म लागू होना है इसलिए उत्तर प्रदेश को प्राथमिकता दी जाएगी। एक बात का जवाब भी यहां पर गम्भीरता से नहीं दिया गया है। सरकार के लिए बहन मायावती जी सबकुछ हो सकती हैं, हमारे लिए बहन मायावती जी सबकुछ नहीं हैं। यह बात बार-बार कही जाती है। माननीय ऊर्जा मंत्री जी चले गये हैं। जब तक ऊर्जा मंत्री सदन में यह घोषणा नहीं करेंगे कि प्रदेश में ऊर्जा की कमी को कैसे दूर किया जाएगा तब तक समाजवादी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हम यहां जनता के लिए आए हैं सत्ता के लिए नहीं। मान्यवर, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, अगर किसी विषय पर चर्चा चल रही है तो उससे संबंधित मंत्री सदन छोड़कर नहीं जाते हैं। मान्यवर, हमें केवल यह उत्तर दिलवा दीजिए कि बिजली संकट के लिए सरकार क्या उपाय करेगी। यहां कहा गया कि हमने 128 करोड़ रुपये की वसूली कर ली है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अब समय है आप एन०टी०पी०सी० से आग्रह कर लीजिए, कि आपकी जो देनदारी है वह आप धीरे-धीरे बाद में चुका देंगे और जो इस समय जरूरत है 100 करोड़ रुपये से और बिजली आयात कर लीजिए। मानसून आने के बाद बिजली की मांग में कमी आ जाएगी। बरसात के बाद मांग कम हो जाएगी. इसलिए मान्यवर, यह पीक आवर है प्रदेश के लिए, मेरे इस सुझाव पर जरा गौर कर लें।

श्री अध्यक्ष–

आप चर्चा के ऊपर चर्चा कर रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, .उत्तर प्रदेश में जो विद्युत कटौती है मैं चाहता हूं कि आप निर्देशित कर दें कि इस बिजली कटौती से मुक्ति के लिए यह सरकार एन०टी०पी०सी० से बिजली आयात करे ।

श्री अध्यक्ष–

एक तो जब किसी विषय पर चर्चा होती है तो उस चर्चा का समय निर्धारित होता है । उस समय के बाद चर्चा स्वतः समाप्त हो जाती है । दूसरी बात यह है कि हम किसी भी माननीय मंत्री को सदन में आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते । हम उनसे केवल अपेक्षा कर सकते हैं । उसमें माननीय पाल जी ने, माननीय नरेश जी ने, मा० कुंवर साहब ने अनेक बातें कही हैं । मा० ऊर्जा मंत्री जी ने इन सब बातों का संज्ञान लिया होगा । अब वे चर्चा के समय तो मौजूद थे ही । स्थगन के बाद उपस्थित नहीं हैं । मैं यह अपेक्षा करता हूं कि यह जो संकट है इसका समाधान इंस्टेंट काफी की तरह नहीं है कि डाला और पेयजल तैयार हो गया । संसदीय कार्य-मंत्री जी और ऊर्जा मंत्री जी बैठकर के जो तमाम बहुमूल्य सुझाव आये हैं, देश को विद्युत संकट से निकालने के लिये प्रयास करें ।

दिनांक 20 मई, 2002 को श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता विरोधी दल द्वारा दिये गये संशोधन प्रस्ताव के बिन्दु–1 तथा 3 के सम्बन्ध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय–

श्री अध्यक्ष–

अब महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण की चर्चा लेते हैं । उससे पहले एक व्यवस्था दे दूं । कल माननीय नेता प्रतिपक्ष के संशोधन के ऊपर माननीय लक्ष्मी कान्त बाजपेयी जी नें आपत्ति की थी, जिस पर मैंने अपनी व्यवस्था सुरक्षित की थी । महामहिम के अभिभाषण पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसकी मद संख्या–1 में गुजरात दंगों के परिप्रेक्ष्य में बात रखी है । मद संख्या–3 में गुजरात दंगों के बेघर व बेसहारा लोगों को रोजी-रोटी, मकान व अन्य मदद देने में हमदर्दी का तस्करा करने के सम्बन्ध में है । विधान सभा सदस्य डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने इन संशोधनों पर इस आधार पर आपत्ति की कि यह हमारे क्षेत्र के बाहर हैं इसे सदन में नहीं कहना चाहिये इसको इससे निकाल देना चाहिये मैंने कल डा० बाजपेयी के तर्क सुनने के बाद व्यवस्था सुरक्षित रख ली थी । वह व्यवस्था मैं दे रहा हूं ।

महामहिम के अभिभाषण पर मा० नेता, प्रतिपक्ष श्री आजम खां द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं उसकी मद संख्या–1 में गुजरात दंगे के परिप्रेक्ष्य में कुछ संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात का उल्लेख है । मद संख्या–3 में गुजरात के दंगों में बेघर और बेसहारा लोगों को रोजी-रोटी, मकान एवं अन्य मदद देने में हमदर्दी का तस्करा भी करने की बात कही गयी है ।

विधान सभा सदस्य मा० लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने इन संशोधनों पर मुख्यतया इस आधार पर आपत्ति की है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार के क्षेत्र के बाहर की बातें हैं इसलिए इनका उल्लेख संशोधन में नहीं करना चाहिए । अतः इन मदों को निकाल देना चाहिए ।

मैंने कल मा० श्री बाजपेयी जी के तर्कों को सुनने के बाद अपनी व्यवस्था सुरक्षित रख ली थी ।

यह स्पष्ट है कि जिन विषयों के प्रति राज्य सरकार उत्तरदायी नहीं है उन विषयों पर सदन में चर्चा नहीं हो सकती । संशोधन की मद संख्या–1 में गुजरात का विषय राज्य सरकार से संबधित नहीं है कि बल्कि दूसरे प्रदेश से संबंधित है । ऐसी स्थिति में उस पर चर्चा विधान सभा में नहीं हो सकती है ।

श्री सुभाष कश्यप की पुस्तक पार्लियामेन्ट्री प्रोसीजर वाल्यूम–1 के पृष्ठ–461 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा करते समय उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जिनके बारे में केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है । इसी तर्क के आधार पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करते समय उन विषयों पर चर्चा नहीं की जा सकती जो राज्य सरकार की जिम्मेवारी में नहीं है ।

जहां तक शिव सेना, बजरंग दल व विश्व हिन्दू परिषद पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव का प्रश्न है यह उल्लेखनीय है कि इस संबंध में राज्य सरकार को कोई शक्ति नहीं है । विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा–3 और आतंकवाद निवारण अधिनियम, 2002 की धारा–18 के अधीन किसी संघ या संगठन को प्रतिबंधित करने की शक्ति केन्द्र सरकार को है । चूंकि यह प्रकरण भी राज्य सरकार की शक्ति के बाहर का है, अतः राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा के समय इसके संबंध में भी चर्चा नहीं की जा सकती है । अतः मद संख्या–1 पर उल्लिखित संशोधन ग्राह्य नहीं है ।

अतः उपरोक्त संशोधन प्रस्ताव की मद संख्या–1 निकाल दी जाए । मद संख्या–3 में कोई ऐसी बात नहीं है जिस पर उत्तर प्रदेश सरकार चर्चा न कर सके । अतः मद संख्या–3 संशोधन प्रस्ताव में बनी रहेगी ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–1 निकाली है, मद संख्या–3 रहेगी ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव †

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिवप्रताप यादव–

मान्यवर, कल की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष द्वारा महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के विपक्ष में जो बात रखी है उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार एक बहुत ही अहम मुद्दा है लेकिन इस अभिभाषण में भ्रष्टाचार जैसे अहम मुद्दे को गम्भीरता से नहीं लिया गया है । मान्यवर, पूर्ववर्ती सरकार के कई मंत्रियों के खिलाफ लोकायुक्त की जांच चल रही है लेकिन अगर भ्रष्टाचार को समाप्त करना था तो यह आवश्यक हो जाना चाहिये कि लोकायुक्त की रिपोर्ट को सदन में रखकर उस पर कार्यवाही की जाय ।

इसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई । दूसरी बात आज पूरे प्रदेश में लखनऊ से जिलों और मंडलों और परिक्षेत्रों की नीलामी हो रही है । क्या इससे भ्रष्टाचार मिटेगा ? जो दागदार अधिकारी हैं उनको मलाईदार पोस्टिंग दी जा रही है । इसका असर जिलों में है । जिलों में तहसील और थानों की नीलामी हो रही है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं जैसे पतीली के एक चावल से पता चल जाता है कि पूरा

नोटः–† दिनांक 20 मई, 2002 की कार्यवाही से ।

चावल पका है या नहीं उसी तरह से इससे भी पता चल जायेगा । एक पचपेड़वा जनपद बलरामपुर में हैं जो नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ थाना है । वहां के थानाध्यक्ष का एक साल पहले ट्रान्सफर हो गया था लेकिन पुनः उनकी पोस्टिंग 2 माह पहले उसी थाने में कर दी गयी है । एक उदाहरण और है बात बहुत छोटी है एक कानूनगो जो फ्राड के मामले में जेल चला गया था जिलाधिकारी ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जेल से छूटने के बाद उसको एक माह में पचपेड़वा जहां थारू जनजाति और अल्पसंख्यक की बहुलता है पुनः पोस्टिंग कर दी गयी है ।

तहसील के जो होमगार्ड हैं उनको वह मार्शल गाड़ी में बैठाकर गांव-गांव में वसूली कर रहा है । दूसरी लॉ एण्ड आर्डर की बात है । अपराध रोकने की बात कही गयी है वह भी बहुत हल्केपन से कही गयी है । अगर अपराध रोकने की सही मंशा होती तो एस०टी०एफ० की रिपोर्ट है जिसमें कई पूर्व मंत्री जिनके श्री प्रकाश शुक्ला माफिया से संबंध थे, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गयी अगर अपराध रोकने की मंशा होती तो एस०टी०एफ० की रिपोर्ट सदन में रखी जाती और उस पर कार्यवाई होती । चाहे झुनझुनवाला अपहरण काण्ड हो या अन्य कोई अपहरण काण्ड हो उसके आधार पर एस०टी०एफ० की रिपोर्ट को सदन में रखकर कार्यवाही करने की बात कही जाती तो मैं समझता कि अपराध को समाप्त किया जायेगा । एक कहावत है गांव में कि जो छिनरा है वह डोली के रखवाले नहीं हो सकते तो मान्यवर, सत्तारूढ़ दल के कई मंत्री है जो अपराधी हैं जिनके ऊपर मुकदमें दर्ज हैं । इनके सहयोगी भाजपा के पूर्व मंत्री अपराधी हैं माफिया हैं और ऐसे लोगों को सत्ता में रखकर क्या बहन मायावती जी अपराध को खत्म कर पायेंगी, नहीं कर पायेंगी । उन्हें ऐसे लोगों को हटाना पड़ेगा । इससे जो इनके बगल में बैठे हैं उनको सफलता नहीं मिलेगी ।

जहां तक उत्पीड़न का सवाल हैं कहा गया अभिभाषण में कि पिछड़ों, दलितों और अपल्संख्यकों का उत्पीड़न नहीं होगा एक उदाहरण देना चाहता हूं हमारे विधान सभा क्षेत्र के गोष्ठी गांव में पिछले साल ईद के दिन 30 दिसम्बर को दो बच्चों से मामूली झगड़े हुए उसमें इत्तिफाक की बात कि एक बच्चा मुसलमान परिवार का था और एक बच्चा हिन्दू परिवार का था । बच्चे का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती । ईद के दूसरे दिन समझौता हो गया लेकिन एक बजे रात को 25–25 मुसलमान भाइयों को घरों से पुलिस ने पकड़कर गैंगस्टर की फर्जी धाराओं में जेल भेज दिया इसमें को-आपरेटिव बैंक गोण्डा के पूर्व जिला अध्यक्ष फसीउद्दीन और स०पा० महिला सभा की अध्यक्ष आइशाखान के पति का नाम जब आ गया तो माननीय शिव पाल सिंह यादव, अहमद हसन साहब और धनीराम वर्मा जी वहां स०पा० के आन्दोलन में गये तो 169 के तहत पुलिस ने कार्यवाही करके फसीउद्दीन साहब को जेल से निकाल दिया जो मुख्य अभियुक्त बनाये गये थे । यदि सरकार में पारदर्शिता है तो जो मुकदमा 30 दिसम्बर, 2001 को गैसड़ी कोतवाली में फर्जी दर्ज किया गया था उसे वापस लिया जाय ।

उस मुकदमें को वापस लिया जाय क्योंकि जितने भी मुलजिम बनाये गये थे, इसके पहले उन पर एक भी मुकदमा नहीं था । मान्यवर, मेरा विधान सभा क्षेत्र नेपाल सीमा से जुड़ा हुआ है, जहां पर थारू जनजाति की काफी बड़ी आबादी निवास करती है, वहां पर बार्डर के एरिया में थारू विकास परियोजना लागू है, वहां का परियोजना अधिकारी एक डाक्टर के रूप में वहां आया था, जो अभी तक वहां जमकर बैठा है, वह सारा पैसा, जो थारू विकास के लिये जाता है, खा जाता है । इसी प्रकार वन विभाग का काफी बड़ा क्षेत्र मेरे यहां हैं, अगर कोई गरीब आदमी चूल्हा जलाने के लिये सूखी लकड़ी जो जमीन पर

पड़ी रहती है, उसको उठा लेता है तो उस पर वन विभाग के लोग कार्यवाही करते हैं, जबकि दूसरी तरफ वहां अवैध कटान हो रही है । हमारे यहां पचपेड़वा में पूरे उत्तर प्रदेश में जो सागौन और शीशम का रेट है, उससे आधे रेट पर आपको वहां मिल जायेगा । इसीलिये अवैध कटान पर रोक लगाई जाय और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाय ।

मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि मेरा क्षेत्र नदी नालों से घिरा क्षेत्र है । मेरे क्षेत्र में धोवहा नाला घाट था थोमर नाला का जो पुल बन रहा था, मेरे चुने जाने के बाद उसका काम रोक दिया गया है । इसी प्रकार चित्तौड़गढ़ जलाशय में जो नहरें व माइनरें हैं, उनकी टेल तक खुदाई नहीं हुई है । हमारे यहां पथरीली सतह होने के कारण ठीक से बोरिंग नहीं हो पाती है, इसलिये हैण्डपम्प नहीं लग पाते हैं और सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं है । अतः रिंग मशीन से बोरिंग कराकर नल कूप व हैण्ड पम्प लगवाया जाये कई निर्माणाधीन कार्य रूक गये हैं इसलिये मेरी मांग है कि निर्माणाधीन जो कार्य हैं, उनको पुनः शुरू कराया जाय । सैलवा तथा सोनही नालों पर पुलों का निर्माण कार्य तत्काल शुरू कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया अब समाप्त करें ।

श्री शिव प्रताप उर्फ डा० शिव प्रताप यादव–

मान्यवर, हमारा बलरामपुर जनपद नवसृजित जिला है । 11 नवसृजित जिलों में जिला अस्पताल में प्रभारी अधिकारी फार्मेसी पद के सृजन के लिये एक माह पहले स्वास्थ्य महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा शासन को भेजा गया था, इस पर इतना स्लो काम हो रहा है कि एक महीना बीत जाने के बाद भी पद सृजित नहीं हुये हैं । मेरी मांग है कि यह स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, इसलिये शीघ्र कार्यवाही करके पद सृजित कर जिलों में भेजे जायें । मेरे क्षेत्र गैसड़ी व पचपेड़वा में विद्युत आपूर्ति ठप्प हो गई है, उसको चालू कराया जाय ।

श्री रमेश कान्त लवानिया–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये आभार व्यक्त करता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में शासन की नीति परिलक्षित होती है । शासन हर समस्या के प्रति कितना गम्भीर है, सरकार कितना प्रभावी कदम उठाना चाहती है, यह महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट रूप से दिया होता है । हमारी सरकार का लक्ष्य अन्यायमुक्त, भयमुक्त, अपराधमुक्त और विकासयुक्त वातावरण पैदा करना है । हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रदेश की उन्नति, वहां की शान्ति व्यवस्था किस तरह की है, इस पर निर्भर करती है । अगर शान्ति-व्यवस्था की स्थिति अच्छी है तो उद्योगपतियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, विकास के कार्य भी चलेंगे और आर्थिक दृष्टि से भी प्रदेश उन्नति करेगा । इसके लिए हमारी सरकार का यह निश्चय है कि वह कड़े कदम इन माफियाओं के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ उठायेगी और उनकी जगह जेल के सीखचों में होगी । सरकार का यह भी कहना है और यह हमारी नीति है कि मुकदमों का निस्तारण तेजी से हो उसके लिए अभियोजन की प्रक्रिया को तत्परता से पूर्ण किया जाए और विवेचना की गुणवत्ता

में भी सुधार किया जाये । यह गम्भीर काम सरकार की ओर से होगा । जहां तक विकास कार्यों का सवाल है तो सरकार का यह मानना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर है और इस कारण विकास के कार्य अवरुद्ध हो गये हैं । अनुत्पादक खर्चों में जो वृद्धि हुई है उसमें कमी की जायेगी और इसे विकास कार्यों पर खर्च किया जायेगा ।

राजस्व वृद्धि के लिए प्रक्रिया का सरलीकरण किया जायेगा और इसके लिए सरकार ने सबसे ज्यादा चिन्ता की है वह गरीब, पिछड़े, अनुसूचित वर्ग और पिछड़े वर्ग की है । अनुसूचित वर्ग और सिड्यूल ट्राइव के जो लोग हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना में उनकी आबादी के अनुपात में विकास किया जायेगा और यही नहीं स्वच्छकार, इनके परिवार के बच्चों के लिए 12 दर्जे तक आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रत्येक मण्डल में खोले जायेंगे । यह बड़ा सराहनीय प्रयास सरकार की तरफ से होगा और इनके मेधावी छात्रों को अम्बेडकर विकास निधि से छात्रवृत्ति भी दी जायेगी और बेरोजगारी को दूर करने के लिए औद्योगिक विकास किया जायेगा और निजी क्षेत्र के पूंजी निवेश को बढ़ावा मिलेगा । अनिवासी भारतीयों को भी पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा । मान्यवर, मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा शासन का, वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए गम्भीरता शासन और सरकार ने दिखायी है लेकिन आगरा क्षेत्र में एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है क्योंकि मैं आगरा का प्रतिनिधित्व करता हूं । खैरागढ़ तहसील का उद्योगों की दृष्टि से ताज इकोनामिक जोन दिल्ली से आगरा के बीच बनाया जा रहा है और इसको क्रियान्वित करने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं । उसके लिए एक आर्थिक गलियारे का विकास जिसमें निर्यात क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कृषि प्रोत्साहन क्षेत्र और ताज एक्सप्रेस वे का भी प्राविधान है । जहां तक मुझे जानकारी है, 1800 करोड़ की यह योजना है । योजना बहुत महत्वाकांक्षी है । इस योजना के पूरा हो जाने पर यह एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जो सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा । इस सम्बन्ध में मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि आगरा एक बहुत बड़ी औद्योगिक नगरी है लेकिन ताज महल की वजह से, ताज ट्रिपेजियम की वजह से, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से, प्रदूषण मुक्त रखने की दृष्टि से वहां के जो उद्योग धन्धे हैं वह अब तबाह हो रहे हैं । आयरन इन्डस्ट्री आगरा की मशहूर है । पूरे उत्तर भारत में ढलाई का काम आगरा में मुगलकाल से होता आ रहा है और वह सब कल-खारखाने उजड़ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं । धौलपुर और राजस्थान को जा रहे हैं । चर्म उद्योग, मारबल इण्डस्ट्री, कारपेट इण्डस्ट्री, आयरन इण्डस्ट्री आदि विशेष रूप से अपना महत्व रखती है । ताज एक धरोहर है, हमारी ऐतिहासिक इमारत है लेकिन इस प्रकार के विकल्प तलाशे जाएं । आज लाखों मजदूर बेकार हो रहे हैं लाखों मजदूर बेरोजगार हो करके धौलपुर जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं, इसके लिए कुछ प्रयास हुए हैं और रूसी तकनीकी के ऊपर गैस आधारित क्यूटाला भट्ठी का प्रयोग किया गया । इस संबंध में मान्यवर, टाटा जैसी कुछ विशिष्ट कम्पनियों ने मिलकर लगभग 15 परीक्षण किये और करोड़ों रुपया खर्च किये लेकिन सफलता नहीं मिली । कुछ दिन पहले समाचार-पत्र में आया कि हमारे यहां के उद्योगपतियों के अथक प्रयास से इस पद्धति का अध्ययन किया यद्यपि वह रूस को भी गए और वहां जाकर उस तकनीक को समझा लेकिन सफलता नहीं मिली ।

अब एक उद्योगपति व उनके यहां के इंजीनियर हैं उन्हें सफलता मिली है तो एक आशा की किरण जगी है और शासन भी इस ओर ध्यान देगा जिससे गैस आधारित क्यूटाला भट्ठी का प्लान सफल हो

सके । मान्यवर, आगरा के उद्योग-धन्धों को किस तरह से बचाया जा सकता है, इस पर विचार करना होगा । ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक ईमारतें आगरा में हैं और पर्यटन का उद्योग भी बहुत बड़ा है और आगरा पूरे देश में सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, क्योंकि पर्यटन की दृष्टि से इस देश के अन्दर जो भी विदेशी पर्यटक आता है वह आगरा जरूर आयेगा । इसी तरह से मान्यवर, शासन का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करूंगा कि पर्यटन व्यवसाय को बढ़ाने के लिए समुचित उपाय किए जायं । आगरा के खिलाफ दिल्ली की लाबी कहती है कि वहां पानी नहीं है, बिजली नहीं है, होटल नहीं है, और तमाम सुविधाएं नहीं है, इसलिए विदेशी सबेरे आते हैं और शाम को चले जाते हैं तो हम शासन का ध्यान इस ओर भी दिलाना चाहते हैं ताकि वह दिल्ली लाबी का मुकाबला कर सके जिससे आगरा में विदेशी पर्यटक आयें और यहां ठहर सकें । जिससे रिक्शे वाले, टैक्सी वाले, होटल वालों और इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों को काम मिलेगा । मान्यवर, हमारी नीति है कि गांवों में छोटे-छोटे उद्योग, कुटीर उद्योग आदि की स्थापना की जाय ताकि गांवों की बेरोजगारी दूर हो । देश की 75 फीसदी आबादी गांवों में रहती है और 72 फीसदी लोग कृषि पर निर्भर है । हमने अगर गांवों का विकास कर दिया तो देश का विकास अपने-आप हो जाएगा । हमारा जो आर्थिक ढांचा है उसकी रीढ़ यही ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारा यह मामला है इसलिए गांवों के लिए चाहे वह सम्पर्क मार्ग हों, चाहे विकास कार्य हों, चाहे छोट-छोटे उद्योग धन्धें हो, सिंचाई की समस्या हो, पानी की समस्या हो, पीने के पानी की समस्या हो, शासन ने गम्भीरता दिखायी है । मैं समझता हूं इस ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करिये ।

श्री रमेश कान्त लवानियां–

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं । आगरा क्षेत्र विशेष रूप से खैरागढ़ तहसील जिसका प्रतिनिधित्व करता हूं, काफी बीहड़ पहाड़ी क्षेत्र है । इसलिए वहां पर पीने का पानी या सिंचाई के लिए पानी की बहुत कमी है । एक ब्लाक जगनेर तो ऐसा है जहां कोई साधन नहीं हैं । कुछ बन्धे बने हैं, वहां पर बन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय और पठारी क्षेत्र बुन्देलखण्ड की सुविधायें वहां मुहैया करायी जाये तथा पीने का पानी व सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाये, यह शासन की नीति भी है । अन्त में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष के विचार को मैंने बड़े गौर से सुना, मुझे ऐसा लगा कि चाहे वह विश्वासमत हो, चाहे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो, उनके शब्दकोष में एक ही शब्द है–मुसलमान, मुसलमान, मुसलमान । अन्य कोई शब्द उनके पास है ही नहीं । मुसलमानों को धोखा तो हमने नहीं दिया, उनको धोखा नेता प्रतिपक्ष दे रहे हैं ।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर/व्यवधान)

भाजपा और बसपा की सरकार में मुसलमानों का हित सुरक्षित है । इस देश में मुसलमानों को अगर किसी ने धोखा दिया है तो नेता प्रतिपक्ष की पार्टी ने दिया है । उनके जज्बातों से खेलकर गुमराह किया है । लेकिन हमारा मुसलमान समाज जागरूक है वह गुमराह होने वाला नहीं है अब उसे और धोखा नहीं दे सकते, उसके भावनाओं से खेलकर जो अपना मन्सूबा पूरा करना चाहते हैं वह अब पूरा

होने वाला नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के चर्चा पर मेरे द्वारा रखे हुये संशोधन प्रस्ताव तथा नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने की अनुमति दी है। यह तो एक औपचारिकता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो। यूं तो जो महामहिम का कर्तव्य और आचरण रहा है हमारे जैसे लोगों को इस अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलना ही नहीं चाहिए था लेकिन संसदीय परम्पराओं को निभाते हुये इस अभिभाषण की चर्चा में भाग ले रहा हूं। यह महामहिम का अभिभाषण एक ऐसा पुलिन्दा है जो नकारात्मक है। पहले ही पृष्ठ में देखिये, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में कहा है कि "राष्ट्रपति शासन-कभी भी लोकतांत्रिक सरकार का विकल्प नहीं हो सकता है। लोकतंत्र का यह मूल मंत्र है कि लोगों के वर्तमान एवं भविष्य का निर्धारण उनके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से हो। लगभग दो महीनों की राजनीतिक शून्यता के पश्चात् अब एक निर्वाचित सरकार का गठन हुआ है और जनता के सभी वर्गों ने नवगठित बहुजन समाज पार्टी–भारतीय जनता पार्टी तथा उनके सहयोगी दलों की साझा सरकार का स्वागत किया है।"

यह जो भा०ज०पा० और ब०स०पा० की सरकार बनी है इसका अधिकांश वर्गों के लोगों ने विरोध किया है और किसी को प्रसन्नता नहीं है। प्रदेश की जनता और तमाम प्रतिपक्ष के लोगों ने विश्वास मत के दिन ही कहा है कि यह गठबंधन नापाक है, अवसरवादिता का सबूत है, निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये इस सरकार का गठन किया गया है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस अभिभाषण में कहीं पर भी बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने के संबंध में कहीं पर कोई जिक्र नहीं किया है। श्रीमन गरीबी और सामाजिक सुरक्षा के विषय पर एक रिपोर्ट छपी है भारत सरकार की जो रिपोर्ट है 1999-2000 की उसमें भारत को अधिकारिक रूप से गरीब घोषित किया गया है। उसके हिसाब से प्रत्येक 3 व्यक्तियों में से 1 आदमी गरीब है और 3 आदमियों में से 2 आदमियों को पौष्टिक आहार नहीं मिलता है। इस प्रदेश की गरीबी का यह आलम है। पेयजल की समस्या, क्रयपत्र एवं मकानों की समस्या आदि को अगर जोड़ दिया जाय तो यह संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। ऐसे लोग जो गरीबी की रेखा से ऊपर हैं, वृद्ध हैं, निर्धन हैं, काम करने में सक्षम नहीं हैं अगर ऐसे लोगों की संख्या को जोड़ दिया जाय तो भयावह स्थिति प्रदेश की हो जायेगी। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार कभी लोकप्रिय नहीं हो सकती है क्योंकि इसके गठन का मकसद ही खराब है।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट है उसमें विश्व के 175 गरीब देशों का जिक्र है जिसमें से भारत 138वें नम्बर पर है। भारत दुनियां के सबसे गरीब देशों में से है और भारत में सबसे गरीब उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल सबसे गरीब है। इसके विकास के लिये महामहिम राज्यपाल महोदय ने एक भी शब्द नहीं कहा है इसलिये यह सरकार लोकप्रिय हो ही नहीं सकती। उत्तरांचल बनने के बाद इस प्रदेश की आबादी 14 करोड़ हैं। यह समस्या भारत की आबादी की 16 प्रतिशत जनसंख्या है। जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करती है और ऐसे लोग इस

प्रदेश में 6 करोड़ हैं । यह आंकड़े ह्यूमन डेवलपमेंट की रिपोर्ट में छपे हैं यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं । मान्यवर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 85 लाख शिक्षार्थी शिक्षा ले रहे हैं इसमें से 2 लाख विश्वविद्यालयों में शिक्षा ले रहे हैं । राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थाओं में 37 हजार विद्यार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं उसमें से कम से कम 16609 के लगभग सफल होते हैं ।

(इस समय 4 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता डा० अशोक बाजपेयी पीठासीन हुए ।)

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 17 करोड़ की आबादी में केवल 20 लाख 65 हजार लोग ही सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में लगे हुए हैं । 1999-2000 में कुल 502.8 हजार लोगों ने पंजीकरण कराया जिसमें केवल 4.6 हजार लोगों को रोजगार दिया जा सका । 1991 की जनगणना के हिसाब से 20–29 वर्ष के युवाओं में 2 करोड़ 16 लाख 10 हजार लोग बेरोजगार हैं सरकारी परियोजनाओं से मात्र कुछ लोगों को नौकरी देने का काम किया गया । बाकी सारे लोग बेरोजगार हैं इसलिए मैंने मांग की है कि इस प्रदेश को यदि शान्ति पूर्वक चलाना है तो जितने भी इस प्रदेश में बेरोजगार नौजवान हैं अगर आप उनको रोजगार नही दे पा रहे हैं तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करें लेकिन श्रीमन् उन्होंने इसके लिए कुछ भी नहीं कहा है । यही नहीं बेकार नौजवानों को नौकरी देना तो दूर बेरोजगारी भत्ता देना तो दूर पढ़ने वाले लड़कों की इतनी फीस बढ़ा दिया है कि लड़के पढ़ने से भी वंचित होने जा रहे हैं गांव के गरीब किसान गेहूं, धान, गन्ना बेचकर किस तरह से अपने परिवार को चलाने का काम करता है अगर अपने लड़के को विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग मेडिकल कालेज में पढ़ाने की इच्छा रखता है तो इतनी फीस बढ़ा दी है कि वह पढ़ाने में भी असमर्थ है ।

इस समय मेडिकल कालेज की फीस लगभग 8 हजार रुपए हो गई है । इंजीनियरिंग कालेज की भी फीस लगभग इतनी ही है । बी०ए०, बी०एस०सी० में भी ढाई हाजार से तीन हजार रुपये फीस पड़ती है । ऐसे प्रदेश में जो हिन्दुस्तान का सबसे गरीब प्रदेश है उस प्रदेश में छात्रों की इतनी फीस बढ़ा दी जाए कि गरीब किसान मध्य श्रेणी का परिवार अपने लड़कों को पढ़ा न सके इसलिए मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण को बेमतलब की पोथी कहता हूं । यह प्रदेश की जनता का हित करने वाला नहीं है । कृषि क्षेत्र की बात मैं करना चाहता हूं । इस प्रदेश के किसान की कमर दिन प्रतिदिन टूट रही है । बिजली मंहगी हो गई, खाद मंहगी हो गई है, ट्यूबवेल का रेट बढ़ गया है । खाद पर सब्सिडी घटा दी गई है । इससे किसानों की हालत दयनीय हो गई है । डब्लू० टी० ओ० का बहाना लेकर खाद पर सब्सिडी घटा दी गई है जितने भी विकसित देश हैं अमेरिका हो, फ्रांस हो वहां पर 75 से 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है किसानों को सरकार की तरफ से बराबर हिन्दुस्तान में मांग चल रही है कि खाद पर सब्सिडी घटा दी जाए । अगर सब्सिडी घटाई जाएगी तो इस देश की अर्थ व्यवस्था चरमरा जाएगी । केन्द्रीय कृषि मंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं । केन्द्रीय कृषि मंत्री ने परसों ही इस बात की घोषणा की है कि चाहे डल्लू० टी०ओ० का कोई प्राविधान हो हिन्दुस्तान का किसान दुनियां के दूसरे किसानों के मुकाबले में तब तक नहीं आएगा जब तक विकसित देश अपने किसानों को जितनी सब्सिडी दे रहे हैं उतनी सब्सिडी हिन्दुस्तान के किसानों को नहीं दी जाएगी । इस प्रदेश में हिन्दुस्तान में सबसे मंहगा डीजल बिकता है । डीजल का सम्बन्ध किसानों से है । इसलिये थ्रेसिंग में, सिंचाई में, हर काम में, लोगों को ट्रैक्टर और ट्यूबवैल चलाने के लिये डीजल की आवश्यकता होती है । आज प्रदेश में डीजल ज्यादा महंगा है । किसानों पर इसका अतिरिक्त भार पड़ रहा है । इसी तरह से मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण

बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में इस प्रदेश में बाढ़ और बाढ़ के द्वारा हुए नुकसान और उस नुकसान से प्रभावित लोगों के रख-रखाव, बाढ़ से तबाह हुए लोगों के हित के लिये एक भी शब्द नहीं कहा गया है। इसको आप पलट कर देख लीजिये। मैं पूर्वांचल के जिस एरिया से आता हूं। गोरखपुर, बनारस, आजमगढ़ मण्डल बाढ़ से हर साल तबाह होते हैं। बाढ़ से जो भीषण कटान होता है उसमें हमेशा हर वर्ष सैकड़ों गांव घाघरा और गंगा नदी में कटकर विलीन हो जाते हैं। इन गांवों के लोग तबाह हो जाते हैं कि वे कहां रहें, कहां बसें, क्या खायें, क्या अपने मवेशियों को खिलायें ? बाढ़ से उत्पन्न बीमारियों से अपने परिवार के लोगों को कैसे बचायें। एक दर्जन गांव पिछले साल बाढ़ से मेरे विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में घाघरा नदी में विलुप्त हो गये। चांदपुर शिवपुर के बीच में यह गांव थे।

इंजीनियर लोगों ने 4 पक्के ठोकर बनाने की बात वहां पर कही थी लेकिन वे आज तक नहीं बनाये गये। जो बचे हुए गांव हैं वे इस साल की बाढ़ में कट जायेंगे। वहां पर जो टी०एस० बन्धा है वह भी कटकर बह जायेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूं कि अगर सरकार किसानों के हित में कुछ भी सोचती है तो बांसडीह विधान सभा में चांदपुर और शिवपुर के बीच जो गांव नदी के किनारे और बन्धे के बीच में बचे हैं जो कि टी०एस० बन्धे की वजह से बचे हैं उसको बचाने के लिये चार प्रस्तावित पक्के ठोकरों का निर्माण कराया जाय। कटान से प्रभावित दर्जनों गांवों के लोगों के सामने आज समस्या है कि वे कहां बसें ? कहां शरण लें। मेरा निवेदन है कि सरकार जमीन एक्वायर करके उनको बसाने का प्रबन्ध करे तब हम यह मान लेंगे कि महामहिम राजयपाल महोदय के अभिभाषण में यदि इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है तो भी यह गरीबों, किसानों की हिमायती कहलायेगी अन्यथा यह मान लिया जायेगा कि महामहिम राज्यपाल का यह जो अभिभाषण है यह केवल रस्म अदायगी है यह लोकतंत्रीक सरकार का अभिभाषण नहीं है। यह सरकार अपवित्र गठबन्धन से बनी है और जनता के हितों में कोई काम नहीं कर रही है। मान्यवर, पूर्वांचल में बाढ़ से निजात दिलाने के लिये इन चार पक्की ठोकरों का निर्माण इस बाढ़ के आने से पहले बनवाने का कष्ट करें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

* श्रीमती राज लक्ष्मी वर्मा–

अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने का मुझे आपने अवसर प्रदान किया है इसके लिये मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं। महोदय, चौदहवीं विधान सभा लगभग 2 माह तक निलम्बित रहने के बाद बैठक का अवसर आज यहां पर आया। महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय इस सदन में अभूतपूर्व दृश्य प्रतिपक्ष के द्वारा लाये गये थे। यहां पर कागजों से, हल्ला-गुल्ला मचाकर यह दिखाया गया था कि यह गठबन्धन जिसे यह नापाक गठबन्धन कहते थे। मायावती जी के लिये अनेक तरह से अपशब्दों का प्रयोग करते थे और यह दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि प्रतिपक्ष का सबसे बड़ा दल होने के नाते इन्हें महामहिम राज्यपाल महोदय ने सरकार बनाने का अवसर प्रदान नहीं किया। इस तरह से वातावरण करके इलेक्ट्रानिक मीडिया में जो दृश्य उत्पन्न किया उसके सम्बन्ध में कहना चाहती हूं दो माह तक प्रतिपक्ष को महामहिम राज्यपाल जी ने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवसर दिया लेकिन प्रतिपक्ष के पास अपेक्षित संख्या न होने के कारण यह अपनी सरकार नहीं बना पाए । सरकार बनती भी कैसे इनके पास सभी सहयोगियों को मिलाकर बहुमत की संख्या नहीं थी यह बहुमत की संख्या तभी होती जब बसपा और भाजपा में से एक दल एक तिहाई इनको समर्थन देते या कांग्रेस समर्थन देने का आश्वासन करती लेकिन ऐसा न होने पर जब महामहिम राज्यपाल महोदय ने भाजपा-बसपा गठबंधन की सुदृढ़ संख्या होने पर सरकार बनाने के लिए अवसर प्रदान किया तो इन्हें बहुत बुरा लगा । मान्यवर, मैं बताना चाहती हूं 1993 में जब इनका गठबन्धन हुआ था समाजवादी पार्टी और बसपा का उस समय यह पूर्ण बहुमत पर थे और इन्होंने सरकार बनाई थी सरकार बनाने के बाद जो सदन में दृश्य उपस्थित हुआ था उसको सभी जानते हैं । उस समय जब बहुमत सिद्ध होना था तो भाजपा के पास 177 विधायक की संख्या थी और उस समय वोटिंग के समय सदन के नेता कल्याण सिंह जी थे । श्रीमन् 177 की संख्या को घटाकर तत्कालीन गठबन्धन की सरकार ने 152 की संख्या को दिखाया था ।

श्रीमन् 17 तारीख को सदन की नेता मायावती जी ने अपना बहुमत पेश किया तो हाथ उठाकर 216 लोगों ने अपना बहुमत दिखाया लेकिन प्रतिपक्ष ने इसको न मानकर वोट डालने के लिए प्रेरित किया । एक संख्या इधर बढ़ गई और उधर 180 की संख्या रह गई । नेता सदन ने भारी बहुमत से समर्थन सिद्ध किया । महामहिम राज्यपाल महोदय ने प्रत्येक बिन्दु पर अपने अभिभाषण में चर्चा की है इसमें आश्वासन दिया है कि यह सरकार अन्याय मुक्त, भयमुक्त, विकासोन्मुख समाज देगी । इस सरकार द्वारा सभी प्रकार के विकास का आश्वासन दिया गया है चाहे महिलाओं का विकास हो, चाहे ग्रामों का विकास हो, चाहे विकलांगों के विकास की बात हो, चाहे दलितों के विकास की बात हो सर्वसमाज के विकास की बात कही गई है कोई बिन्दु छोड़ा नहीं गया है इसमें जाति धर्म के आधार पर कोई भी कार्य न करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन प्रतिपक्ष के द्वारा बार-बार यह कहना कि मुसलमान का अहित करने वाली सरकार है, दलितों का अहित करने वाली सरकार है, यह कहकर उत्तेजना फैलाने का कार्य प्रतिपक्ष द्वारा किया जा रहा है यह निन्दनीय है । इस सरकार ने गांव के विकास के लिए, सड़कों के विकास के लिए, पेयजल के लिए, नहरों के लिए, सबके विकास के लिए योजनायें दी गई हैं । मान्यवर, एक बात मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहती हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र रामनगर में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है महादेवा, यहां सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए प्रस्ताव रखा गया है इसमें महादेवा से देवा की जो सड़क है इसके चौड़ीकरण की आवश्यकता है । हजारों तीर्थयात्री शिवरात्रि को यहां आते हैं, कावंरिया आते हैं इस लिए इस मार्ग को ठीक कराया जाए सहसवा घाट का पुल निर्माणाधीन है । पूर्व मुख्य मंत्री राजनाथ सिंह जी ने घोषणा भी की थी और इसमें एक करोड़ का बजट बना था उसको अवमुक्त कराया जाय । इस तरह अनेक सड़कें अधूरी पड़ी हैं । चिरैयाघाट का पुल न होने के कारण बहुत बड़े क्षेत्र में आवागमन बाधित है । राम नगर में जो बौद्ध परिपथ है उससे जोड़ता है । यह क्षेत्र बड़ा महत्वपूर्ण है । बाराबंकी जनपद पूर्वांचल का विकास का द्वार है । सफेदाबाद में रेलवे का पुल न होने के कारण घण्टों खड़ा होना पड़ता है इसमें ओवर ब्रिज बनाये जाने की आवश्यकता है । बाराबंकी में बाई पास न होने के कारण एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं इसलिए इसको बनाया जाय । इसी के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण का समर्थन करती हूं ।

श्री पारस नाथ यादव–

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया इसके लिएं मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, विभिन्न जाति, धर्मों के देश हिन्दुस्तान में आजादी के बाद वे मनीषी एवं चिन्तक जो आज हमारे आपके बीच में नहीं हैं, हिन्दुस्तान के जो विभिन्न जाति, धर्मों, विभिन्न वेशभूषा का देश है, उसके विकास का सपना दुनिया के सबसे बड़े लोकतन्त्र के माध्यम से देखा था। लोकतान्त्रिक पद्धति में जनता मालिक होती है और जनता के द्वारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि चाहे विधान सभा में हो या संसद में हो जनता के हितों की रक्षा के लिए बहुमत के आधार पर सरकार बनाकर लोकहित जनकल्याणकारी सरकार जनता के बीच में रहकर जनता की समस्याओं का निदान करते हुए देश और प्रदेश के विकास का काम करती है। लेकिन कभी-कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जो सबके लिए महत्वपूर्ण होती हैं। चौहदवीं विधान सभा का जो चुनाव हुआ उस चुनाव के बाद जो पहले सरकार थी उस सरकार के विरोध में जनता ने खण्डित जनादेश दिया। लेकिन खण्डित जनादेश के बावजूद यह बात उत्तर प्रदेश में साफ है कि समाजवादी पार्टी को एक बड़े दल के रूप में मान्यता मिली और समाजवादी पार्टी एक बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आयी और सत्ता के लिए महामहिम श्री राज्यपाल के यहां दावा पेश किया। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश में जनता की जो भावनायें थी उसके विपरीत सरकार बनी है। पहली सरकार साढ़े पांच साल चली थी उसमें भी खण्डित जनादेश था। मान्यवर, समाजवादी पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में जो मान्यता मिली थी जनता के द्वारा सरकार समाजवादी पार्टी की ही बननी चाहिए थी। 1996 में जब चुनाव हुए थे तो गठजोड़ से सरकार बनी थी भाजपा ने समर्थन देकर वह सरकार बनवाई थी और जनता इस बात को जान चुकी है। पिछले अनुभवों के आधार पर आज भी हर जगह प्रदेश की जनता गली, मुहल्लों हर जगह इस आशंका के साथ चर्चा करती है कि यह सरकार कब तक चलेगी, कितने दिनों तक चलेगी ? इस सरकार की उम्र क्या होगी ? हमारे जैसे जनप्रतिनिधियों से भी जनता यही सवाल करती है। यह साफ है कि संसदीय परम्पराओं के अनुसार जनादेश के आधार पर ही सरकार बनती हैं और बहुमत के आधार पर जो सरकार बनती है उसका कोई न कोई उसूल और नीतियां या घोषणा-पत्र होता है। हम सरकार से यह उम्मीद करते हैं और जनता भी यह आशा करती है कि यह सरकार जनता की लोकप्रिय सरकार तो नहीं हो सकती लेकिन जनता की समस्याओं का निराकरण अवश्य करेगी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का खुलासा होता है। यह तो मात्र रस्म अदायगी है। चूंकि यह रस्म अदायगी होती है इसलिए हम महामहिम राज्यपाल जी का धन्यवाद अदा करते हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव के कारण ही राज्यापाल महामहिम कहे जाते हैं।

लेकिन जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं अगर वे धन्यवाद के पात्र न हों तो उनको धन्यवाद नहीं दिया जाना चाहिए। हमारे यहां कहा भी जाता है कि धन्यवाद पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है। कुपात्र व्यक्ति को नहीं। 14वीं विधान सभा के चुनाव के आधार पर यह कहा जाता था कि सरकार बनाने का न्यौता मिलना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहते हैं कि श्री रोमेश भण्डारी जब राज्यपाल थे उन्होंने ऐसा नहीं किया लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी से एक बार कोई गलती हो जाय तो क्या यह जरूरी है कि बार-बार उस गलती को दोहराया जाए। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय धन्यवाद के पात्र नहीं हैं। मैं अपने क्षेत्र की भी एक-दो मांगें प्रस्तुत करना

चाहता हूं। हमने जो संशोधन प्रस्तुत किया है वह संशोधन इस प्रस्ताव में जोड़ दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा जिला नदियों से घिरा हुआ जिला है और मान्यवर, गोमती नदी जिसे हम आदि गंगा कहते हैं वह जौनपुर के मध्य शहर से गुजरती है। वहां का शाही पुल आजादी के पहले का बना हुआ है। वह जर्जर होने के बाद पिछली सरकारों ने एक पुल का निर्माण कराया जिसका शहर से उसका कोई मतलब नहीं रह गया जिसे हम बाईपास कह सकते हैं। शहर की आबादी बढ़ रही है। पिछली सरकार जब भाजपा की थी तो उस समय कल्याण सिंह मुख्य मंत्री थे और वे वहां जनपद में गये थे उन्होंने घोषणा किया था कि नगर की आबादी बढ़ी है शाही पुल जर्जर हो गया है और एक पुल का निर्माण कराया जायेगा लेकिन मान्यवर, वह कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है वह घोषणा-घोषणा रह गयी है उसका निर्माण न होने से नगर की बढ़ती आबादी में आये दिन जिस तरह से आवागमन में संकट पैदा होता है उससे बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इस पुल का तत्काल निर्माण कराया जाय। मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़ियाहूं में जो तहसील मुख्यालय है, मिर्जापुर और जौनपुर राजमार्ग है मार्ग पर ड्रेन है। मड़ियाहूं तहसील की भौगोलिक दृष्टि से बहुत ऊंची नीची ज़मीन होने के नाते जल भराव की समस्या बनी रहती है। किसान परेशान रहता है।

कई बार इस प्रकार के सवाल उठाये गये कि जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है और जल निकासी की व्यवस्था के लिए जो पुराने ड्रेनेज हैं वह फट चुके हैं। कई ऐसे ड्रेन हैं उनकी सफाई के लिए इन्तजाम कराया जाय जिसमें नदियां व ड्रेन, नदी नाव ड्रेन, बरीह से भटवार ड्रेन, नेवादा ड्रेन, चौरारी ड्रेन, जोगापुर ड्रेन, मलसिल ड्रेन आदि। इसी तरीके से जो मड़ियाहूं कस्बा है उस कस्बे में आये दिन जाम लगा रहता है मिर्जापुर बालू, पत्थर और खनिज पदार्थों का जिला है वहां से खनिज पदार्थ आया करता है उस जाम के कारण कभी-कभी 4-4 घण्टे आवागमन ठप्प रहता है वह बाई पास के निर्माण के लिए हमारी सरकार जब थी वह काम शुरू कराया था मिट्टी का काम हो चुका है लेकिन **अभी भी बाईपास** न बनने से जनता को परेशानी है, बाईपास का निर्माण कराया जाये। मड़ियाहूँ कस्बे में बिजली का बड़ा संकट है। सरकार से अनुरोध है कि जनता की मांग है कि वहां 133 के०वी०ए० का सब स्टेशन का निर्माण कराकर विद्युत की जो कटौती है दिक्कतें हैं उसको दूर कराया जाय। इन शब्दों के साथ अपने संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री घूरा राम–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर स्वागत भाषण के लिए समय दिया है मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने प्रदेश के बहुउद्देशीय विकास के लिए हर विषय पर प्रकाश डाला है। हमारी सरकार का मुख्य लक्ष्य होगा कि प्रदेश में अन्यायमुक्त, भयमुक्त, अपराध मुक्त एवं विकासयुक्त वातावरण पैदा हो। इसके साथ ही समाज के हर वर्ग का हर क्षेत्र में उनके हितों का ध्यान रखा जायेगा। समाज का ऐसा वर्ग जो सदियों से सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं का शिकार रहा है जिसमें दलित, शोषित, पिछड़ा वर्ग एवं पीड़ित कमजोर वर्ग के लोग आते हैं उनके हितों एवं उनके विकास के लिए प्रथम वरीयता का ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा धार्मिक, अल्पसंख्यक समाज से सम्बन्धित सिख, मुस्लिम, ईसाई, पारसी, बौद्ध

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहे किसी भी सम्प्रदाय के लोग हों उनके हितों के लिए पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा । किसी भी जाति धर्म के साथ भेदभाव नहीं किया जायेगा । जाति धर्म से ऊपर उठकर एकतामूलक समाज बनाने के लिए सभी वर्गों के हितों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जायेगा ।

मान्यवर, हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता प्रदेश की आर्थिक स्थिति को सुधारना है । आज प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमरा गयी है । आय-व्ययक का सन्तुलन बिगड़ गया है जिससे विकास के कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं । सरकार हर ढंग से सतर्कता बरतने के लिए तैयार है । मान्यवर, हमारी सरकार का निश्चित मत है कि प्रदेश का विकास केवल सुरक्षा के वातावरण में ही सम्भव है । जब प्रदेश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करेगा तभी आर्थिक स्थिति आगे बढ़ेगी, सामाजिक समरसता बढ़ेगी और प्रदेशवासियों की उत्पादक ऊर्जा काफी बढ़ेगी । अपराधियों, असामाजिक तत्वों तथा माफियाओं के गिरोहों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी । अपराध एवं अपराधियों पर शिकंजा कसा जायेगा तथा अपराधियों का स्थान जेल के शिकंजे के पीछे होगा । उन्हें जनता का उत्पीड़न एवं उन्हें भयभीत नहीं करने दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें, आप संसदीय कार्य मंत्री जी को लिखकर दे दीजियेगा ।

श्री घूराराम–

मान्यवर, मेरी सरकार का यह मत है कि समस्त अधिकारियों के अन्दर यह भावना विकसित की जायेगी कि अपने दायित्वों का निर्वहन कर तथा जनमानस के कल्याण एवं नियमों का पालन करना अपना धर्म माने,जनमानस के लिए संवेदनशील हों । उनकी संवेदनहीनता, कर्तव्यहीनता किसी भी दशा में बर्दास्त नहीं की जायेगी । हमारी सरकार नेकनीयती से कार्य करने वाले अधिकारी को पुरस्कृत भी करेगी ।

मान्यवर, प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए हमारी सरकार रोजगार के नये संसाधन बनाने की व्यवस्था करेगी । करों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को सरल बनाया जायेगा तथा इन्स्पेक्टर राज को समाप्त किया जायेगा ।

मान्यवर, इन बातों के साथ कुछ बातें और भी जोड़ते हुए माननीय अधिष्ठाता महोदय के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बलिया जनपद की भौगोलिक दृष्टि से गंगा, यमुना, घाघरा एवं टोंस नदी से चारो तरफ से घिरा हुआ है । यहां पर कोई भी उद्योग धन्धा नहीं है । बलिया जनपद में रसड़ा विधान सभा में दो मिलें हैं । एक तो किसान सहकारी चीनी मिल जो शुद्ध रूप से किसानों के हितों के लिए बनी हुई है । लेकिन वह धनाभाव के कारण जीर्ण-शीर्ण हालत में हो गयी है उसके लिए धन उपलब्ध कराया जाये तथा मृतक आश्रितों के लिए उसमें नौकरी की व्यवस्था की जाय । मान्यवर, दूसरी काटन मिल्स हैं जो धन के अभाव में बन्द हो गयी है जिसके कारण पचीसों हजार जनता भुखमरी का शिकार हो गयी है उसके लिए धन देकर उसे पुनः चलाया जाय । मान्यवर, लखनऊ बलिया राज्य मार्ग पर बेवना से मऊ तक सड़क टूट कर जीर्ण-शीर्ण हो गयी है इसका निर्माण कराया जाय । रसड़ा विधान सभा बिल्कुल पिछड़ा इलाका है हर गांव सड़क से नहीं जुड़ा है गांवों में बिजली पानी सड़क का अभाव हैं । इसके लिए धन देकर उक्त समस्या का समाधान किया जाये । मान्यवर, रसड़ा नगरपालिका के चहुमुखी विकास के लिए जनहित को ध्यान में रखते हुए धन का आवंटन किया जाये । इसी के साथ महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं । धन्यवाद ।

श्री श्यामसूरत उपाध्याय--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात को स्वीकार किया कि उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति जर्जर है। महामहिम राज्यपाल ने यह भी स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश का विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है। यह सदन अच्छी तरह जानता है कि पिछले 12 वर्षों में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है और पिछले 5 वर्ष में 4 सरकारें बनीं, इसमें 3 सरकारें भाजपा की और एक मायावती की रही। विगत 5 वर्ष में प्रदेश की हालत अत्यन्त खराब हुयी है। मैं इस संबंध में नवीं पंचवर्षीय योजना का हवाला देना चाहता हूं। राज्य सरकार ने नवीं पंचवर्षीय योजना का जो प्रारूप भेजा वह 54 हजार करोड़ रुपये का था लेकिन योजना आयोग ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति, संसाधनों को देखते हुये 46 हजार करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की लेकिन पिछली सरकारें इतनी निकम्मी निकलीं कि वह 46 हजार करोड़ रुपये का परिव्यय उपलब्ध नहीं करा सकीं और केवल 30 हजार करोड़ रुपये ही खर्च कर सकीं, जिससे विकास की गति और आर्थिक स्थिति खराब होती चली गई। 16 हजार करोड़ रुपया जो विकास की योजनाओं पर खर्च करना चाहिये था, वह कार्य यह सरकारें नहीं कर सकीं। आज फिर वही सरकार इस प्रदेश में पदारूढ़ है, हम कैसे उम्मीद करें कि राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया है, उन विचारों को यह कैसे कार्य रूप में सरकार परिणित करेगी।

श्रीमन् आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी प्रदेश के विकास के संबंध में उस प्रदेश के ऋण और जमा का अनुपात दर्पण का काम करता है। वर्तमान में आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामयाबी की वजह से यह ऋण और जमा का अनुपात केवल 30.2 प्रतिशत है। बैंकों में जो हमारा रुपया जमा है, उसमें से 30.2 प्रतिशत का उपयोग हम विकास कार्यों में खर्च कर पा रहे हैं, बाकी 70 प्रतिशत रुपया हमारे प्रदेश का दूसरे प्रदेशों में जा रहा है। इस पैसे से वहां पर विकास कार्य हो रहे हैं। यहां पिछले 5 वर्ष में कोई भी उद्योग धन्धा नहीं लगा, कोई बड़ा कारखाना नहीं लगा, के०वी० योजना में 5 बिजलीघरों की योजना की आयोग ने स्वीकृति दी थी, लेकिन उन 5 बिजली घरों में से एक भी स्थापना नहीं हुयी है। इस तरह मान्यवर, इस प्रदेश को कैसे बिजली मिलेगी। जब बिजली की कमी होगी तो उद्योग धन्धे कैसे लगेंगे ? बाहरी पूंजी निवेश इस प्रदेश में कैसे होगा ? निजी उद्योगपति यहां कारखाना क्यों लगायेंगे ? आवागमन के लिये जो सड़कें हैं, वह आने जाने लायक नहीं रह गई हैं ? ग्रामीण क्षेत्रों में साइकिल से भी लोगों को आने-जाने में मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ऐसी हालत में महामहिम राज्यपाल जी ने जो विचार व्यक्त किये हैं, हम उम्मीद नहीं कर सकते इस सरकार से कि इस प्रदेश का भला हो सकेगा।

यह प्रदेश समस्याओं से घिरा हुआ प्रदेश है। यहां बाढ़ की समस्या अक्सर पूर्वी उत्तर प्रदेश में आया करती है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बाढ़ पर कहीं चर्चा नहीं की है। खास तौर से जो ताल, नदियां हैं उनमें सिल्ट जम गयी है। हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक बरूना नदी है जिसकी तली सिल्ट से जम गयी है उसमें घासें उग आयी हैं। तरह-तरह की जंगली घासें उसमें उग आयी हैं जिसके कारण उसमें पानी का भराव बराबर बना रहता है। उस नदी

का पानी गांव में घुस जाता है । इसके कारण सैकड़ों गाँव प्रभावित हैं । मान्यवर, पिछले वर्षों में भी बरूना नदी की सफाई का प्रश्न उठाया गया था लेकिन सरकार ने सफाई का काम नहीं कराया ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूंगा कि माननीया मायावती जी की सरकार बरूना नदी की सफाई का काम शीघ्र से शीघ्र शुरू कराये क्योंकि इससे 100 गांव प्रभावित हो चुके हैं । मान्यवर, इसी प्रकार फूलपुर तहसील में एक सहिनवा ताल है उससे पानी की निकासी का एक नाला था । 12 वर्ष से उसकी सफाई नहीं हुई है, इससे भी करीब 100 गांव प्रभावित हो रहे हैं, घरों में पानी घुस जा रहा है जिसके कारण मकान गिर रहे हैं और चारे की समस्या भी किसानों के सामने खड़ी हो जाती है । इस नाले की सफाई के लिए सरकार से आग्रह करूंगा । श्रीमन्, सिंचाई विभाग द्वारा पिछले दो वर्ष पूर्व नहर की पटरियों को पक्का करने का काम शुरू किया गया था उस समय ओम प्रकाश सिंह जी सिंचाई मंत्री थे और उन्होंने नहर की पटरियों को पक्का कराने की एक बहुत अच्छी योजना शुरू की थी लेकिन हमारे क्षेत्र में एकडला से इनायत यहां फूलपुर रजबहा पर काम शुरू किया गया था वह पूरा नहीं हो सका है । मैं आग्रह करूंगा कि इस काम को पूरा कराने की कृपा करें । श्रीमन्, बिजली पर अभी चर्चा हुई । बिजली की समस्या के बारे में माननीय विद्युत मंत्री से अपेक्षा करूंगा कि हमारे क्षेत्र से 16 किलोमीटर दूर कटहरा विद्युत उपकेन्द्र है, किसी फाल्ट की वजह से बिजली चली जाती है तो कई हफ्ते तक नहीं बन पाती और वोल्टेज भी कम रहता है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बारी या बारी के आसपास एक उपकेन्द्र स्थापित कराने की कृपा करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यावाद ।

*श्री अमरजीत सिंह "जनसेवक"–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । मान्यवर,

वक्त को जिसने नहीं, समझा उसे मिटना पड़ा है ।

बच गया है तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।।

चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो ।

हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ।।

मान्यवर, अब पांच साल जो कष्ट भोगना है वह भोगना ही पड़ेगा । अधिष्ठाता महोदय, समाज वादी पार्टी के ऊंगली में एक छोटी सी चोट लग गई और सामने स्टूल पर पानी भरा हुआ ग्लास रखा था और उन्होंने बगल में बैठे अपने तथाकथित मित्र कांग्रेस पार्टी के विधान मण्डल के नेता प्रमोद कुमार तिवारी से कहा कि हमारी ऊंगली में चोट लगी है, जरा हमारी मदद करना । लेकिन प्रमोद कुमार जी ने कोई मदद नहीं किया, उनका सहयोग नहीं किया । मान्यवर, जो विकलांग की मदद नहीं करता वह अमानवीय होता है, वह संस्कारों से परे होता है, इसलिए कांग्रेस पार्टी की जितनी भी निन्दा की जाय वह कम है । उनको मदद करनी चाहिए थी । एक दिन नहीं, दो दिन नहीं पूरे दो महीने तक का समय दिया

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

गया कि कांग्रेस पार्टी के लोग समाज वादी पार्टी को ग्लास उठाकर उनको पानी पिला दें । ऐसी स्थिति में जब बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने देखा तो उन्होंने उस ग्लास को ले लिया ।

अब इन परिस्थितियों में निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल ने इसमें चर्चा की है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, विकलांग वर्ग अगर किसी ने भी इस वर्ग के विषय में सोचा है तो वह मुख्य मंत्री मायावती जी ने ही अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, इन विभागों का अलग-अलग गठन किया था, ऐसा हिन्दुस्तान के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया । इसलिए मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप भी अपने आपको विकलांग ने समझें । प्रदेश की मुख्य मंत्री मायावती जी आपकी विकलांगता को भी मस्तिष्क में रखेंगी । मैं एक शब्द कह कर अपनी वाणी को विराम देना चाह रहा हूँ कि इस समय प्रदेश में कोई विकलांग अगर गाड़ी चलाता है तो उसे रास्ते में तमाम लोग रोकते हैं । अधिष्ठाता महोदय आप सहित पूरे सदन से मैं अनुरोध करूंगा कि बाहर चाहे जीप खड़ी कर दीजिए, चाहे ट्रैक्टर खड़ा कर दीजिए, चाहे जो भी गाड़ी हो, मैं एक स्थान को छोड़कर, जहां मैं गाड़ी से आप लोगों को लेकर नहीं जा सकता और वह स्थान है, जहंनुम, बाकी दुनिया के किसी कोने में भी मैं गाड़ी चलाकर ले जा सकता हूं । जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस समय मान्यवर, विकलांगों का आरक्षण समाप्त कर दिया गया था । विकलांगों को आरक्षण कहीं और दे दिया गया था । मैं जो कुछ कहता हूं उसका प्रमाण मेरे पास है । मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि बिन्दकी नगर में विद्युत आपूर्ति बहुत कम हो रही है अतः इण्डस्ट्रीज एरिया की तरह बिन्दकी नगर को जहां 60 हजार की आबादी है, दाल मिलें, कारखानें वगैरह हैं इसलिए वहां बिजली की आपूर्ति की जाय । इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में बेनीखेड़ा, बड़ा खेड़ा, नया खेड़ा, सम्थूर खेड़ा, थुलथुलियापुर, ईसपुर मुसाफा, कोरसम, ऊदमापुर, मझिलेगांव, कोटिया, गुनीर, अलियाबाद, मौडारसाई, भाऊपुर, शिवराजपुर, घोरहा, महमूदपुर, सिकरोढ़ी, डारी, रेवाड़ी, सैरपुर, लहंगी, बेहटा मलवां, भिराई, रूसी, परसेदपुर, खेमई, आलमपुर, नहरामऊ आदि गंगा के तटीय इलाकों पर जहां कमजोर तपके के लोग रहते हैं वहां बरसात के दिनों में बाढ़ आती है, गरमी के दिनों में अग्निकाण्ड होते हैं । मैं उम्मीद करूंगा कि कोई ऐसा पैकेज तैयार किया जाये जिससे कटरी क्षेत्र में रहने वाले गरीब, मजदूर, किसान व पिछड़े लोग हैं वह बाढ़ की विभीषिका और आग की ज्वलन्त समस्या से उनका निराकरण हो सके । इसी के साथ मैं महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

*श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जनसेवक जी ने अपनी बात एक शेर के साथ प्रारम्भ की है । मैं भी एक शेर सुनाना चाहता हूं –

वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है,

बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहे जितनी ही बड़ी हो, चाहे जितनी ही कड़ी हो,

हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है ॥

मान्यवर, यह नापाक गठबन्धन की सरकार जो भाजपा और बसपा की बनी है, मैं तो समझता था कि राज्यपाल महोदय ...

श्री अमरजीत सिंह जनसेवक–

मान्यवर,

बसन्त पतझड़ का बहार क्या जाने,

जिन्दगी की कहानी कर मजार क्या जाने,

बोझ पूछोंगे तो बता देंगे डोली का,

दुल्हन की जवानी, कहार क्या जाने ॥

श्री राम विशुन आजाद–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो समझता था कि माननीय सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय जी आयेंगे तो उनके अभिभाषण में उत्तर प्रदेश के गरीबों, नौजवानों, किसानों, छात्रों के विकास के लिए योजनायें होंगी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण को माननीय सदन के अन्दर बिना पढ़े हुए वापस चले गये । महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ा । लेकिन मान्यवर, अगर अभिभाषण में देखा जाये तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए इस सरकार के द्वारा कोई भी विकास योजना को चलाने की घोषणा नहीं की गयी है । महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण में कहा है कि अपराध मुक्त, भयमुक्त, अन्याय मुक्त एवं विकास युक्त प्रदेश में वातावरण पैदा होगा । लेकिन देखा जाये तो अपराध मुक्त प्रदेश में अपराधी घूम रहे हैं । जनता अपराधियों से पूरी तरह से भयमुक्त हो गयी है, कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है, अपराधी सरेआम अपराध करके घूम रहे हैं । कोई पीड़ित आदमी थाने पर जाता है तो उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है, उसको थाने से भगा दिया जाता है । यह बसपा और भाजपा की नापाक गठबन्धन की सरकार है, इनके कार्यकर्ता थानों पर दलाली कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करवाना चाहते हैं । अगर देखा जाये तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी विकास की कोई योजना नहीं बनायी गयी है लेकिन विकास युक्त प्रदेश की बात की जा रही है । सिंचाई की कोई योजना नहीं चलायी गयी है, बिजली व्यवस्था चौपट हो चुकी है । मंत्रियों के जिलों में देखा जाये । माननीय नेता सदन के गांव में 24 घण्टे बिजली सप्लाई हो रही है, माननीय विद्युत मंत्री जी बैठे हैं इनके क्षेत्र में 24 घण्टे बिजली सप्लाई हो रही है । यह कहते हैं कि सरकार संवेदनशील है । आज महामहिम राज्यपाल महोदय अपने अभिभाषण में घोषणा करते कि उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए 14 घण्टे और 24 घण्टे बिजली देंगे लेकिन बिजली देने की घोषणा नहीं की ।

माननीय विद्युत मंत्री जी ने चर्चा में यह नहीं कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को किसानों को कैसे बिजली देंगे ? माननीय मंत्री जी जब इधर बैठते थे तो बिजली की बातें करते थे । कहते थे कि भारतीय

जनता पार्टी की सरकार बिजली नहीं दे पा रही है, कानून व्यवस्था की हालत चौपट हो चुकी है लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि आज उनको जब लालबत्ती मिल गयी है उत्तर प्रदेश की जनता का दुख दर्द वह भूल गये हैं । मैं कहना चाहता हूं कि अम्बेदकर ग्राम विकास योजना में जिन गांवों का चयन किया गया था आज उनका विकास नहीं हो पाया है । हमारे जनपद गोण्डा में 1 करोड़ 19 लाख अम्बेदकर ग्राम विकास योजना का पड़ा हुआ था । पिछले सत्र में मैंने नियम–56 में उस पैसे को रिलीज करने के लिये कहा था लेकिन आज तक गोंडा को 1 करोड़ 19 लाख रुपया नहीं दिया गया और अम्बेदकर गांवों का विकास नहीं हो सका । यह सरकार अपने को गरीबों, मजदूरों, छात्रों की सरकार कहती है अगर यह सरकार गरीबों की प्रति संवेदनशील होती तो आज गांवों में गरीबों के लिये जो पेयजल संकट है उसको दूर करती । आज प्रदेश का पश्चिमी, पूर्वी और मध्य भाग सूखाग्रस्त है, गांवों को पानी नहीं मिल रहा है । आज गरीबों की, दलितों की बात करते हैं ।

आपने कहा कि 1950 रुपये जमा करने वाले को इण्डिया मार्क नल दिया जायेगा लेकिन गरीब के पास खाने के लिये पैसा नहीं है तो नल लगाने के लिये वह पैसा कहां से लायेगा । अगर यह सरकार वास्तव में गरीबों और किसानों के प्रति संवेदनशील है तो आज सरकार को घोषणा करनी चाहिये कि अनुसूचित जाति के लोगों के लिये फ्री इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प की व्यवस्था की जायगी । मान्यवर, हमारे यहां देवी पाटन मण्डल में जो कुएं हैं वह सूख गये हैं उनकी खुदायी करवायी जाय जिससे कि वहां पर पेयजल का संकट दूर हो सके । पिछले सत्र में मैंने कहा था, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मैंने कहा था कि दर्जीकुआं–मनकापुर–बभनान मार्ग ठीक किया जाय । बभनान शुगर मिल के लिये जो भारी वाहन उस सड़क से जाते हैं जिससे सड़क क्षतिग्रस्त हो गयी है और आने वाली बरसात में पूरी सड़क पानी में डूब जायगी । सड़क पर जो लकड़ी के पुल हैं वह क्षतिग्रस्त हो गये हैं । दर्जी कुआं–बभनान, मसकनवा गौराचक मार्ग पर जो पुल बने हैं वह जर्जर हो चुके हैं । जिससे आवागमन में कठिनाई हो रही है मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि वहां पर पक्के पुल बनाये जायं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का विरोध करता हूं ।

*श्री कपिलदेव–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के पक्ष में बोलने के लिये जो अवसर दिया है उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मैं यह बताना चाहता हूं कि जब 24 फरवरी को, चुनाव के बाद परिणाम आये, उससे यह निश्चित हुआ कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आयी है । इनके नेता माननीय मुलायम सिंह जी ने महामहिम राज्यपाल के पास जाकर मांग की कि हमें सरकार बनाने का अवसर दिया जाए । दो माह तक का समय महामहिम ने दिया कि आप अपनी सूची पेश करिए ताकि आपको सरकार बनाने का न्यौता दिया जाए लेकिन उन्होंने सरकार बनाने के लिए अपनी सूची पेश नहीं किया इसलिए आपको अवसर नहीं मिला । हमको आप नापाक गठबन्धन यहां तक कि तीसरा निकाह करना आप लोगों ने कहा लेकिन आपका मैं पिछला इतिहास दोहराना चाहता हूं । आप जिस पार्टी को साम्प्रदायिक पार्टी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार आज केन्द्र में शासन कर रही है इसके जिम्मेदार एक मात्र मुलायम सिंह जी हैं यदि वह चाहते तो जिनको आप साम्प्रदायिक कहते हैं उनकी सरकार केन्द्र में नहीं रहती । आप पिछले इतिहास को याद करिए जब बहुजन समाज पार्टी ने आपको समर्थन दिया था उस समय अन्य दल के लोग थे उनके साथ आप किस तरह का व्यवहार करते थे यह इतिहास साक्षी है । जिसके साथ आपने तालमेल किया उसको बरबाद करने की कोशिश की । कम्युनिष्ट पार्टी जो मजदूरों व किसानों की हितैषी थी । [× × ×] जनता दल को आपने तोड़ा हमारे दल को तोड़ने की कोशिश की लेकिन बहन कु० मायावती जी आपकी नीतियों को समझकर आपसे दूर रहीं । उन्होंने सरकार बनाई मित्रों मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं ।

(अनेक सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मैं माननीय सदस्य को एक जानकारी दे दूं ।

(व्यवधान)

श्री कपिलदेव–

कांग्रेस पार्टी इनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

[× × ×] वह समाजवादी पार्टी के विधायक रहे । [× × ×]

श्री कपिलदेव–

आप जिसने आपको चुना उसका कभी ख्याल नहीं रखते । बहन कुमारी मायावती दलितों का वोट लेकर आती हैं तो वह भरे सदन में कहती हैं कि मैं उनकी हितैषी हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

इन्होंने जो माननीय सदस्य का नाम लिया उसको कार्यवाही से हटवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा ।

कार्यवाही दिखवा ली जायेगी ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवा लीजिये । कार्यवाही से निकलवा दीजियेगा । जो व्यक्ति इस माननीय सदन का सदस्य नहीं है, उसके बारे में कह रहे हैं ।

(व्यवधान)

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[× × ×] लेकिन मान्यवर, आप कार्यवाही दिखवाकर निकलवा लीजियेगा ।

(व्यवधान)

[× × ×] 90 दिन नहीं बैठेंगे । यह तिथि लिख लें । [× × ×]

श्री कपिलदेव–

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्याओं के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो हमारे क्षेत्र में एक नई तहसील का गठन हुआ था जिसमें आज तक न तो भवन बन पाया है और न ही जमीन अधिग्रहीत हुई है । घाघरा नदी पर पीपे का पुल बनना था जोकि नहीं बना है । तुरतीपार पर पक्का पुल बन गया है । तमाम किसान वहां पर पोश्ता की खेती करते हैं उनका लाइसेन्स खत्म कर दिया गया है उनको लाइसेन्स दे दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

कपिल जी समाप्त करें, आंपकी बात आ गई है और समय भी हो गया है ।

श्री कपिल देव–

उच्च शिक्षा के लिये पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है । सबसे ज्यादा महाविद्यालय मऊ में हैं । मऊ, बलिया, गाजीपुर को मिलाकर मऊ में एक विश्वविद्यालय बना दिया जाय । (व्यवधान)

*श्री उदय राज–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा में मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं । महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को पढ़ने से जाहिर होता है कि यह किसानों के हित में नहीं है ....।

श्री अधिष्ठाता–

चर्चा जारी रहेगी । इसको यहीं से प्रारम्भ करेंगे ।

नियम–51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज दिनांक 21 मई, 2002 को नियम–51 के अन्तर्गत कुल 18 सूचनाएं प्राप्त हुई । जिसमें से पहली सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की है जो सुश्री सुतपा चटर्जी की नृशंस हत्या की सी०आई०डी० जांच कराये जाने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । दूसरी सूचना श्री शमीमुल हक की है जो स्वर्गीय रिजवानुल हक एवं स्व० मजीमुल हक की हत्या के उपरान्त परिवार को समुचित सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में है, इसको वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की है जो दर्जीकुआं मनकापुर बभनान मार्ग एवं मसकनवां सिकन्दरपुर मार्ग के पुनः निर्माण के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है । चौथी सूचना श्री डा० कौशल किशोर

नोट :–[× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की है जो जनपद लखीमपुर में लखीमपुर मैगल मार्ग पर स्थायी पक्का पुल के निर्माण के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया। पांचवीं सूचना श्री वसीम अहमद की है जो विधान सभा क्षेत्र गोपालपुर के अन्तर्गत मदियापुर ड्रेन की खुदाई न होने के कारण हो रहे जल भराव को रोकने के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। छठी सूचना श्री उदय राज की है जो प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में लगभग एक हजार शिक्षकों के पद रिक्त होने से शिक्षकों में व्याप्त आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। सातवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की है जो कानपुर विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आर०एम०पी० डिग्री कालेज, सीतापुर के परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र प्राप्त न होने से असन्तोष के संबंध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है। आठवीं सूचना डा० लक्ष्मीकान्त बाजपेई की है जो सम्पूर्ण प्रदेश में भूगर्भ जल के अनियंत्रित दोहन के कारण प्रदूषित जल से उत्पन्न स्थिति के संबध में है, इसको केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत किया गया है।

नवीं सूचना श्री जगन प्रसाद गर्ग की है इन्होंने आगरा में हो रहे अस्थायी अतिक्रमण से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। दसवीं सूचना श्री रामकरण आर्य की है इन्होंने विधान सभा क्षेत्र नगर पूर्व जनपद बस्ती में आये भयंकर तूफान के कारण हुए नुकसान हेतु आर्थिक सहायता दिलाये जाने के संबंध में सूचना दी है इनको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। ग्यारहवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की है। इन्होंने हरदोई जनपद के विकास खण्ड हरपादपुर, सांडी, बिलग्राम, माधौगंज, मल्लावां के नलकूप संबंधी सभी कार्य उन्नाव जिले से होने के कारण उत्पन्न समस्या के संबंध में सूचना दी है, इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। बारहवीं सूचना श्री श्याम लाल रावत की है इन्होंने सीतापुर जनपद के विकास खण्ड कसमण्डा में राजकीय कन्या हाईस्कूल कमलापुर को इण्टर कालेज तक उच्चीकृत किए जाने के संबंध में सूचना दी है। इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। तेरहवीं सूचना श्री माता प्रसाद पाण्डेय की है इन्होंने जनपद सिद्धार्थनगर के मुख्यालय स्थित जिला चिकित्सालय में सर्जन, अस्थि विशेषज्ञ, बेहोशी का डाक्टर व महिला डाक्टर न होने के कारण उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। चौदहवीं सूचना श्री द्वारिका प्रसाद की है इन्होंने जनपद बस्ती के सदर तहसील अन्तर्गत ग्राम छपिया–मन्झरिया मार्ग को बस्ती–गोरखपुर मुख्य मार्ग से जोड़ने वाले मार्ग को पक्का कराये जाने के संबंध में सूचना दी है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। पन्द्रहवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की है इन्होंने जनपद कुशीनगर के रामकोला थानान्तर्गत बरवा महदेवा पुलिस चौकी को समाप्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है इसको ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सोलहवीं सूचना श्री ओमकार सिंह यादव की है इन्होंने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र सहसवान के अन्तर्गत किसानों के गेहूं को बिचौलियों की मिली भगत से खरीदने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है। इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है। सत्रहवीं सूचना डा० विनोद तिवारी की है इन्होंने जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र पूरनपुर में किसानों के गेहूं को बिचौलियों द्वारा मनमाने तरीके से खरीदे जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सूचना दी है, इसे ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत किया जाता है।

एक सूचना अस्वीकृत की गई है।

अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 2 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक : 21 मई, 2002

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

पी०एस०यू०पी०-एल०-299 विधान सभा (519)–813–2002 (डी०टी०पी०)।